

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्
को
बैथरहाउसिंग के संचालन एवं यकिग की समिति
का

अन्तरिम प्रतिवेदन



(दिनांक 7 फरवरी, 1980 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

X9(J)88.252.N8t

Mo

182834

विधान परिषद्, सचिवालय, उत्तर प्रदेश

1980

विधान परिषद् सचिवालय के पदाधिकारी

- 1--श्री गोवर्द्धन लाल शुक्ल, सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
- 2--श्री मनोहर लाल, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी ।
- 3--श्री बाल कृष्ण, निजी सचिव, माननीय उप-सभापति ।

प्रतिवदन

श्री सभापति, विधान परिषद् द्वारा सदन की दिनांक 15 जून, 1979 की बैठक में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति में निम्नलिखित माननीय सदस्यों को मनोनीत किये जाने की घोषणा की गई:—

1--श्री मुलायम सिंह यादव	..	..	..	सभापति,
2--श्री भोलादत्त पाण्डे	..	..	..	सदस्य,
3--श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना	..	..	..	सदस्य,
4--श्री राज बिहारी सिंह	..	..	..	सदस्य,
5--श्री राम चन्द्र आजाद	..	..	..	सदस्य,
6--श्री राम शंकर त्रिपाठी	..	..	..	सदस्य,
7--डा० विश्व नाथ खन्ना	..	..	..	सदस्य,
8--श्री ज्ञानी हरिन्दर सिंह	..	..	..	सदस्य,
9--श्री गुरु प्रसाद	..	..	..	सदस्य,
10--श्री महिपाल सिंह शास्त्री	..	..	..	सदस्य,
11--श्री रमेश चन्द्र शर्मा "विकट"	..	..	..	सदस्य,
12--कु० सरस्वती अम्माल	..	..	..	सदस्या ।

श्री सभापति, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 1979 को उक्त समिति में श्री राज कुमार सामा, सदस्य, विधान परिषद् को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया ।

समिति ने अपनी प्रथम बैठक दिनांक 13 जुलाई, 1979 को की जिसको श्री सभापति, विधान परिषद् द्वारा सम्बोधित किया गया । समिति ने निम्नलिखित तिथियों के सम्मुख उल्लिखित स्थानों पर अपनी दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 तक बैठकें कीं और प्रस्तर 4 में उल्लिखित साक्षियों के साक्ष्य भी प्राप्त किये:—

क्रम-संख्या	बैठकों की तिथि	स्थान	साक्ष्य
1	2	3	4
1	13-7-79	लखनऊ	
2	25-7-79	लखनऊ	
3	26-7-79	लखनऊ	प्रबन्ध निवेशक, उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम ।
4	2-8-79	लखनऊ	
5	3-8-79	कानपुर	
6	4-8-79	लखनऊ	प्रबन्ध निवेशक, उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम ।
7	9-8-79	लखनऊ	
8	10-8-79	अलीगढ़, हाथरस	
9	11-8-79	मथुरा	
10	12-8-79	बुन्दावन	
11	13-8-79	लखनऊ	

1	2	3	4
12	30-8-79	लखनऊ	
13	18-9-79	लखनऊ	
14	19-9-79	हरिद्वार	
15	20-9-79	देहरादून	
16	21-9-79	लखनऊ	
17	25-9-79	लखनऊ	
18	26-9-79	मेरठ	
19	27-9-79	बुलन्दशहर	
20	28-9-79	लखनऊ	
21	11-10-79	लखनऊ	
22	12-10-79	कर्वी (बांदा)	
23	13-10-79	अनुसुइया आश्रम	
24	13-10-79	गुप्त गोदावरी	
25	14-10-79	अतर्रा	
26	15-10-79	चित्रकूट	
27	16-10-79	लखनऊ	
28	30-10-79	लखनऊ	
29	31-10-79	लखनऊ	
30	6-11-79	लखनऊ	प्रबंध निदेशक, उ० प्र० रा० भ० नि० ।
31	7-11-79	लखनऊ	प्रबंध निदेशक, उ० प्र० रा० भ० नि० ।
32	8-11-79	लखनऊ	प्रबंध निदेशक, उ० प्र० रा० भ० नि० ।
33	21-11-79	लखनऊ	
34	22-11-79	लखनऊ	
35	23-11-79	लखनऊ	
36	9-12-79	लखनऊ	
37	10-12-79	झांसी	
38	11-12-79	ललितपुर	
39	12-12-79	उरई	
40	13-12-79	लखनऊ	
41	21-12-79	लखनऊ	
42	22-12-79	लखनऊ	उ० प्र० राज्य भंडारागार निगम के यूनियन के पदा- धिकारियों का साक्ष्य ।

जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समिति ने अपनी बैठकें लखनऊ से बाहर भी कीं तथा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के भंडार गृहों का निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के विषय में उपयोगी सुझाव देने हेतु अन्य प्रदेशों में स्थित राज्य भंडारागार निगमों से उनकी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के विषय में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के भी प्रयास किये गये। समिति केन्द्रीय भंडारागार निगम तथा अन्य संबंधित निगमों से भी सम्बन्धित अपेक्षित सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा समिति को सामान्यतया अपेक्षित सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई जाती रही और जो सूचना निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई वह समिति द्वारा अपूर्ण एवं अस्पष्ट पाई गई जिसके कारण समिति को पुनः जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान में समिति द्वारा निगम से कुछ आवश्यक सूचना प्राप्त होना अपेक्षित है जो कि निगम के पास लगभग दो माह की अवधि से लम्बित है। अन्य राज्यों के भंडारागार निगमों से भी समिति को अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। समिति सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम से यह अपेक्षा करती है कि भविष्य में अपेक्षित सूचना स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

समिति द्वारा भरसकु प्रयत्नों के उपरान्त भी पूर्ण सूचना के अभाव में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं हो सका। अतः समिति अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है।

भारतवर्ष के अन्य राज्यों में स्थित राज्य भंडारागार निगमों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की भंडारण क्षमता ही सर्वाधिक नहीं है अपितु लाभ की दृष्टि से भी यह निगम सबसे आगे है। निगम द्वारा नियुक्तियों, प्रोन्नतियों, निलम्बन, स्थानान्तरण आदि के विषय में नियमों की दृष्टिगत नहीं रखा गया है और अधिकतर मामलों में अनियमिततायें बरती गई हैं। समिति ने निगम के सम्पूर्ण कार्य को सुझाव प्रस्तुत करने के आशय से निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है:—

- 1—उद्देश्य एवं प्रशासन,
- 2—भूमि का प्राप्त किया जाना,
- 3—भंडारगृहों का निर्माण,
- 4—भंडारण क्षमता,
- 5—हेण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट,
- 6—तकनीकी भंडारण।

1—उद्देश्य एवं प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषक वर्ग को उसकी फसल का उचित लाभ प्राप्त हो सके और वह अपनी उपज का भंडारण कर सके। समिति प्राप्त सूचनाओं व भंडारगृहों के स्थल निरीक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जिस उद्देश्य से निगम की स्थापना हुयी थी वह पूर्ण नहीं हुआ है और भंडारगृहों में अधिकतर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का भंडारण है और किंचित कृषक वर्ग का शायद ही कहीं कोई भण्डारण हो। समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा कृषक वर्ग को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये कि वह अपनी उपज का भंडारण भंडारगृहों में करे और आवश्यकता पड़ने पर बैंक से कर्ज की सुविधा प्राप्त करे और बाजार में यथा समय अपना उत्पादन बेच कर अधिक लाभ अर्जित करे।

समिति को खेद है कि कृषक वर्ग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य भंडारागार निगम द्वारा कोई ठोस एवं महत्वपूर्ण कार्य नहीं किये जा रहे हैं और न ही अनुबन्धित अवधि के उपरान्त भंडारगृहों की उपयोगिता को ही सुनिश्चित किया जा रहा है।

समिति अनुबन्धित क्षमता के रिक्त होने तथा निगम की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सबल संस्तुति करती है कि कृषक वर्ग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किये जाने के लिये उन्हें भण्डारण शुल्क में अधिक से अधिक छूट प्रदान की जानी चाहिये।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का शासन स्तर पर संबंध सहकारिता विभाग से है जबकि देश के विभिन्न राज्यों के भंडारागार निगमों का सम्बन्ध खाद्य अथवा कृषि विभाग से है। समिति यह समझने में असमर्थ रही है कि शासन स्तर पर इस निगम का प्रशासनिक विभाग किस आधार पर सहकारिता विभाग को रखा गया। समिति संस्तुति करती है कि शासन द्वारा देश के अन्य राज्य भंडारागार निगमों के प्रशासकीय विभागों की बात को दृष्टिगत रखते हुये इस बात पर विचार करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का सम्बन्ध शासन स्तर पर किस विभाग से रखा जाना उपयोगी होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का प्रशासनिक ढांचा केन्द्रित है। निगम की भंडारण क्षमता उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में स्थापित है और कर्मचारी वर्ग की भी संख्या अधिक है। अतः समिति संस्तुति करती है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विकेन्द्रीकरण किया जाय। विकेन्द्रीकरण से नियंत्रण प्रभावशाली होगा और कर्मचारी वर्ग को भी संस्तुष्टि प्राप्त होगी। समिति यह भी संस्तुति करती है कि राज्य भंडारागार निगम को इस प्रकार सम्भागों में बांटा जाय कि एक सम्भागीय अधीक्षक के अधीन कम से कम पांच व अधिक से अधिक सात जनपद हों। प्रत्येक सम्भाग का सम्भागीय अधीक्षक निगम के प्रबन्ध निदेशक के प्रति उत्तरदायी हो और प्रत्येक सम्भाग का कर्मचारी सम्भागीय अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी हो।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा नियुक्तियों, प्रोन्नतियों, निलम्बन, स्थानान्तरण, स्थायीकरण आदि के विषय में विशेष रूप से नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

नियुक्तियों के विषय में समिति खेद प्रकट करती है कि बगैर उचित माध्यम से अधिकतर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्तियों पर रोक के उपरान्त भी नियुक्तियां किये जाने के विषय में स्पष्ट रूप से निगम द्वारा स्वयं के आदेशों का उल्लंघन किया गया है।

प्रोन्नतियों के विषय में समिति खेद प्रकट करती है कि अति कनिष्ठ व्यक्तियों को नियमों के विरुद्ध प्रोन्नत किया गया है।

निलम्बन के विषय में समिति खेद प्रकट करती है कि प्रश्नगत मामलों को शीघ्र निस्तारित नहीं किया जाता है और अधिकतर निलम्बन के उपरान्त कर्मचारियों को कार्य पर वापस ले लिया जाता है।

स्थानान्तरण के विषय में समिति खेद प्रकट करती है कि कोई निश्चित प्रक्रिया अथवा आधार नहीं अपनाया जाता है और कम समय में कई बार कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है।

स्थायीकरण के विषय में समिति खेद प्रकट करती है कि 10 से 20 वर्षों की सेवा अवधि के उपरान्त भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निगम का प्रशासनिक दृष्टिकोण अति संकुचित एवं एकाधिकार से प्रभावित है जिसके कारण कर्मचारी वर्ग में भय एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि उपरोक्त सभी विषयों में नियमानुसार ठोस व सामान्य प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुये, अपनाई जानी चाहिये। समिति यह भी संस्तुति करती है कि निगम के स्टाफ रेगुलेशन को भी व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुये समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिये।

विभिन्न स्थलों के निरीक्षण के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा भंडारगृहों पर तैनात कर्मचारियों की संख्या के विषय में भी कोई ठोस

आधार नहीं अपनाया गया है। अधिकतर लोग दैनिक वेतनभोगी हैं और उन्हें नियमानुसार नियमित नहीं किया गया है और नियमित लोगों को सामान्य नियमों के अधीन स्थायी नहीं किया गया है। समिति के दृष्टिकोण से यह एक विशेषरूप से सोचनीय स्थिति है। समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की कार्य की महत्ता एवं जिम्मेदारी को देखते हुये कम से कम स्टाफ दैनिक वेतनभोगी होना चाहिये, दैनिक वेतन भोगी स्टाफ को नियमों के अनुसार शीघ्र से शीघ्र नियमित होना चाहिये और नियमित स्टाफ को सामान्य नियमों के अनुसार शीघ्र से शीघ्र स्थायी होना चाहिये। ऐसा करने से वे अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगे। समिति यह भी संस्तुति करती है कि प्रत्येक भंडार गृहों पर भंडारण क्षमता को मानते हुये अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिये।

समिति इस बात को लिये खेद व्यक्त करती है कि भंडारगृहों के निरीक्षण से ठीक पूर्व स्व-निर्मित भंडारण क्षमता, किराये की भंडारण क्षमता, वास्तविक भंडारण क्षमता, उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या आदि से सम्बन्धित जो सूचना समिति को मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसमें प्रायः स्थल निरीक्षण के समय भिन्नता देखने को मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि या तो मुख्यालय पर पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती है या प्रशासनिक नियंत्रण में कहीं कमी है। समिति इस विषय को अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक लेती है और निगम से यह अपेक्षा करती है कि भविष्य में समिति को जो सूचना उपलब्ध कराई जाय वह पूर्ण, स्पष्ट एवं अद्यावधिक हो ताकि स्थल निरीक्षण के समय किसी प्रकार की भिन्नता का प्रमाण प्राप्त न हो सके। समिति इस ओर भी निगम का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि समिति को अपेक्षित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन यथाशीघ्र कर सके। निगम द्वारा दो-दो माह तक अपेक्षित सूचना न उपलब्ध कराये जाने के विषय को भी समिति अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक लेती है।

2—भूमि को प्राप्त किया जाना

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा भंडार गृहों के निर्माण हेतु मुख्यतया निम्नलिखित माध्यमों से ही भूमि प्राप्त की जाती है :—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डल समिति द्वारा प्राप्त भूमि।

(ख) निजी संक्रमण (प्राइवेट निगोशियेशन) द्वारा प्राप्त भूमि।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डल समिति द्वारा प्राप्त भूमि :—

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा मण्डल समिति से प्राप्त भूमि पर अधिकतर भंडार-गृहों का निर्माण कराया गया है। कृषि उत्पादन मण्डल समिति की भूमि को भंडारागार निगम द्वारा प्राप्त करने से पूर्व उसके वैधानिक पहलुओं व नियमानुसार निबन्धन आदि की कार्यवाही किये जाने को दृष्टिगत नहीं रखा गया है। भूमि को प्राप्त करने से पूर्व इस पर भी विचार नहीं किया गया प्रतीत होता है कि भूमि के पट्टे की अवधि समाप्त होने पर यदि उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो भूमि पर निर्मित भंडार गृहों की क्या स्थिति होगी? समिति के विचार में यह एक गम्भीर एवं वैधानिक मामला है जिस पर कि राज्य भंडारागार निगम को अपेक्षित विधिक परामर्श अवश्य ही प्राप्त करना चाहिये था। समिति को निगम द्वारा स्पष्ट रूप से यह जानकारी उपलब्ध कराई गयी कि इस विषमता को वैधानिक रूप से इस कारण दृष्टिगत नहीं रखा गया क्योंकि भूमि उपलब्ध करने वाली संस्था भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। समिति इस तथ्य से संतुष्ट नहीं है। समिति दूरदृष्टिता की दृष्टिगत रखते हुए यह संस्तुति करती है कि भूमि प्राप्त करने की वैधानिक विषमता, भूमि की कीमत, पट्टे की अवधि, भूमि का निबन्धन तथा पट्टे के नवीनीकरण आदि के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न न हो।

समिति सभी सम्भव प्रयासों के उपरान्त भी इस बात की जानकारी राज्य भंडारागार निगम से अभी तक नहीं कर सकी है कि मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के भुगतान का ठोस आधार क्या है तथा भूमि के निबन्धन के विषय में क्या लिखापढ़ी की गई है। समिति अनुभव करती है कि इस विषय में यदि वैधानिक पहलुओं से विचार नहीं किया गया तो भविष्य में अवश्य ही विषमता उत्पन्न होगी।

(ख) निजी संक्रमण (प्राइवेट निगोशियेशन) द्वारा प्राप्त भूमि :—

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा निजी संक्रमण (प्राइवेट निगोशियेशन) से जो भूमि क्रय की जाती है उसके लिये कोई ठोस प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। राज्य भंडारागार निगम द्वारा विभिन्न जनपदों में निजी संक्रमण द्वारा प्राप्त भूमि पर भंडार गृहों का निर्माण कराया गया है। समिति की जानकारी में यह बात आई है कि जो भूमि निजी संक्रमण द्वारा प्राप्त की जाती है उसमें भूमि की भराई पर निगम को काफी धनराशि व्यय करनी होती है। समिति संस्तुति करती है कि निजी संक्रमण द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि को क्रय करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भूमि की भराई आदि पर कितना व्यय अनुमानित होगा और इस व्यय के उपरान्त भूमि की कीमत समतल भूमि से अधिक तो न होगी।

निजी संक्रमण द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि की कीमत के विषय में समिति संस्तुति करती है कि भूमि की कीमत की पुष्टि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से प्राप्त की जानी चाहिये। समिति यह भी संस्तुति करती है कि प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के प्रस्ताव की जांच, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के अनुमोदन से पूर्व कम से कम दो समितियों के माध्यम से होनी चाहिये, प्रथम बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स द्वारा गठित भूमि क्रय समिति व दूसरी राज्य सरकार द्वारा गठित भूमि क्रय समिति जिसमें कृषि, न्याय, राजस्व, सहकारिता एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी हों। ऐसा करने से केवल बहुत सी वैधानिक विषमताएँ हो दूर नहीं होंगी अपितु भूमि क्रय करने के विषय में किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी आदि भी निगम के ऊपर नहीं की जा सकेगी।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि निजी संक्रमण द्वारा भूमि केवल उन्हीं परिस्थितियों में क्रय किये जाने का प्रस्ताव होना चाहिये जबकि प्रस्तावित स्थान पर भूमि प्राप्त करने का कोई अन्य स्रोत न हो।

3—भंडार गृहों का निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के पास निर्माण से संबंधित एक अपना इंजीनियरिंग सेल है जिसके लिये निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :—

1—प्रबन्धक, निर्माण (अधीक्षण अभियन्ता के पद के समान)	एक पद
2—संयुक्त प्रबन्धक, निर्माण (अधिशाली अभियन्ता से उच्च तथा अधीक्षण अभियन्ता से निम्न पद के समान।)	एक पद
3—उपप्रबन्धक, निर्माण (अधिशाली अभियन्ता के पद के समान)	तीन पद
4—सहायक अभियन्ता	 बारह पद
5—अवर अभियन्ता	 चालीस पद।

समिति की जानकारी में यह बात आयी है कि स्वीकृत पदों में केवल एक उपप्रबन्धक निर्माण, दो सहायक अभियन्ता तथा आठ अवर अभियन्ता के पद ही भरे हैं और शेष स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। समिति की जानकारी में यह बात भी आई है कि उक्त दो सहायक अभियन्ताओं में से एक सहायक अभियन्ता मार्च, 1978 से निलम्बित हैं।

समिति इस बात की अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी है कि लम्बी अवधि तक श्री कारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित क्यों रखा जाता है। निलम्बन के संबंध में समिति संस्तुति करती है कि कर्मचारी को ऐसी दशा में निलम्बित करना चाहिये जबकि प्राग्दर्शन में उसके विरुद्ध गम्भीर प्रकार के आरोप सिद्ध होने की संभावना हो और निलम्बन संबंधी कार्यवाही करते समय नियमों का पूर्णरूप से पालन किया जाना चाहिये। नियमानुसार निलम्बन की अवधि कम से कम रखी जानी चाहिये। ऐसा करने से निगम को सभी दृष्टिकोणों से लाभ ही न होगा वरन् निलम्बित कर्मचारी का मानसिक उत्पीड़न भी कम होगा।

राज्य भंडारागार निगम द्वारा अधिकतर भंडारगृहों का विभिन्न केन्द्रों पर निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया गया है अथवा कराया जा रहा है। समिति प्राप्त जानकारी के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा न तो निर्माण हेतु प्रस्तावित भंडारगृहों का ले आउट प्लान बनाया जाता है और न ही इस पर होने वाले अनुमानित व्यय का व्योरा ही निकाला जाता है।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा भंडारगृहों के निर्माण कराये जाने के विषय में यह जानकारी उपलब्ध कराई गयी कि दिसम्बर, 1976 में मंत्रि परिषद् स्तर पर यह निर्णय हुआ कि भारतीय खाद्य निगम के लिये 4 लाख मेट्रिक टन भंडारण क्षमता के भंडार गृह उपलब्ध कराये जाय। इस प्रकार के भंडारगृहों को 6 महीने के अन्दर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था। अतः बोर्ड ने इस विषय पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इतने बड़े कार्य को राजकीय निर्माण निगम द्वारा ही कराया जाय। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा इन भंडारगृहों के निर्माण के संबंध में कोई योजना बनाकर निर्माण निगम को नहीं दी गई। समिति को यह पत्र भी उपलब्ध हुआ जो कि राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के प्रबन्ध निदेशक को लिखा गया था तथा उसमें 9 केन्द्रों पर 1 लाख 45 हजार मेट्रिक टन की भंडारण क्षमता के विषय में कुछ शर्तें स्पष्ट की गई थी। परिशिष्ट "क" पर पत्र के अनुसार भंडारगृहों के निर्माण में इन्जीनियरिंग सेल द्वारा देखभाल को आवश्यक नहीं बताया गया है और केवल अनुमानित व्यय का ही उल्लेख किया गया है।

उक्त निर्माण के विषय में समिति की जानकारी में यह बात आई है कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम से ले आउट प्लान तक वगैर अनुमोदित कराये कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इस बात का प्रमाण परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत पत्र से मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा राजकीय निर्माण निगम को प्रेषित किया गया।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाये गये अथवा बनाये जाने वाले भंडारगृहों के संबंध में संक्षिप्त तथ्यों तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँची है :—

1—यह कि परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध पत्र को दृष्टिगत रखते हुये प्रारम्भ से वर्तमान तक निर्मित भंडार गृहों के विषय में सभी शर्तें सामान्य रूप से लागू नहीं होती हैं।

2—यह कि परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत पत्र के अनुसार यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये गये निर्माण-कार्यों को सन्तोषप्रद मानने में अवश्य आशंका उत्पन्न होती है।

3—यह कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा डिपॉजिट कार्य के अधीन समुचित मात्रा में राज्य भंडारागार निगम से अग्रिम धन के रूप में प्राप्त किया जा रहा है और अभी तक किसी भी भंडारगृह का न तो अन्तिम रूप से हिसाब ही किया गया है और न ही राज्य भंडारागार निगम द्वारा औपचारिक रूप से तकनीकी प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त टेक ओवर ही किया गया है।

4—यह कि राज्य भंडारागार निगम के इन्जीनियरिंग सेल द्वारा राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का न तो निरीक्षण ही किया गया है और न ही उनके द्वारा निर्माण अवधि में समय-समय पर देखभाल ही की जाती है।

5—यह कि विभिन्न निरीक्षण स्थल के समय समिति को यह देखने में आया कि भंडारगृहों के प्लेट फार्म एवं वहां की सड़कें आदि कम समय में ही अधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

6—यह कि परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत पत्र को ध्यान में रखते हुये राज्य भंडारागार निगम द्वारा क्षतिग्रस्त कार्य को राजकीय निर्माण निगम द्वारा ठीक कराये जाने के विषय में कोई ठोस कार्यवाही अथवा प्रयत्न नहीं किये गये हैं।

7—यह कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा प्रस्तावित भंडारगृहों के निर्माण के पूर्व न तो कोई ले आउट प्लान बनाया जाता है और न ही अनुमानित व्यय निकाला जाता है।

8—यह कि समिति इस जानकारी को प्राप्त करने में असमर्थ रही है कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण संबंधी प्रस्तुत बीजकों की जांच हेतु कौन सी प्रक्रिया राज्य भंडारागार निगम द्वारा अपनाई जाती है और बीजक के भुगतान का क्या आधार होता है।

9—यह कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा केवल अनुमान को आधार मानकर वास्तविक खर्च की वगैर पुष्टि किये हुये "डिपॉजिट कार्य" के अधीन समय-समय पर राजकीय निर्माण निगम को अग्रिम धन स्वीकृत किया जाता रहा है।

10—यह कि वर्ष 1976 से अब तक समिति की जानकारी में किसी भी भंडारगृह के निर्माण से सम्बन्धित अन्तिम भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

उपरोक्त निष्कर्षों को वृष्टिगत रखते हुये समिति भंडारगृहों के निर्माण के विषय में निम्न-लिखित संस्तुति करती है:—

1—यह कि जहां तक सम्भव हो राज्य भंडारागार निगम द्वारा अपनी इन्जिनियरिंग सेल के स्वीकृत पदों के आचित्य को सिद्ध करते हुये स्वयं की देख-रेख में निर्माण कार्य कराये जाय।

2—यह कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण से मितव्ययता और मानकों के अनुसार कार्य को सुनिश्चित करने हेतु निविदाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना चाहिये।

3—यह कि निर्माण के आरम्भ से अन्त तक इन्जिनियरिंग सेल द्वारा कार्य के मानकों की समुचित देखभाल की जानी चाहिये।

4—यह कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर निर्मित भंडार गृहों को अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् राज्य भंडारागार निगम द्वारा टेक ओवर करना चाहिये।

5—यह कि राज्य भंडारागार निगम के इन्जिनियरिंग सेल द्वारा ले आउट प्लान तथा अनुमानित व्यय के पूर्ण आंकड़े तैयार किये जाने चाहिये।

6—यह कि विभिन्न केन्द्रों पर निर्मित भंडारगृहों के प्लेटफार्म तथा सड़कों आदि जो अतिप्रस्त हो गई हैं, को ठीक कराने के विषय में समयबद्ध कार्यक्रम चला कर पूर्ण कराने हेतु राज्य भंडारागार निगम को राजकीय निर्माण निगम से समन्वय करना चाहिये।

7—यह कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर निर्मित भंडारगृहों के लेखे-जोखे का शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु राज्य भंडारागार निगम को चेष्टा करनी चाहिये।

8—यह कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा किसी केन्द्र पर प्रस्तावित भंडारगृहों के निर्माण हेतु अवधि सुनिश्चित की जानी चाहिये।

9—यह कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा निर्माण से संबंधित कार्य का निरीक्षण कम से कम तीन माह में एक बार इन्जियरिंग सेल के अधिकारियों द्वारा कराते रहना चाहिये और यदि निरीक्षण के समय किसी कार्य को कराया जाना अपेक्षित हो तो उस कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराया जाना चाहिये।

समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सुझावों को यदि कार्य रूप में परिणित किया जायेगा तो विभिन्न पहलुओं से यह राज्य भंडारागार निगम के लिये लाभदायक होगा। समिति यह भी संस्तुति करती है कि भंडारागार निगम द्वारा राज्य भंडारगृहों के निर्माण की योजना में चौकीदार के अतिरिक्त कम से कम प्रबन्धक व एक लिपिक हेतु आवासीय व्यवस्था का भी प्राविधान किया जाना चाहिये। ऐसा करना कार्य कुशलता के दृष्टिकोण से अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा।

4— भण्डारण क्षमता

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के पास 1979 के अन्त में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रकार की भंडारण क्षमता उपलब्ध थी :—

			मैट्रिक टन
(क)	स्वनिर्मित भंडारण क्षमता		7,51,232
(ख)	किराये की भंडारण क्षमता		688,070
	कुल भंडारण क्षमता		14,39,302

उपरोक्त कुल 14,39,302 मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता में से लगभग 12,00,000 मैट्रिक टन की क्षमता विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसे भारतीय खाद्य निगम, इफको आदि से किसी न किसी अवधि के लिये अनुबंधित थी।

अनुबंधित क्षमता के अतिरिक्त बची हुई भंडारण क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत भंडारण था। इस भंडारण में मुख्यतया निजी संस्थाओं, काश्तकारों आदि के माल का भंडारण था।

(क) स्वनिर्मित भंडारण क्षमता :

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के पास लगभग 50 केन्द्रों पर 7,51,232 मैट्रिक टन की जो स्वनिर्मित भंडारण क्षमता है उसका लगभग 90 प्रतिशत भाग सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से किसी न किसी अवधि हेतु अनुबंधित है। राज्य भंडारागार निगम का सबसे अधिक भंडारण क्षमता का अनुबंध भारतीय खाद्य निगम से है। समिति अभी तक इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं

कर सकी है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा अनुबंधित क्षमता में वार्षिक वास्तविक भंडारण का औसत क्या रहा। समिति इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहती है।

विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा भंडारण क्षमता की अनुबंधित अवधि के उपरान्त राज्य भंडारागार निगम द्वारा भंडारण क्षमता के उपयोग के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। दूर-दृष्टिता को ध्यान में रखते हुये समिति संस्तुति करती है कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रसार तथा विल्यापन आदि के माध्यम से व्यापारी वर्ग एवं कृषकों आदि को भंडारण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये और शासन द्वारा भी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से गत्ता खरीद कर भंडारण करने हेतु भंडारागार निगम को प्रोत्साहित करना चाहिये, जिससे अनुबन्धित अवधि के उपरान्त भंडारण क्षमता की उपयोगिता हो सके।

(ख) किराये की भंडारण क्षमता :

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के पास लगभग 130 केन्द्रों व उप केन्द्रों पर 6,88,070 मेट्रिक टन किराये की भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

किराये की भंडारण क्षमता प्राप्त करने के विषय में समिति द्वारा पाई गई विषमताओं में से निम्नलिखित को उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है :—

1—कानपुर स्थित श्री राम रतन गुप्त के गोदाम की स्थिति एवं दशा को देखते हुये उसे अन्य गोदामों की तुलना में अधिक किराये पर लिया गया। यह गोदाम 18,370 रु प्रति माह किराये पर लिया गया था और नवम्बर, 1978 से खाली पड़ा हुआ है। समिति, उपलब्ध कराये गये तथ्यों से संतुष्ट नहीं है और समिति का निश्चित मत है कि नवम्बर, 1978 से गोदाम खाली रहने के उपरान्त भी उसे किराये पर रखना किसी प्रकार औचित्यपूर्ण नहीं था।

समिति की जानकारी में यह बात भी आई है कि कानपुर में भंडारण क्षमता के उपलब्ध होते हुये भी उक्त गोदाम में काफी उर्वरक का भंडारण समिति के स्थल निरीक्षण के उपरान्त किया गया है। इससे यह शंका उत्पन्न होती है कि कहीं निगम द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की कूबेष्टा तो नहीं की जा रही है। अतः समिति संस्तुति करती है कि कानपुर स्थित श्री राम रतन गुप्त वाले किराये के गोदाम के विषय में पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिये।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि जे० के० का एक गोदाम जिसकी संस्तुति रोजनल मैनेजर द्वारा की गई थी, को श्री राम रतन वाले गोदाम की तुलना में किराये पर प्राप्त नहीं किया गया जबकि जे० के० के गोदाम का किराया भी कम था और उसकी स्थिति भी अच्छी थी।

2—हापुड़ (केली) स्थित किराये पर प्राप्त सातों गोदामों का निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 1979 को किया गया। समिति की जानकारी में यह बात आई कि मई, 1975 में राज्य भंडारागार निगम द्वारा किराये पर प्राप्त किये गये गोदाम संख्या 208 के अतिरिक्त शेष सभी गोदामों का किराया माह जून से अगस्त, 1978 के मध्य लगभग दुगना कर दिया गया। गोदाम संख्या 208 के किराये को बढ़ाने हेतु गोदाम मालिक की तरफ से केवल आवेदन-पत्र ही नहीं भेजा गया अपितु माह जुलाई, 1978 से दिसम्बर, 1979 के मध्य अनेकों रजिस्टर्ड पत्र आदि भी भेजे गये। समिति गोदाम संख्या 208 के किराये को न बढ़ाने के विषय को अनियमितता मानती है क्योंकि यह गोदाम अन्य उपलब्ध गोदामों से अपेक्षाकृत कहीं अच्छी हालत में और मेन रोड के निकट उंची सतह पर भी स्थित है। समिति इस संबंध में राज्य भंडारागार निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों से संतुष्ट नहीं है। समिति संस्तुति करती है कि इस अनियमितता के विषय में पूर्ण रूप से जांच

होनी चाहिये और बोधी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये और तदनुसार संबंधित गोदाम का किराया भी बढ़ाया जाना चाहिये ।

समिति की प्रायः यह शिकायतें विभिन्न स्थलों पर प्राप्त होती रही हैं कि गोदाम मालिकों एवं बेयर हाउस के मैनजर द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों की प्राप्ति सूचना तक निगम द्वारा नहीं भेजी जाती है । समिति संस्तुति करती है कि राज्य भंडारागार निगम द्वारा प्राप्त पत्रों के उत्तर यथासमय अद्यावधिक कृत कार्यवाही के साथ अवश्य ही प्रेषक को प्रेषित करना चाहिये ।

कुछ स्थलों के निरीक्षण के समय समिति को यह देखने को मिला कि कुछ किराये के भंडारगृह काफी समय से रिक्त पड़े हैं व उनकी बशा भी ठीक नहीं है । अतः समिति किराये पर उपलब्ध खाली भंडारण क्षमता के विषय में यह संस्तुति करती है कि वाणिज्य दृष्टिकोण अपनाए के उपरान्त यथाशीघ्र छोड़ दिया करे ऐसा करने से केवल किराये की ही बचत न होगी अपितु स्टाफ पर होने वाला व्यय भी बचेगा और यह सम्पूर्ण रूप से निगम के हित में होगा ।

समिति किराये के गोदामों को प्राप्त किये जाने के विषय में यह भी संस्तुति करती है कि वास्तविक क्षमता को किराये पर लेने से पूर्व उसका अनुमोदन निगम द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाना चाहिये ।

5—हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को उर्वरक की हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाती है जिनके पास भंडारागार निगम की भंडारण क्षमता अनुबंधित है । समिति की जानकारी में यह बात आई है कि हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के विषय में भारतीय खाद्य निगम से साढ़े सात प्रतिशत तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से दस प्रतिशत सुपरविजन चार्ज प्राप्त किये जाते हैं । सुपरविजन चार्ज में स्टाफ, लेखन सामग्री, डाक टिकट, टेलीफोन व टेलीग्राम आदि का समस्त खर्च सम्मिलित होता है । सुपरविजन चार्ज को निर्धारित किये जाने के विषय में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा कोई ठोस आधार नहीं अपनाया गया है और केवल अनुमान के आधार पर सुपरविजन चार्ज का प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो साढ़े सात प्रतिशत सुपरविजन चार्ज दिये जाते हैं उसका आधार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1969-70 में निर्धारित दरों से है । समिति की राय में एक ही निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से अलग अलग दरों पर सुपरविजन चार्ज प्राप्त किया जाना उचित नहीं है । अतः समिति यह संस्तुति करती है कि सुपरविजन चार्ज की दरों को ठोस आधार पर निगम द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये जो कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिये सामान्य रूप से लागू हो । समिति सुपरविजन चार्ज से संबंधित सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात का अनुमान लगाती है कि साढ़े सात प्रतिशत सुपरविजन चार्ज में निगम का सारा खर्चा भी निकल नहीं पाता होगा । समिति यह भी संस्तुति करती है कि निगम को हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट सुपरविजन चार्ज के विषय में विशेषकर इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिये कि वह कहीं सुपरविजन चार्ज की मद में हानि तो नहीं उठा रही है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये जाने वाले सुपरविजन चार्ज की बढ़ोतरी हेतु राज्य भंडारागार निगम द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है। समिति संस्तुति करती कि विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के सुपरविजन चार्ज को दृष्टिगत रखते हुये असमानतायें दूर किये जाने के विषय में ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये।

राज्य भंडारागार निगम द्वारा हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के विषय में निविदायें आमंत्रित किये जाने के उपरान्त दो वर्ष की अवधि हेतु ठेका दिया जाता है और माध्य दरों के विषय में जो दरें निर्दिष्ट हों वे काफी समय पूर्व की हों। इन निर्दिष्ट दरों पर कम से कम 200 से 350 प्रतिशत अधिक दरों पर सामान्यतया निविदा प्राप्त होती है जिससे कि अकारण ही भ्रम उत्पन्न होता है। निगम द्वारा निविदाओं की दरों में यदि अधिक बढ़ोतरी पाई जाती है तो पुनः निविदायें आमंत्रित की जाती हैं और उस बीच तदर्थ रूप से हंडलिंग व ट्रांसपोर्ट का काम स्थानीय अथवा क्षेत्रीय संस्तुति के आधार पर कराया जाता है। तदर्थ रूप से कार्य कराये जाने हेतु संबंधित ठेकेदार से समुचित मात्रा में जमानत की अग्रिम धनराशि के प्राप्त न करने की सूचना भी समिति को प्राप्त हुई है। समिति संस्तुति करती है कि हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित निर्दिष्ट दरों को कम से कम 3 वर्ष में एक बार अवश्य ही पुनः निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि निर्दिष्ट दरों के अनुरूप ही निविदायें प्राप्त हो सकें और अकारण उत्पन्न होने वाला भ्रम भी दूर हो सके।

समिति तदर्थ रूप से नियुक्त ठेकेदारों के विषय में यह संस्तुति करती है कि उनकी अवधि कम से कम रखने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा ठेकेदारों से समुचित मात्रा में जमानत की धनराशि अग्रिम रूप में प्राप्त की जानी चाहिये ताकि निगम को किसी प्रकार की हानि की आशंका न रहे।

समिति की जानकारी में यह बात आई है कि हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट में ट्राजिट लास भी होता है। निर्दिष्ट मात्रा में अधिक होनेवाली क्षति से उत्पन्न दावों के विषय में समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। समिति यह भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा छीज के दावे राज्य भंडारागार निगम को प्रस्तुत किये गये हों और निगम द्वारा उन्हें स्वीकार किया गया हो।

हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के अधीन ही भंडार गृह में रखे खाद्यानों की तौल भी आती है। राज्य भंडारागार निगम द्वारा खाद्यानों के विषय में दस प्रतिशत बोरे की तौल के आधार पर सम्पूर्ण बोरे का अनुमानतः वजन निकाला जाता है। इस अनुमानित तौल की प्रक्रिया से समिति संतुष्ट नहीं है। समिति संस्तुति करती है कि भंडारण एवं उठान के समय पूरे माल की तौलाई हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये।

समिति की जानकारी में यह भी बात आई है कि हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित भुगतान मुख्यालय द्वारा किया जाता है। यह भुगतान निगम द्वारा अपने कोष से कर दिया जाता है और यथासम्भव किये गए भुगतान पर सुपरविजन चार्ज सहित भुगतान हेतु सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को बांछित विवरण-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी न किसी अवधि के लिए भंडारागार निगम को अपने पैसे का प्रयोग करना पड़ता है। हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के भुगतान के विषय में समिति संस्तुति करती है कि भुगतान हेतु अग्रिम प्राप्त किये जाने के विषय में समुचित प्रयत्न किए जाने चाहिये। समिति ठेकेदारों के भुगतान के विषय में यह संस्तुति करती है कि व्यवहारिता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय स्तर के आधार पर रनिंग पेमेन्ट की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कुछ शिकायतें कानपुर, मेरठ, आगरा और हापुड़ आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं जिनमें कि गम्भीर आरोप लगाये गए हैं। समिति अभी तक इन शिकायतों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी है।

6—तकनीकी भंडारण

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से माल का भंडारण किया जाता है। प्रत्येक केन्द्र पर भंडारगृह प्रबन्धक अथवा तकनीकी सहायक नियुक्त किए जाते हैं जो कि केन्द्रीय भंडारागार निगम द्वारा आयोजित 4-6 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता बी० एस-सी० होती है। भंडारगृह प्रबन्धक के पद हेतु लेखाकार के संवर्ग से प्रोन्नति भी होती है। प्रोन्नति से पूर्व केन्द्रीय भंडारागार निगम द्वारा आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है। समिति की जानकारी में यह बात आई है कि भंडारागार निगम के पास एक अपना टेक्निकल सेल है। समिति ने इस तकनीकी सेल को अधिक प्रभावी नहीं पाया है। समिति संस्तुति करती है कि तकनीकी भंडारण की बात को दृष्टिगत रखते हुये विशेष रूप से एक टेक्निकल सेल ऐसा होना चाहिये जिसमें तकनीकी भंडारण से संबंधित जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं अनुभवी अधिकारी हों। समिति यह भी संस्तुति करती है कि प्रत्येक पच्ची वर्ष में कम से कम दो बार तकनीकी सेल द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी गोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाना चाहिये। ऐसा करने से तकनीकी भंडारण से सम्बद्ध स्टाफ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा और अपने तकनीकी ज्ञान की भी वृद्धि कर सकेगा।

राज्य भंडारागार निगम द्वारा सामग्री के तकनीकी भंडारण हेतु इन्सेवटीसाइड्स, फ्यूमी-गेन्ट्स, डैनेज (चटाई व पालीथीन शीट्स) आदि की आवश्यकता होती है। आवश्यकता का अनुमान अनुबंधित क्षमता के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए क्षेत्रीय अधीक्षकों की संस्तुति के आधार पर लगाया जाता है। अधिकतर सामग्री सेन्ट्रल परचेज कमेटी द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की जाती है तथा क्षेत्रीय स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। क्षेत्रीय स्तर से केन्द्रों की मांग के अनुसार आपूर्ति की जाती है।

समिति को अपेक्षित सामग्री की खरीद के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई कि निगम सेन्ट्रल परचेज कमेटी द्वारा निर्धारित दरों पर खरीद के लिये बाध्य नहीं है। इन्सेवटीसाइड्स, डैनेज से संबंधित खरीद के विषय में समिति संस्तुति करती है कि सेन्ट्रल परचेज कमेटी के अतिरिक्त अन्य राजकीय रेंट कन्ट्रेक्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये और यदि संभव हो तो निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के आधार पर उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रयास करना चाहिये। ऐसा करने से अपेक्षित सामग्री की खरीद की दरों में अवश्य ही कमी आयेगी जोकि आर्थिक दृष्टिकोण से निगम के हित में होगा।

समिति टेक्निकल इक्विपमेंट्स के संबंध में यह संस्तुति करती है कि प्रत्येक भंडार गृह पर पूर्णरूप से टेक्निकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराये जाने चाहिये ताकि तकनीकी भंडारण में अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके।

राज्य भंडारागार निगम द्वारा तकनीकी भंडारण को ध्यान में रखते हुये गुड़ व राब जैसी वस्तुओं के भंडारण हेतु कोई ठोस कदम उठाये गये प्रतीत नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़ व राब का भारी उत्पादन होता है तथा इससे संबंधित बड़ी मण्डियां भी हैं। अतः समिति संस्तुति करती है कि गुड़ व राब से संबंधित मुख्य मण्डियों के केन्द्रों पर तकनीकी भंडारण की सुविधा प्रदान किये जाने के विषय में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये।

समिति अभी तक कुण्डेश्वरी भूमि से सम्बन्धित विवाद में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है और न वह स्थल निरीक्षण ही कर सकी है। समिति के सामने जसवन्तनगर में निजी संप्रभण द्वारा प्राप्त पट्टे की जमीन का विषय भी विचाराधीन है जिसमें कि भराई आदि पर अत्यधिक व्यय होने की सम्भावना है।

समिति इस बात के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त अपने सुझाव अन्तिम प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत कर सके।

समिति, सचिव, विधान परिषद्, उ० प्र०, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी व अन्य समिति से सम्बन्धित कर्मचारियों की अत्यंत आभारी है जिन्होंने कठिन परिश्रम करके समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन को तैयार करने में योगदान दिया।

समिति, माननीय सभापति, विधान परिषद् की भी अत्यन्त आभारी है जिन्होंने इस समिति का कार्यकाल इसके महत्व की दृष्टिगत रखते हुये, समय-समय पर बढ़ाये जाने की कृपा की।

दिनांक 7 फरवरी, 1980

मुलायम सिंह यादव
सभापति।

परिशिष्ट—“क”

UTTAR PRADESH RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD.
(A STATE GOVT. UNDERTAKING)SRI P. N. ROY,
Managing Director,3, Sarojini Naidu Marg,
Lucknow-226001

Reference No. : 4814/80C-RI-N76, dated December 13, 1976

MY DEAR SRI KHAZAN SINGH,

A meeting was held in the room of Sri S. B. Lal, Special Secretary, Co-operative Department on December 8, 1976 followed with a meeting in my room on December 10, 1976 regarding taking up work of warehousing Corporation by Nirman Nigam. In both these meetings yourself as well as myself were present. As an outcome of these meetings it has been decided that warehouses on the following places will be constructed by this Corporation and completed by June 30, 1977 :

						Estimated Cost Lakhs
						MT
1. Aligarh	..	..	..	..	30,000	45.00
2. Hathras	..	..	..	..	10,000	15.00
3. Allahabad	..	..	..	..	15,000	22.50
4. Orai	..	..	..	..	15,000	22.50
5. Kanpur	..	..	..	..	15,000	22.50
6. Varanasi	..	..	..	..	15,000	22.50
7. Mathura	..	..	..	..	5,000	7.50
8. Koshikalan	..	..	..	..	5,000	7.50
9. Thakurdwara	..	..	..	..	5,000	7.50
Total					1,15,000	1,72.50

It was informed that the land is at present available at few places only e.g. Aligarh and Orai We can go ahead with the work as soon as the drawings are available from your organisation. As regards other places we were informed that the lands are expected to be available within a week or so and there after we can take up the work at these places also.

It was decided that all these works will be done by us on the basis of U. P. Government G.O. dated February 19, 1976 copy of which is enclosed herewith for ready reference. According to this G. O. Nirman Nigam is doing work as 'Deposit Work' on the basis of actual cost plus 15 per cent for overheads etc. On similar basis we are doing a number of works for other U. P. Government Corporations like U. P. Financial Corporation,— U. P. Sugar Corporation, etc. and as a special case this facility has been extended in your case also.

We will be responsible for complete supervision, construction and stability of the structures and it will not be necessary to supervise these works from any body from your side. Estimated value (As mentioned above) will have to be

deposited by you in instalments with us and after the completion of the projects we shall be rendering you complete accounts and any amount remaining balance with us will be returned to you.

It was decided that 25 per cent of the estimated value will be deposited by you with us as first instalment and thereafter we shall be demanding monthly instalments from you according to our requirements depending on the progress of works. We shall submit to you approximate cash flow in advance for this purpose.

We shall be grateful if 43 lakhs are deposited with us as first 25 per cent instalment immediately so that we may take up the works.

With regards.

Yours sincerely,
P. N. ROY.

SRI KHAZAN SINGH,
Managing Director,
U. P. Warehousing Corporation Ltd.
Nishatgani,
Lucknow.

MY DEAR SRI LAL,

I endorse a copy of my above D. O. for your kind information.

With regards.

Yours sincerely,
P. N. ROY.

SRI S. B. LAL,
Special Secretary,
Co-operative Department,
Vidhan Bhawan,
Lucknow.

परिशिष्ट-“ख”

To U.P.S./29990-Const./C—4(II)/Nirman Nigam/76-77 24/25-2-77
 THE MANAGING DIRECTOR,
 U. P. STATE NIRMAN NIGAM,
 LUCKNOW.

Subject : Construction of Warehouses where the work is taken up by the Nirman Nigam

SIR,

I have to inform you that at some places, the work is being started by your field units without the approval of layout plan, plinth level etc. Our Chairman visited the site of Kosikalan in February 22, 1977 and was not satisfied with the work inspected by him at the site.

I have therefore to request you to obtain prior approval of the layouts etc., from us before the work is actually taken up for construction by you.

It is further brought to your notice that staff and chowkidar quarters and offices for the Warehouse Managers and Guest house are also required. It would be appreciable if provision for the same is also made.

Yours faithfully,
 M. M. GARG,
 Superintendent Engineer.

प्रेषक

महेन्द्र प्रकाश,
 उप सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक फरवरी 19, 1976

विषय—उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्माण कार्यों के संपादन हेतु सेन्टेज चार्ज का दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री पी० एन० राय, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० के पत्र संख्या 613/2ई० आर०एन०एन०-75 दिनांक 19 अगस्त, 1975 के सम्बन्ध में जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित है, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिन कार्यों का निष्पादन वह “डिपोजिट काम” की तरह करेगा अथवा कर रहा है, उन पर कार्य की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत की दर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० को सेन्टेज चार्ज देने के लिये आपको अधिकृत करते हैं।

2—यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय संख्या ई०-8-699, दिनांक 11-2-76 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
 महेन्द्र प्रकाश,
 उप सचिव।

संख्या 796 (1) सी0बी0-23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, को प्रेषित ।

आज्ञा से,
महेन्द्र प्रकाश,
उप सचिव ।

संख्या 796 (2) सी0बी0-23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- 1—अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
- 2—श्री पी0 एन0 राय, प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ।
मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय भवन, लखनऊ ।
- 3—वित्त (ई-8) अनुभाग/सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-10

आज्ञा से,
महेन्द्र प्रकाश,
उप सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्
को
वेयर हाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग समिति
का
द्वितीय अन्तरिम प्रतिवेदन



[दिनांक 11 मार्च, 1981 को प्रस्तुत किया गया]

विधान परिषद सचिवालय
उत्तर प्रदेश
1981

विधान परिषद् सचिवालय के पदाधिकारी

- 1—श्री गोवर्द्धन लाल शुक्ल, सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।**
- 2—श्री हरिनन्दन शरण भटनागर, उप सचिव ।**

सब्रिति के गठन का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 27 मार्च, 1979 की बैठक में सर्वेसर्ी रनेश सिन्हा व गृह प्रसाद द्वारा नियम 105 के अन्तर्गत एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका विषय "नैनीताल जिले के एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि 9 लाख रुपये में बेयर हाउसिंग कारपोरेशन को बेच दिये जाने के संबंध में" था ।

उक्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा सूचना की ग्राह्यता पर विचार प्रकट करते समय माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा था कि जो प्रश्न उठाया गया है उस संबंध में जांच की जायगी और संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी । उक्त बैठक में विचार-विमर्श के मध्य विषय की गम्भीरता पर प्रकाल डाला गया । माननीय सभापति जी द्वारा उक्त तिथि की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय को स्थगित रखा और उन्होंने सदन को यह परामर्श दिया कि कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे । जिससे सदन की गरिमा बनी रहे और इस समस्या का हल निकल आये ।

दिनांक 27 मार्च, 1979 को ही 32 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षरित एक अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश बेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा अधिक मूल्य पर जमीन खरीद कर अनुचित लाभ पहुंचाने के संबंध में सदन की एक जांच समिति के गठन किये जाने की मांग की गई थी । माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि प्रश्नगत विषय पर सदन की समिति गठित किया जना सदन की गरिमा के उपयुक्त नहीं होगा । अतः उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं कार्य-प्रणाली पर सूचना प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके माननीय सदस्यों की घोषणा दिनांक 15 जून, 1979 को सदन में की गई ।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28 मार्च, 1979 को माननीय सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह) द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि जिला नैनीताल के कुण्डेश्वरी में भंडार-गृह बनाने की योजना को रद्द कर दिया गया है और जो बयनामा हुआ था उसको भी वापस कर दिया जायेगा । इस संबंध में जो जमीन श्री गोविन्द सिंह की थी उन्होंने लिखकर दे दिया है और तीन लाख का अग्रिम चेक भी दे दिया है और कहा है कि सेल डीड आदि की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कर दी जायेगी ।

प्रश्नगत विषय की महत्वता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि विषय लोक सभा में श्री सी० एम० स्टीफेन व राज्य सभा में श्री कल्पनाथ राय द्वारा उठाया गया । लोक सभा में प्रश्नगत विषय दिनांक 30 मार्च, 1979 व दिनांक 20 अप्रैल, 1979 को उठाया गया जबकि राज्य सभा में प्रश्नगत विषय दिनांक 28 मार्च, 1979 को ही उठाया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बेयरहाउसिंग के संचालन एवं बंकिंग की समिति द्वारा एक अन्तरिम प्रतिवेदन सदन की दिनांक 7 फरवरी, 1980 की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें

समिति द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 तक किये गये कार्यों का समावेश था। इस समिति में वे ही माननीय सदस्य रहे जो समिति के गठन के समय थे जो कि निम्नवत् हैं :—

1—श्री मुलायम सिंह यादव,	सभापति "समिति"
2—श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना,	सदस्य
3—श्री महिपाल सिंह शास्त्री,	सदस्य
4—श्री राज बिहारी सिंह,	सदस्य
5—श्री राम शंकर त्रिपाठी,	सदस्य
6—श्री राम चन्द्र आजाद,	सदस्य
7—श्री रमेश चन्द्र शर्मा 'विकट',	सदस्य
8—श्री गुरु प्रसाद,	सदस्य
9—श्री राज कुमार सामा,	सदस्य
10—श्री ज्ञानी हरिन्दर सिंह	सदस्य
11—श्री भोला दत्त पांडे,	सदस्य
12—डा० विश्वनाथ खन्ना,	सदस्य
13—कु० सरस्वती अम्माल,	सदस्या

श्री राज कुमार सामा, सदस्य, विधान परिषद् का कार्यकाल दिनांक 5 मई, 1980 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर माननीय सभापति द्वारा श्री मधुबन सिंह को समिति को सदस्य मनोनीत किया गया।

समिति ने राज्य भंडारागार निगम के अतिरिक्त अन्य ऐसे निगमों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझा जिनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम से है—जैसे भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय भंडारागार निगम आदि। अन्य राज्यों में स्थित राज्य भंडारागार निगम का तुलनात्मक अध्ययन करने के आशय से समिति ने दक्षिण राज्यों का दौरा किया लेकिन सदन की बैठक होने के कारण समिति आधा ही दौरा करके अपने राज्य वापस आ गई। दक्षिणी राज्यों के मध्य तमिलनाडु राज्य भंडारागार निगम से विचार-विमर्श का समय प्राप्त हुआ। केरल राज्य में विधान सभा के चुनाव होने के कारण वहां के राज्य भंडारागार निगम से समिति विचार-विमर्श नहीं कर सकी। समिति ने विस्तृत रूप से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की प्रक्रिया व कार्य-प्रणाली पर जिनका अध्ययन किया और अन्तरिम प्रतिवेदन में किये गये वर्गीकरण के अनुरूप निम्नलिखित के अन्तर्गत समिति के सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं:—

- 1—उद्देश्य एवं प्रशासन,
- 2—भूमि का प्राप्त किया जाना,
- 3—भंडार-गृहों का निर्माण,
- 4—भंडारण क्षमता,
- 5—हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट,
- 6—तकनीकी भंडारण।

1—उद्देश्य एवं प्रशासन

समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में राज्य भंडारागार निगम की स्थापना के उद्देश्य को अधूरा माना था चूंकि कृषकवर्ग को उसकी उपज का उचित लाभ प्राप्त होने और उसकी उपज का भंडारण करने के लक्ष्य हेतु निगम की स्थापना हुई थी किन्तु कृषक वर्ग का शायद ही लेश-मात्र का कहीं भंडारण हुआ हो।

समिति सबल संस्तुति करती है कि निगम की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषक वर्ग को अपनी उपज के भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम दृष्टिकोणों से भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

कृषक वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु समिति अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में संस्तुति कर चुकी है ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का ढांचा बहुत ही लचीला है । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि निगम को निश्चित प्रणाली न अपनाये जाने के कारण कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है और कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं हैं ।

प्रोन्नतियों में निगम द्वारा प्राकृतिक न्याय तक को दृष्टिगत नहीं रखा गया है । प्रोन्नति के विषय में समिति चार उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है:—

1—श्री इन्द्र रमण सिंह को 550 रु० के ग्रेड ऐ २० 800 के ग्रेड में 12 आदमियों से कनिष्ठ होते हुए भी निगम की कार्यकारी समिति द्वारा प्रोन्नति कर दिया गया । इस विषय में समिति ने निगम के प्रबन्ध निदेशक का दिनांक 7 नवम्बर, 1979 को साक्ष्य लिया । साक्ष्य में समिति को कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये और अन्त में यह कहा गया कि 12 आदमियों का सुपरसेशन किस आधार पर हुआ है उससे संबंधित जानकारी के कारण को जैसे कार्य का ठीक न होना, चरित्र पंजीकाओं में प्रतिकूल प्रतिविष्टियों का होना, जानकारी करने के बाद में बता दिया जायेगा । समिति को खेद है कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस विषय में कोई सूचना आश्वासन देने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराई गई । समिति निगम का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहती है कि समिति को जो भी सूचना निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई वह बार-बार लिखित रूप से कहने के उपरान्त अपूर्ण, असंतोषजनक एवं अस्पष्ट रही प्राप्त सूचना के अनुसार समिति श्री इन्द्र रमण सिंह की प्रोन्नति को अन्यायपूर्ण मानती है ।

2—समिति की जानकारी में उक्त प्रकार के ही विषय से संबंधित यह भी बात आई कि श्री एच० जे० मैसी जो राज्य भंडारागार निगम में लिपिक के पद पर नियुक्त किये गये थे, को वर्ष 1978 में निगम द्वारा कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया । इस प्रोन्नति के समय श्री मैसी से ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारी निगम में उपलब्ध थे, जिनकी प्रथम नियुक्ति प्राविधिक सहायक के पद पर हुयी थी । समिति इस प्रोन्नति को अनियमित मानती है ।

3—समिति की जानकारी में यह भी बात आई कि श्री अमर चन्द्र गुप्त राज्य भंडारागार निगम में रट्टीन क्लर्क के पद पर नियुक्त किये गये थे, को वर्ष 1972-73 में निगम द्वारा भंडार-प्रबन्धक “ए” ग्रेड पर प्रोन्नत कर दिया गया । इस प्रोन्नति के समय श्री गुप्त से ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारी निगम में उपलब्ध थे जिनकी प्रथम नियुक्ति प्राविधिक सहायक के पद पर हुई थी । समिति इस प्रोन्नति को अनियमित मानती है ।

4—प्रचार सहायक व प्रचार अधिकारी के पद निगम द्वारा मुख्यालय पर सृजित किये गये और इन पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्तियों की गईं । इस बात से स्पष्ट है कि प्रचार संबंधी कार्य मुख्यालय पर केंद्रित था । प्रचार सहायक का स्थानान्तरण जैसा कि समिति को सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके अनुरोध पर वाराणसी में गोदाम कीपर के पद पर कर दिया गया ।

समिति की राय में प्रचार से संबंधित जो नियुक्तियाँ की गई थीं अवश्य ही कुछ न कुछ इस विषय में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी गई होगी। इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक का साक्ष्य भी लिया गया पर उनके द्वारा कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर समिति को प्राप्त नहीं कराया गया।

सर्वश्री इन्द्र रमण सिंह, एच० जे० मैसी व अमर चन्द्र गुप्त की प्रोन्नति के प्रतिरिक्त अन्य प्रोन्नति के विषय में भी निगम द्वारा गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं।

समिति संस्तुति करती है कि राज्य भंडारागार निगम हेतु एक सेवा ट्रिब्यूनल बनाया जाये जो कि निगम में हुई समस्त प्रोन्नतियों आदि के विषय में विस्तृत जांच करें और तदनुसार प्रोन्नतियों आदि में बरती गई अनियमितताओं को दूर किया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में नियुक्तियों, प्रोन्नतियों स्थानान्तरण, निलम्बन आदि के विषय में कोई ठोस आधार नहीं अपनाया गया है और न ही किन्हीं नियमों, परिनियमों आदि का ही ध्यान रखा गया है। समिति को जो सूचना इस संबंध में निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई है वह अपूर्ण, असंतोषजनक एवं अस्पष्ट है। जिससे समिति केवल उक्त निर्णय पर ही पहुँच सकी है।

भारत का संविधान तथा उत्तर प्रदेश शासन के समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को निगम की सेवाओं में पूर्णतया आरक्षण नहीं रखा गया है। जैसा कि समिति को विदित हुआ है कि निगम को शासन की नीति के अनुसार सामान्य नियमों के अधीन राज्य भंडारागार निगम द्वारा नियुक्तियों, प्रोन्नतियों आदि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियमानुसार समुचित स्थान नहीं दिया गया है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि नियुक्तियों, प्रोन्नतियों आदि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का समुचित आरक्षण किया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का शासन स्तर पर संबंध सहकारिता विभाग से है। जैसा कि इस विषय में समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में यह संस्तुति की थी कि अन्य प्रदेशों के भंडार-गृहों के प्रशासनिक विभाग की बात को दृष्टिगत रखते हुए यह विचारणीय हो जाता है कि इस निगम का शासन स्तर पर किस विभाग से सम्बद्ध रखा जाना उपयोगी होगा। अन्तरिम प्रतिवेदन के उपरान्त इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय तक विभिन्न बातों के आभास से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का शासन स्तर पर संबंध कृषि विभाग से होना चाहिये। यदि शासन स्तर पर विभाग बदलने में किसी प्रकार के नियम बाधक हों तो समिति संस्तुति करती है कि इन नियमों को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिये।

समिति अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रशासनिक ढाँचे को विकेंद्रित करने के संबंध में सबल संस्तुति कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का प्रशासनिक ढाँचा यथाशीघ्र विकेंद्रित होना चाहिये।

समिति संस्तुति करती है कि विकेंद्रीकरण के उपरान्त क्षेत्रीय अधीक्षकों के कार्यालयों में दूरभाष की सुविधा तथा प्रत्येक क्षेत्रीय अधीक्षक को एक जीप की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये ताकि वह अपने क्षेत्र में किसी भी केंद्र पर अधिक से अधिक तीन घंटे में व्यक्तिगत रूप से पहुँच सके। ऐसा करना निगम के ही हित में नहीं अपितु जनहित में होगा।

समिति की जानकारी में यह बात आई कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में विद्यमान नियमों के अधीन कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त की आयु 55 वर्ष है । सामान्यतया उत्तर प्रदेश शासन में तृतीय वर्ग तक के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त की आयु 58 वर्ष है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त की आयु 60 वर्ष है । समिति ऐसा अनुभव करती है कि कर्मचारी वर्ग की सेवा-निवृत्त की आयु का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके कार्य पर अवश्य पड़ता है ।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में उत्तर प्रदेश शासन स्तर के समान तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त की आयु 58 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त की आयु 60 वर्ष होनी चाहिये ।

दक्षिणी राज्यों के परिभ्रमण के मध्य समिति ने तमिलनाडु राज्य भंडारागार निगम के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था । विचार-विमर्श के मध्य समिति को यह जानकारी प्राप्त हुयी थी कि तमिलनाडु राज्य भंडारागार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को विवाह व धार्मिक पर्वों पर अग्रिम की सुविधा प्रदान की जाती है । ऐसा इसलिये किया जाता है कि कर्मचारियों को अपने भविष्य निर्वाह निधि आदि से कर्ज न लेना पड़े । समिति की राय में कर्मचारियों के हित में यह एक सराहनीय कार्य है ।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को विवाह एवं धार्मिक पर्वों पर यथा संभव अग्रिम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये ।

तमिलनाडु राज्य भंडारागार निगम से समिति को यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा विभिन्न भंडार-गृहों पर भंडारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स द्वारा (norms) निर्धारित किये जाते हैं । तदनुसार रिक्त पदों पर राज्य सरकार के छटनीशुदा कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है उसके उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भर्ती की जाती है । उनके द्वारा यह भी जानकारी उपलब्ध कराई गई कि कोई भी सीधो नियुक्ति निगम में नहीं की जाती है ।

समिति संस्तुति करती है कि प्रत्येक भंडार-गृह पर भंडारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स द्वारा मानक (norms) निर्धारित किये जाने चाहिये और उसके अनुरूप कर्मचारियों की संख्या निर्धारित होनी चाहिये ।

समिति नियुक्तियों के विषय में संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार के छटनीशुदा कर्मचारियों को वरीयता देनी चाहिये । नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो रिक्त पदों का विज्ञापन दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करना चाहिये ।

समिति की जानकारी में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के विभिन्न कर्मचारियों जैसे क्षेत्रीय अधीक्षक, कार चालक आदि के यात्रा भत्ता के विषय में बहुत से ऐसे अग्रिम वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं जिनकी धनराशि लाखों रुपये में है । राज्य सरकार के नियमों के अधीन किसी भी कर्मचारी को यात्रा भत्ता से संबंधित एक अग्रिम दिये जाने के उपरान्त दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक पहले अग्रिम का समायोजन यात्रा भत्ता बीजक में न हो जाय । राज्य भंडारागार निगम द्वारा एक-एक कर्मचारी को 20 से 50 यात्रा भत्ता अग्रिमों का भुगतान किये जाने की सूचना भी समिति को प्राप्त हुई जिसका समायोजन भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ है । समिति इस विषय को अत्यधिक गम्भीरता से ले रही है और इस कार्य-प्रणाली को दोष-पूर्ण मानती है ।

समिति संस्तुति करती है कि यात्रा भत्ता अग्रिम के विषय में विस्तृत जांच कराई जाय और निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त होने वाले यात्रा भत्ता बिल का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य ही हो जाये । समिति यह भी संस्तुति करती है कि एक कर्मचारी को एक से अधिक अग्रिम नियमानुसार नहीं दिया जाना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा सिद्धांत रूप में किसी प्रकार की कोई कार्य-प्रणाली सामान्य आधार पर नहीं अपनाई गयी है, जिसके अभाव में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां ही उत्पन्न नहीं हुई हैं अपितु विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश शासन की भांति पत्रावलियों के रख-रखाव एवं कार्य से संबंधित कार्य-प्रणाली को राज्य भंडारागार निगम द्वारा तुरन्त अपनाया जाना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के स्टाफ रेगुलेशन्स बहुत पुराने बने हुए हैं जिनमें कि वर्ष 1962, 63, 65 एवं 66 में संशोधन भी हुए हैं । समिति की राय में स्टाफ रेगुलेशन्स में काफी कमियां हैं ।

समिति संस्तुति करती है कि स्टाफ रेगुलेशन्स बहुत ही विस्तार में होने चाहिये और व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार इन्हें समय-समय पर संशोधित होना चाहिये ।

समिति संस्तुति करती है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान निगम के सेवा नियम होने चाहिये ।

समिति संस्तुति करती है कि निगम में कार्यरत प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को निगम द्वारा नियमित किया जाना चाहिये जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष अथवा 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो ।

समिति संस्तुति करती है कि भंडार-गृहों पर जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये जैसे कि तमिलनाडु राज्य में की गई है ।

समिति कर्मचारियों के स्थानान्तरण और निलम्बन जो मनमाने ढंग से होते हैं और जिनका निस्तारण समय के अन्दर नहीं होता है, के विषय में संस्तुति करती है कि इस विषय में कुछ मानक (norms) होने चाहिये ।

बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के विषय में संस्तुतियां

समिति संस्तुति करती है कि राज्य भंडारागार निगम के संचालक मंडल के अध्यक्ष अथवा निदेशक जो नाम निर्देशित किये जाते हैं उनकी स्वीकृति केंद्रीय भंडारागार निगम से न लिये जाने का प्राविधान होना चाहिये ।

समिति संस्तुति करती है कि राज्य भंडारागार निगम के निदेशक मंडल को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये ।

2-भूमि का प्राप्त किया जाना

कुण्डेश्वरी भूमि की खरीद के विवाद के विषय के संबंध में समिति ने अपनी दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 को नैनीताल क्लब, नैनीताल में स्थित बैठक में विचार किया जिसमें जिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त), नैनीताल, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार, काशीपुर, जिला नैनीताल, सचिव तथा उप प्रबन्धक (निर्माण), उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम उपस्थित थे ।

1—श्री आर० पी० जोशी, एडवोकेट, ग्लाक प्रमुख, काशीपुर का पत्र अध्यक्ष, राज्य भंडारागार निगम को दिनांक 3-10-1977 ।

2—राज्य भंडारागार निगम के अधीक्षण अभियंता, के पद पर श्री एच० सी० त्यागी की नियुक्ति, दिनांक 10-1-1978 ।

3—राज्य भंडारागार निगम के अध्यक्ष पद पर श्री गुरुदत्त सोलंकी की नियुक्ति दिनांक 3-1-1978 ।

4—राज्य भंडारागार निगम के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता व अध्यक्ष का काशीपुर व कुण्डेश्वरी का दौरा, दिनांक 3-2-1978 ।

5—अध्यक्ष द्वारा अपने दौरे की रिपोर्ट का निगम को प्रस्तुतीकरण, दिनांक 25-2-1978 ।

6—रुद्रपुर भंडार-गृह के अधीक्षक द्वारा कुण्डेश्वरी की सर्वे रिपोर्ट, दिनांक 22/24 4-1978 ।

7—अध्यक्ष द्वारा कुण्डेश्वरी निवासी श्री गोविन्द सिंह को पत्र जिसमें जमीन आदि का व्योरा निगम की ओर से मांगा गया, दिनांक 8-11-1978 ।

8—श्री गोविन्द सिंह द्वारा तहसीलदार, काशीपुर के नाम जमीन के मालियत के आकलन देने हेतु प्रार्थना-पत्र, दिनांक 13-11-1978 ।

9—कुण्डेश्वरी के एक अन्य फार्मर श्री जगन्नाथ बाली का पत्र जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हुये, दिनांक 13-11-1978 ।

10—अधीक्षण अभियन्ता, राज्य भंडारागार निगम की ओर से श्री गोविन्द सिंह के नाम पत्र, दिनांक 13/15-11-1978 ।

11—तहसीलदार द्वारा मालियत प्रमाण-पत्र जो की श्री गोविन्द सिंह के प्रार्थना-पत्र पर दिया गया, दिनांक 15-11-1978 ।

12—श्री गोविन्द सिंह का भंडारागार निगम के कार्यालय में भूमि मालियत संबंधी पत्र का प्रस्तुतीकरण दिनांक 16-11-1978 ।

13—निगम के बोर्ड द्वारा जमीन की खरीद आदि के विषय में अध्यक्ष को अधिकृत किये जाने की कार्यवाही, दिनांक 5-12-1978 ।

14—श्री जगन्नाथ बाली का दूसरा पत्र भूमि बेचने के प्रस्ताव का वापस लेते हुये, दिनांक 14-12-1978 ।

15—निगम के अध्यक्ष को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग भूमि खरीदने का आदेश, दिनांक 12-1-1979 ।

16—श्री गोविन्द सिंह को 3 एकड़ भूमि का निबन्धन भण्डारागार निगम के नाम 8,70,328 रु0 दिनांक 23-1-1979।

17—क्रय की गयी भूमि का निगम की कार्यकारणी समिति द्वारा स्वीकृति दिनांक 22-2-1979।

18—कार्यकारणी समिति की स्वीकृति का निगम के संचालक मण्डल के सदस्यों का निगम की ओर से परिचालित किये जाने का पत्र दिनांक 23-3-1979।

19—संचालक मण्डल की इमरजेंट बैठक दिनांक 7-4-1979 में कुण्डेश्वरी स्थिति प्रस्तावित भण्डारागार के लिये क्रय की गयी श्री गोविन्द सिंह की भूमि को वापसी का निर्णय लिया गया।

20—कार्यकारणी समिति का भूमि संबंधी स्वीकृति निगम के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 16-6-1979।

21—निगम द्वारा श्री एच0सी0 त्यागी अधीक्षण अभियन्ता की सेवायें समाप्ति दिनांक 20-8-1979।

जैसा कि उपरिलिखित तिथियों से स्पष्ट है कि फरवरी, 1978 से अक्टूबर, 1978 के बीच भूमि की सर्वे का कार्य चलता रहा किन्तु दिनांक 8 अक्टूबर, 1978 से कार्य में तेजी आई यद्यपि निगम ने अगस्त 31 दिनांक 3 दिसम्बर 1978 की भूमि की खरीद के विषय में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को अधिकृत कर दिया था। समिति यह नहीं समझ सकी कि अधिकृत किये जाने से पूर्व ही अधीक्षण अभियन्ता राज्य भण्डारागार निगम द्वारा अर्थात् दिनांक 3 फरवरी, 1978 को किन अधिकारियों के अधीन विवादास्पद जमीन का सर्वे राज्य भण्डारागार निगम के साथ कर लिया गया और रुद्रपुर भंडार गृह अधीक्षक द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1978 को सर्वे रिपोर्ट राज्य भण्डारागार निगम को प्रस्तुत की गई।

समिति ने दिनांक 29 फरवरी, 1980 को कुण्डेश्वरी स्थित विवादास्पद भूमि का स्थल निरीक्षण किया। तहसीलदार, काशीपुर ने शिनाख्त कराई कि यह ब्रह्मी भूमि है जो श्री गोविन्द सिंह से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार ने क्रय की है। स्थल निरीक्षण के समय तहसीलदार, काशीपुर जिला नैनीताल, नायब तहसीलदार, काशीपुर, लेखपाल हल्का शिवलालपुर डल्लू, काशीपुर, सचिव तथा उप प्रबन्धक (निर्माण) राज्य भण्डारागार निगम उपस्थित थे। समिति ने स्थल निरीक्षण के समय साक्षियों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की।

जो सूचना साक्षियों द्वारा समिति को कुण्डेश्वरी स्थित भूमि की खरीद के संबंध में उपलब्ध कराई गई उसके आधार पर विवरण निम्न प्रकार है—

कुण्डेश्वरी स्थित विवादास्पद भूमि की दूर तत्कालीन तहसीलदार, काशीपुर जिला नैनीताल द्वारा 74 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकी गई थी। इस भूमि का मूल्यांकन जिस तत्परता से किया गया वह आमसीर पर देखने में नहीं आता है। इससे पूर्व 300 वर्ग फीट भूमि इसी क्षेत्र में 2000 रु0 में बेची गई थी। तहसीलदार, काशीपुर ने कुण्डेश्वरी की भूमि का मूल्यांकन नहीं किया है और न बतलाने का रुढ़ किया कि किस रेट में बयनामे उक्त क्षेत्र में उन दिनों किये गये हैं जबकि समिति के सामने यह बात साक्ष्य में आई है कि इससे 6 माह पूर्व इसी क्षेत्र में 10 हजार रु0 से 27 हजार रु0 प्रति एकड़ भूमि बेची गई है। समिति के सामने यह बात भी साक्ष्य में आई है कि श्री गोविन्द सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के पास भूमि बेचने के 4-6 माह बाद उसी क्षेत्र में जो भूमि बेची है उसका बयनामा 10 हजार रु0 प्रति एकड़ किया गया है। जिलाधिकारी, नैनीताल के साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि किसी भी हालत में कुण्डेश्वरी की भूमियों का मूल्य 8 हजार रु0 से 10 हजार रु0 प्रति एकड़ से अधिक नहीं हो सकता है। इसी के साथ सब रजिस्ट्रार, काशीपुर ने अपने साक्ष्य में समिति को कुण्डेश्वरी ग्राम में

सन्-1976 में वयनामा 18 हजार रु० प्रति एकड़ से 27 हजार रुपये प्रति एकड़ में हुए है। इसके कुछ समय पश्चात् इसी स्थान पर श्री खाली की दिनांक 21-5-79 को 4-40 एकड़ भूमि कुल 40 हजार रुपये में बिकी है।

कुण्डेश्वरी क्षेत्र में जो तीन जमीनें ऊंची दरों पर बेची जाती आती आई गई है, व जिनका संदर्भ तहसीलदार द्वारा दणित किया गया था, वह तीनों जमीनें छोटे-छोटे दुकड़ों में श्री गोविन्द सिंह की ही थीं और इन तीनों में से अंतिम भूमि राज्य भण्डारागार निगम के सोदे से लगभग एक सप्ताह पूर्व ही बेची गई थी।

इन तमाम साक्षियों को देखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कुण्डेश्वरी में किसी भी भूमि का वयनामा 27 हजार रुपये प्रति एकड़ से अधिक पर नहीं किया गया है।

नैनीताल स्थित बैठक में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा यह बताया गया कि तहसीलदार को भूमि की दरें निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार कलेक्टर को ही है। किसी भूमि की दरें निर्धारित किये जाने के विषय में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, का साक्ष्य दिनांक 26 नवम्बर, 1980 को समिति द्वारा अपनी लखनऊ में हुई बैठक में लिया गया। सचिव, राजस्व विभाग द्वारा समिति को स्पष्ट रूप से यह अवगत कराया गया कि किसी भूमि की दरें निर्धारित किये जाने का अधिकार केवल कलेक्टर को ही है। यही पर यह भी उल्लेख है कि विवादास्पद भूमि कलेक्टर द्वारा प्रमाणित नहीं थी वह केवल तहसीलदार के स्तर से ही प्रमाणित थी।

कुण्डेश्वरी स्थित विवादास्पद भूमि का जब समिति ने स्थल निरीक्षण किया तो यह भी पाया कि भूमि सड़क से 3 से 4 फुट चौड़ी थी। समिति ने यह पाया कि विवादास्पद भूमि पर धान की फसल खड़ी हुई थी। इस विषय से उपस्थित संबंधित लेखपाल द्वारा यह बताया गया कि विवादास्पद भूमि व धान की फसल पर श्री गोविन्द सिंह का कब्जा है। लेखपाल द्वारा यह भी सूचना उपलब्ध कराई गई कि विवादास्पद भूमि का अभिलेखों में दाखिल खारिज नहीं हुआ है और यह भूमि श्री गोविन्द सिंह के नाम दर्ज है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा भूमि की खरीद के विषय में समिति को यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि निगम की कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1979 को बैठक में श्री गोविन्द सिंह की कय की भूमि की स्वीकृति प्रदान करते हुए कृत कार्यवाही को अनुमोदित कर दिया गया था। निगम की कार्यकारी द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1979 को कार्यवाही को निगम के संचालक मंडल के सदस्यों में पत्र संख्या रा०भ०नि०३३४५५/सा०/1-4-1-78-79 दिनांक 23 मार्च, 1979 द्वारा परिचालित किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कार्यकारी समिति की दिनांक 22 फरवरी, 1979 की बैठक की कार्यवाही जिसमें कुण्डेश्वरी स्थित भूमि से संबंधित निर्णय था, को संचालक मंडल द्वारा दिनांक 16 जून, 1979 को बैठक में अनुमोदित किया गया था।

संचालक मंडल द्वारा अपनी दिनांक 16 जून, 1979 की बैठक में जब कुण्डेश्वरी स्थित श्री गोविन्द सिंह की भूमि को क्रय किये जाने के निर्णय की पुष्टि की जा रही थी तो इसके पहले दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को इमरजेंट बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका था कि कुण्डेश्वरी में भंडार-गृह बनाने की योजना को रद्द कर दिया जाये और श्री गोविन्द सिंह की भूमि को वापस कर दिया जाये। ऐसी स्थिति में 16 जून, 1979 को संचालक मंडल की बैठक से कार्यवाही का अनुमोदन किया जाना निरर्थक व सहज हीन हो जाता है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा कुण्डेश्वरी स्थित भूमि जो 8,70,328 रु० की खरीदी गई थी उस पर निबंधन शुल्क व स्टॉम्प पेपर आदि पर 74,155 रु० का भार स्वयं निगम द्वारा ही वहन किया गया है। समिति को यह जानकारी आश्चर्य हुआ कि 9 लाख 44 हजार रु० व्यय करने के बाद इतनी सस्ती भूमि खरी गई जिसका भार भी राज्य भण्डारागार निगम को अभी तक नहीं मिला।

समिति ने तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य भण्डारागार निगम श्री गुरुदत्त सोलंकी तथा तत्कालीन जहसीलदार, काशीपुर (नैनीताल) श्री गुरु बचन सिंह का साक्ष्य, दिनांक 9 जनवरी, 1981 को प्राप्त किया।

समिति साक्षियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कुण्डेश्वरी स्थित विवादास्पद भूमि उपलब्ध सामान्य भूमि की दरों से अत्यधिक दरों पर खरीदी गई।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में जो यह प्रश्न उठाया गया था कि कुण्डेश्वरी की यह भूमि अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए क्रय की गई है इसको सदन में पहले ही तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने दिनांक 28 मार्च, 1979 को विधान परिषद् की बैठक में स्वीकार कर लिया है उन्होंने कहा है कि 3 लाख रुपये वमूल हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 28 मार्च, 1979 की कार्यवाही के पृष्ठ संख्या 1031 से संबंधित लिये गये उद्धरण:—

× × × × ×

श्री मुलायम सिंह यादव (सहकारिता मंत्री)—

माननीय, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष की एक चिट्ठी आई है। यह उन्होंने सूचना दी है कि जो कुण्डेश्वरी में भण्डार-गृह बनाने की योजना थी वह गृह कर दी गई है और जो जमीन बचनामा हुई थी उसको भी वापस कर दिया जायेगा। इस संबंध में, श्री गोविन्द सिंह की जमीन थी उन्होंने लिखकर दे दिया है और 3 लाख का अग्रिम चेक, भी दे दिया है। चेक संख्या 153501 और 27 मार्च, 1979 तारीख है। इसको स्टेट बैंक लखनऊ में जमा कर दिया गया है। सेल डीड आदि की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कर दी जायेगी।

× × × × ×

समिति कुण्डेश्वरी भूमि के प्रकरण पर संस्तुति करती है कि तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम श्री गुरुदत्त सोलंकी ने निगम के अधिकारियों से सांड-गांठ करके अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने की नियत से निगम के धन का जानबूझ कर दुरुपयोग किया है।

समिति कुण्डेश्वरी भूमि के प्रकरण पर संस्तुति करती है कि निगम की इस क्षति को देखते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे।

समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा तथा निजी संक्रमण (प्राइवेट निगोशियेशन) द्वारा भूमि प्राप्त किये जाने के संबंध में कुछ सुझाव दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा मुख्यतया दो माध्यमों से भण्डार गृह निर्मित करने हेतु भूमि प्राप्त की जाती है जो निम्नलिखित है:—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा प्राप्त भूमि।

(ख) निजी संक्रमण (प्राइवेट निगोशियेशन) द्वारा प्राप्त भूमि।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा प्राप्त भूमि

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा 44 केन्द्रों पर भूमि ली गयी है। प्राप्त सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। प्राप्त सूचना के आधार पर जो भूमि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार

निगम ने उक्त 44 केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा ली है उनमें से केवल 7 केन्द्रों से सम्बन्धित भूमि का पूर्ण भुगतान मांग के अनुरूप कर दिया गया है शेष 37 केन्द्रों से सम्बन्धित भूमि का भुगतान किया जाना सम्भव है। जिन 37 केन्द्रों पर प्राप्त भूमि का भुगतान किया जाना शेष है उनमें से 4 केन्द्रों की भूमि की दरें बक उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा राज्य भण्डारागार निगम को सूचित नहीं की गयी है।

परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध सूचना को देखने से स्पष्ट है कि मण्डी परिषद् द्वारा जिस दर पर भूमि क्रय की गयी उससे औसतन 15 गुनी दर पर उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा भूमि की दरें निर्धारित की गयीं। समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अधिकारियों का दिनांक 26 नवम्बर, 1980 को प्रश्नगत विषय में साक्ष्य भी लिया। साक्ष्य के मध्य समिति की जानकारी में यह बात आयी कि भूमि की खरीद पर निबन्धन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क 10 प्रतिशत विकास शुल्क, भूमि की दरों में अतिरिक्त कीमत व अनफोरसीन दरें आदि जोड़कर भूमि की कीमत निर्धारित की जाती है।

समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के ऐसे विभिन्न केन्द्रों का निरीक्षण किया जिन पर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि पर भण्डार-गृह निर्मित कराये गये थे। समिति ने वास्तव में यह पाया कि विकास शुल्क जो भूमि की कीमत में सम्मिलित रहता है, के नाम पर कोई विकास उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा नहीं किया जाता है जैसे पानी, सड़क रोशनी आदि की व्यवस्था। परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध कराई गयी सूचना से समिति को यह ज्ञात नहीं हो सका कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा भूमि की दरें निर्धारित करने का ठोस आधार क्या है? चूंकि किसी केन्द्र पर अधिगृहीत भूमि की दरों से कहीं पर 20 गुना कहीं पर 17 गुना, कहीं पर 7 गुना और कहीं पर केवल 4 गुना ही दरें रखी गयी हैं।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा अध्याप्ति भूमि की दरों व राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त की जाने वाली भूमि की दरों में निर्धारण में कोई स्पष्ट प्रक्रिया अथवा ठोस आधार अपनाया जाना चाहिये।

समिति उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी से प्राप्त की जाने वाली भूमि के विषय में निम्नलिखित संस्तुति करती है कि:—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि के विषय में प्रत्येक केन्द्र, हेतु लिखित रूप से अलग-अलग अनुबन्ध होना चाहिये।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को उपलब्ध करायी गयी भूमि के पट्टे का नवीनीकरण हेतु अथवा सामान्य नियमों के अनुसार 99 वर्ष के लिये पट्टे के आधार पर भूमि प्राप्त करने हेतु शासन को व्यवस्था करना चाहिये।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् स जो भूमि की कीमत प्राप्त होती है उस पर पूर्ण रूप से विचार कर प्रयत्न किया जाना चाहिये कि दरें उचित व कम से कम हों व यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जिस आधार पर दरें निर्धारित की गयी हैं वह उचित हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि का भुगतान जल्द से जल्द कर देना चाहिये। ऐसी भूमि को राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् को भी निगम से समन्वय व सहयोग करना चाहिये।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि से संबंधित पहलुओं पर विस्तार से विचार करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न न होने पावे।

(ख) निजी संक्रमण (प्राइवेट निगोशियेशन) द्वारा प्राप्त भूमि पर जमीन मालिकों की समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भूमि क्रय करने के संबंध में संस्तुति की है। लेकिन समिति अनुभव करती है कि राज्य भंडारागार निगम के लिए भूमि अध्याप्त करने में यदि जिलाधिकारी प्रसन्न होता है और निजी संक्रमण से कोई भूमि क्रय करनी है तो उस भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी से अवश्य कराया जाये तभी वह भूमि क्रय की जाये।

समिति के सम्मुख भूमि की मालिकता से संबंधित एक ऐसा मामला आया है जिसको सुलझाना समिति आवश्यक समझती है।

टांडा स्थित भंडार-गृह

समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के टांडा स्थित भंडार-गृहों का निरीक्षण किया और स्थल निरीक्षण के समय आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की। टांडा स्थित भंडार-गृह का निर्माण हुए लगभग 6 माह हो गये हैं किन्तु भंडार-गृह पूर्णतया खली पड़ा हुआ है। निरीक्षण के समय उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से रेजीडेंट इंजीनियर व प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित थे। टांडा भंडार-गृह का निर्माण कार्य जनवरी, 1979 में प्रारंभ हुआ और लगभग मार्च, 1980 में भंडार-गृह से संबंधित कार्य पूरा हो गया। टांडा स्थित भंडार-गृह की भूमि का क्षेत्रफल 1.915 एकड़ है। यह भूमि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से 76,600 रुपये में क्रय की गई। समिति को यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि तहसीलदार, टांडा द्वारा क्रय की गई भूमि की दर 2 लाख 10 हजार रुपये प्रति एकड़ आंकी गई थी। भूमि माजिक की ओर से 48 हजार रुपये प्रति एकड़ का आफर था लेकिन भूमि के मालिक से बातचीत करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा भूमि की कीमत 40 हजार रुपये प्रति एकड़ ही तय कर ली गई हालांकि ऐसी करना निगम के हित में था। समिति यह नहीं समझ सकी कि भूमि के मालिक ने तहसीलदार, टांडा द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर जमीन क्यों और किन परिस्थितियों में बेची।

समिति ने तत्कालीन तहसीलदार टांडा (फैजाबाद) श्री क्रांति लाल वर्मा का साक्ष्य दिनांक 24 जनवरी, 1981 की बैठक में प्राप्त किया। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा साक्ष्य के माध्यम से जो तथ्य समिति को उपलब्ध कराये गये उससे समिति संतुष्ट नहीं हुई।

समिति को जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि राज्य भंडारागार निगम के लिये जो जमीन खरीदी गई उसमें तहसीलदार ने अनुमाना मूल्यांकन किया है जैसा कि टांडा में एक एकड़ भूमि का मूल्यांकन वहां के तहसीलदार ने 2 लाख 10 हजार प्रति एकड़ किया है जब कि वही भूमि 40 हजार रुपये प्रति एकड़ राज्य भंडारागार निगम ने खरीदी है। समिति यह संस्तुति करती है कि तहसीलदार द्वारा प्रमाणित दरों की जांच की जाये और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध चित्त कार्यवाही की जाये।

3--भंडार-गृहों का निर्माण

भंडार-गृहों के निर्माण के विषय में समिति कुछ संस्तुतियाँ करने अन्तर्निमित्त विवेदन में कर चुकी है। उनके संदर्भ में समिति को अग्रणी पड़ चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा अपने इंजीनियरिंग सेल से निर्माण का कार्य वर्ष 1975 में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1975 से वर्ष 1978 के मध्य लगभग 2 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के भंडारगृह निर्माण द्वारा अपने इंजीनियरिंग सेल से विभिन्न स्थानों पर निमित्त कराये गये। जिन्हें केंद्रों पर निगम द्वारा अपने इंजीनियरिंग सेल से निर्माण कार्य करवाया गया। उनमें से कुछ केंद्रों की नामावली इस प्रकार है:—वदायू, बहजोई, संधीजोई, बंशीसैऊ, शिकारपुर, जंगोपुर, आगेरा, हरिद्वार, विकासगंज, हिरादून, अलीगढ़ इन केंद्रों में अलीगढ़, आगेरा, कानपुर तथा हरिद्वार केंद्रों पर कुछ कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा भी करवाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के लगभग 8 लाख मैट्रिक टन भंडार क्षमता के भंडार-गृहों को विभिन्न केंद्रों पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य कराया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा लगभग 8 लाख मैट्रिक टन क्षमता के भंडार-गृह जो राजकीय निर्माण निगम से निमित्त कराये गये हैं, वे लगभग 40 केंद्रों पर विकेंद्रित हैं। समिति को प्राप्त सूचना के आधार पर 40 केंद्रों में से किसी भी केंद्र का अतिम रूप से लेखाजोखा राजकीय निर्माण निगम द्वारा राज्य भंडारागार निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य भंडारागार निगम द्वारा एक विशेष प्रयास साहिवाबाद में शीत गृह का निर्माण कराने का रहा। इस शीत गृह का निर्माण राज्य भंडारागार निगम द्वारा राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से कराया गया।

समिति ने साहिवाबाद स्थित शीत गृह का निरीक्षण दो बार किया। प्रथम बार उस समय जब शीत गृह के निर्माण हेतु खुदाई का कार्य चल रहा था और दूसरी बार उस समय जब शीत गृह बनकर प्रायः तैयार हो चुका था। समिति ने दिनांक 16 नवम्बर, 1980 को दूसरी बार जब साहिवाबाद स्थित शीत गृह का निरीक्षण किया तो स्थल निरीक्षण के समय उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के अधिकारियों के साथ भी लिये गये।

साहिवाबाद स्थित शीत गृह का निर्माण कार्य दिनांक 20 सितम्बर, 1979 से आरम्भ हुआ था और दिनांक 17 मार्च, 1980 को इसका एक चैम्बर जिसकी भंडारण क्षमता 2 हजार मैट्रिक टन है, में निरीक्षण के समय लकड़ी की रैक्स लगाने का कार्य तथा छोटी-मोटी मरम्मतों का कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा था।

समिति को निर्माण कार्य के अन्तर्गत सामग्री की आपूर्ति के संबंध में सूचना, उक्त साक्ष्य के मध्य यह प्राप्त हुई कि प्रस्तावित शीत गृह के निर्माण हेतु कोई लेखाजोखा प्राप्त न होकर अथवा डिजाइन, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा तैयार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध कार्य को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम ने राजकीय निर्माण निगम के ऊपर ही छोड़ दिया। समिति को राय से ऐसा करना राज्य भंडारागार निगम के स्वयं के हित में नहीं था।

समिति संस्तुति करती है कि अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में भी भंडार-गृह अथवा शीत गृह या अन्य किसी प्रकार की भंडारण क्षमता का निर्माण राज्य भंडारागार निगम के हित में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से अथवा अन्य किसी संस्था से कराया जाना हो तो भी कम से कम ले आउट प्लान, इस्टीमेट, बजट, आदि आवश्यक हो। राज्य भंडारागार निगम के इंजीनियरिंग सेल द्वारा तैयार किये जाने ज चाहिये।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि किसी दूसरी संस्था से कार्य कराये जाने की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के इंजीनियरिंग सेल द्वारा समय-समय पर कार्य का

निरीक्षण तथा कार्य के मानकों के विषय में पूर्ण जांच पड़ताल की जानी चाहिये जिससे होने वाले कार्य के मानक सुनिश्चित हो सक।

साहिबाबाद स्थित शीत गृह के निरीक्षण के समय राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर से समिति को यह जानकारी प्राप्त हुई कि शीत गृह का इस्टीमेट 51 लाख 70 हजार रुपये था जिसमें कि 4 लाख 70 हजार रुपये राज्य विद्युत परिषद को देना था। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा समिति को यह भी जानकारी उपलब्ध कराई गई कि लेआउट प्लान में जेनरेटर रूम का प्राविधान नहीं था। लकड़ियों आदि के दाम भी निर्माण कार्य के मध्य बढ़ गये तथा अनुभव न होने के कारण कन्डेंसर टैंक भी ले-आउट की क्षमता से बड़ा बनाना पड़ा जिसके कारण लगभग 1 लाख 80 हजार रु० का अतिरिक्त व्यय इस्टीमेट के अलावा आया।

समिति को एक आश्चर्यजनक बात यह भी विदित हुई कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के अध्यक्ष द्वारा साहिबाबाद स्थित शीत गृह का उद्घाटन दिनांक 17 मार्च, 1979 को किया गया। समिति की राय में उद्घाटन उस समय होना चाहिये जबकि निर्माण कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाय और जब उसमें माल आ जाये।

समिति की जानकारी में यह बात आई कि अभी तक राज्य भण्डारागार निगम को स्वतन्त्र फीडर से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो बिजली इस समय शीत गृह के लिये उपलब्ध है वह मिक्सड फीडर से मिल रही है।

समिति संस्तुति करती है कि स्वतन्त्र फीडर से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा शीघ्र से शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति करना चाहिये।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का चूंकि यह प्रथम प्रयास है अतः शीत गृह के उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित विभागों जैसे कोआपरेटिव, पी०सी०एफ०, कोआपरेटिव सोसाइटीज, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम, हाटी कल्चर कारपोरेशन आदि को सम्न्वय एवं सहयोग करने हेतु भरसक प्रयास करने चाहिये।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के विभिन्न केन्द्रों का समिति ने निरीक्षण किया। सामान्यतया समिति को स्वनिर्मित भण्डार गृहों से सम्बन्धित केन्द्रों पर एक बात देखने को मिली कि भण्डार-गृहों पर सड़कों का अनुरक्षण ठीक नहीं है। यदि किसी भण्डार-गृह का प्लास्टर गिर गया है तो गिरा हो पड़ा है। सड़क खराब है तो खराब ही पड़ी हुई है और यदि बिजली अथवा रोशनदानों में कुछ कमी है तो कमी ही बनी हुई है। समिति इस बात को गम्भीरता से लेती है कि भण्डार-गृहों का अनुरक्षण ठीक नहीं है। समिति की राय में अनुरक्षण की ओर राज्य भण्डारागार निगम को विशेष ध्यान रखना चाहिये। ऐसा न करना निगम के लिये आगे चलकर हानिप्रद होगा।

समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा अपने इन्जीनियरिंग सेल के माध्यम से भण्डार-गृहों का अनुरक्षण (Maintenance) व छोटी-मोटी टूट-फूट व सड़कों आदि की मरम्मत आदि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये।

समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके इन्जीनियरिंग सेल के सहायक अभियन्ता के स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण तीन माह में एक बार अवश्य कर लिया जाये।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के इन्जीनियरिंग सेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सहायक अभियन्ता के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई कमियों का निराकरण व्यवहारिक रूप में अधिक से अधिक 6 माह के अन्दर हो जाये ।

समिति को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा राजकीय निर्माण निगम के विभिन्न केन्द्रों पर कराये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है और यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्माण से संबंधित कार्य राज्य भण्डारागार निगम के इन्जीनियरिंग सेल द्वारा ही कराया जायेगा । समिति इस बात की सराहना करती है कि समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत इस सुझाव को निगम द्वारा कार्य के रूप में परिणित किया गया । उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के इन्जीनियरिंग सेल द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य ही किया जायेगा ।

समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के इन्जीनियरिंग सेल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु समुचित स्टाफ की उपलब्धता होना स्वाभाविक है ।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नामन (Norms) बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिये । उन मानकों के अनुरूप इन्जीनियरिंग सेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिये ।

4—भंडारण क्षमता

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के पास माह दिसम्बर, 80 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रकार की भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी:

- (क) स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता लगभग 8,25,000 मैट्रिक टन
- (ख) किराये की भण्डारण क्षमता लगभग 4,35,000 मैट्रिक टन

12,60,000 मैट्रिक टन

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के पास वर्ष 1975-76 में केवल 31,700 मैट्रिक टन की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता थी जो दिनांक 30 नवम्बर, 1980 को बढ़कर लगभग 8,25,000 मैट्रिक टन हो गई है । जो देश में कार्यरत समस्त राज्य भण्डारागार निगमों की तुलना में सर्वाधिक है ।

वर्तमान में सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में 16 राज्य भण्डारागार निगम स्थापित हैं । समिति ने इस बात की जानकारी प्राप्त की कि विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य भण्डारागार निगमों की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता कितनी है । समिति ने जो आंकड़े इकट्ठा किये वह परिशिष्ट 'ख' पर तुलनात्मक विवरण के रूप में उपलब्ध हैं । मोटे तौर पर सम्पूर्ण देश में समस्त राज्य भण्डारागार निगमों की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता दिनांक 31 मार्च, 1980 को 24.39 लाख मैट्रिक टन थी । इस भण्डारण क्षमता में से केवल उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की भण्डारण क्षमता 7.74 लाख मैट्रिक टन थी । परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध तुलनात्मक विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि विगत 5 वित्तीय वर्षों में (दिनांक 31 मार्च, 1980 तक) देश में कुल 15.124 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण हुआ जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा 7.42

साख मैट्रिक टन क्षमता का निर्माण कार्य कराया गया। समिति की राय में यह एक सराहनीय कार्य है।

अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लिखित भण्डारण क्षमता एवं वर्तमान में उपलब्ध भण्डारण क्षमता में कमी के अन्तर का कारण किराये की क्षमता की उपयोगिता न होने के कारण, समिति द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत सुझाव के अनुरूप किराये की क्षमता को छोड़ा जाना है।

भण्डारण क्षमता के विषय में समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। उक्त सुझाव प्रस्तुत करने के उपरान्त समिति जिन निष्कर्षों पर पहुँची है उसके आधार पर आगे सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

समिति को विशेष जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्यों में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की भण्डारण क्षमता को वरीयता प्रदान नहीं की जाती है। निजी गोदामों अथवा अन्य संस्थाओं के गोदामों आदि में भी भण्डारण कराया जाता है। समिति की राय में यह पूर्णतया अनुचित है जबकि भण्डारण कार्य हेतु विशेष रूप से राज्यों में भण्डारागार निगम की भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो।

समिति को जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों अथवा भंशा के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा युद्ध स्तर पर भण्डारण क्षमता का कार्य कराया गया था। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों तथा राज्य भण्डारागार निगम द्वारा कृषक वर्ग को उपज के भण्डारण हेतु प्रोत्साहित न करने की बात को दृष्टिगत रखते हुए यह निश्चित है कि राज्य भण्डारागार निगम की काफी भण्डारण क्षमता रिक्त रहेगी।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता की 90 प्रतिशत उपयोगिता हेतु सरकार द्वारा गारन्टी दी जानी चाहिये अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा गारन्टी दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

समिति संस्तुति करती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता की 90 प्रतिशत भण्डारण की गारन्टी दिया जाना सरकार द्वारा सम्भव न हो तो कम से कम वास्तविक रूप में स्वनिर्मित वाली भण्डारण क्षमता का 50 प्रतिशत सब्सिडी स्वीकार की जानी चाहिये। ताकि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को किन्हीं परिस्थितियों में एकाएक नुकसान न हो सके।

समिति द्वारा दक्षिण राज्यों के परिभ्रमण के मध्य तामिलनाडू राज्य भण्डारागार निगम के अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया गया था तामिलनाडू राज्य सरकार द्वारा तामिलनाडू राज्य भण्डारागार निगम को "स्टोरेज एजेन्सी" घोषित किया गया है और वहाँ पर राज्य भण्डारागार निगम के अलावा कोई अन्य संस्था भण्डारण का कार्य नहीं करती है। तामिलनाडू राज्य भण्डारागार निगम को प्रोत्साहित करने के लिये तामिलनाडू राज्य सरकार का यह कदम अनुकरणीय है।

समिति संस्तुति करती है कि तामिलनाडू राज्य के समान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को "स्टोरेज एजेन्सी" घोषित किया जाना चाहिये ताकि भण्डारण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य में केवल एक ही संस्था द्वारा किया जा सके।

समिति की जानकारी में एक विशेष बात यह आई कि भारत सरकार द्वारा उर्वरक से सम्बन्धित भण्डारण का कार्य दिनांक 1 मार्च, 1976 से भारतीय खाद्य निगम को विद्यमान शर्तों व अनुबन्धों के अधीन हस्तांतरित किया गया था।

भारत सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय की ओर से दिनांक 26 जून, 1976 के पत्र के माध्यम से (कृपया देखें परिशिष्ट "ग") यह आश्वासित किया गया था कि उर्वरक की भण्डारण दरें केन्द्रीय भण्डारागार निगम की दरों के समकक्ष कर दी गई हैं। इतना ही नहीं भारतीय खाद्य निगम के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी दिनांक 28 दिसम्बर, 1976 के माध्यम से (कृपया देखें परिशिष्ट "घ") केन्द्रीय भण्डारागार निगम की दरों के समान दर रुपये 3.10 प्रति मैट्रिक टन प्रतिमाह किये जाने की पुष्टि भी की गई जिसकी पृष्ठांकित प्रतियां भारतीय खाद्य निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम आदि को प्रेषित की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1979 तक की उर्वरक की भण्डारण क्षमता का भुगतान रुपये 3.10 प्रति मैट्रिक टन प्रति माह की दर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया। इसके उपरान्त भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकाएक उर्वरक की भण्डारण क्षमता का भुगतान रुपये 2.80 प्रति मैट्रिक टन प्रति माह की दर से किया जाने लगा और रु 3.10 व रु 2.80 के अन्तर को जो लगभग 54 लाख रुपये था, की कटौती भी आगे के भुगतान से कर ली गई।

समिति ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण पाया और दिल्ली जाकर इस विषय को दिनांक 17 नवम्बर, 1980 को भारतीय खाद्य निगम के उच्च अधिकारियों जैसे प्रबंध निदेशक, कामर्शियल मैनेजर, जनरल मैनेजर (फटिलाइजर), जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर आदि थे, के साथ भी लिये।

साक्ष्य के मध्य समिति को आश्वासित किया गया कि उर्वरक की भण्डारण क्षमता के विषय में एक कमेटी बनाई जायेगी जिसमें केन्द्रीय भण्डारागार निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रतिनिधि होंगे। उसके द्वारा पूर्ण स्थित का अध्ययन किया जायेगा। समिति को यह भी आश्वासित किया गया कि प्रश्नगत विषय को मार्च, 1981 में पहले ही तय करा दिया जायेगा।

समिति की राय में उर्वरक की भण्डारण क्षमता का भुगतान रु 3.10 प्रति मैट्रिक टन प्रति माह किया गया था वह उचित था और पूरी तौर से लिखा-पढ़ी के अधीन था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मद में कटौती नहीं किया जाना चाहिये।

समिति यह संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम अथवा किसी अन्य संस्था से भण्डारण क्षमता के लिये लिखित अनुबंध किया जाना चाहिये ताकि भण्डारण के विषय में कोई वाद-विवाद न हो।

समिति आशा करती है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप एक समिति गठित की जायेगी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम केन्द्रीय भण्डारागार निगम व भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि होंगे और उनके द्वारा अवश्य ही अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दी जानी चाहिये ताकि दिनांक 31 मार्च, 1981 के पूर्व ही किराये के मद में की गई असमानता का निवारण हो सके।

समिति की जानकारी में यह बात भी आई कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण क्षमता के किराये के भुगतान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को किया जाता है, में से कुछ कटौतियां कर ली जाती हैं। समिति की राय में ऐसा करना न्याय संगत नहीं है यदि किसी प्रकार के दावे किन्हीं कारणों से किया जाना आवश्यक हो तो उसकी वमूली के लिये अलग से लिखा-पढ़ी करके भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को दावे प्रस्तुत करना चाहिये। वगैर दावा प्रस्तुत किये किराये में एकतरफा की कटौती कर लेना प्राकृतिक न्याय के भी प्रतिकूल है।

कमी व दावों आदि की कटौती के विषय में समिति को भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली का एक पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1980 भी प्राप्त हुआ। (कृपया देखें परिशिष्ट "ड") जिसमें कि समस्त जोनल मैनेजर व ज्येष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक आदि को निर्देशित किया गया था कि कमी व छीजें आदि के दावे के भुगतान की कटौती किसी प्रकार के बीजकों से न की जाये और इस विषय में संबंधित निगमों को अलग से दावे प्रस्तुत किये जायें।

समिति संस्तुति करती है कि भारतीय खाद्य निगम को अपने मुख्यालय के आदेशों के परिपालन के विषय में सुनिश्चित करना चाहिये कि कहीं निगम की मंशा के विरुद्ध दावों की कटौती भुगतान किये जाने वाले बीजकों से तो नहीं की जा रही है।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमी व छीज से संबंधित जो भी कटौतियां उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के बीजकों से कर ली गई हैं, की धनराशि की वापसी तुरन्त करनी चाहिये ताकि भारतीय खाद्य निगम की स्वयं की मंशा की पूर्ति हो सके।

समिति ऐसा अनुभव करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम व भारतीय खाद्य निगम के संबंध मधुर नहीं हैं। वर्ष 1978 में केन्द्रीय भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम से हरदोई, बलिया, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर, मसौदा, खालीलाबाद व बस्ती केन्द्र हस्तान्तरित किये गये और हस्तान्तरण की तिथि के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे हुए उर्वरक का भुगतान केन्द्रीय भण्डारागार निगम को रुपये 3.10 प्रति मैट्रिक टन प्रतिमाह की दर से किया जाने लगा जबकि हस्तान्तरण के ठीक पूर्ण उन्हीं गोदामों में रखे हुए उर्वरक का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को रुपये 2.80 प्रति मैट्रिक टन की दर से किया गया।

समिति संस्तुति करती है कि नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को भारतीय खाद्य निगम से मधुर संबंध स्थापित रखना चाहिये और इस विषय में भारतीय खाद्य निगम को भी समन्वय स्थापित करना चाहिये।

समिति संस्तुति करती है कि यदि भारतीय खाद्य निगम व राज्य भण्डारागार निगम के बीच में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद होता उसके निस्तारण के लिये दोनों संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक जांच समिति होनी चाहिये जिसके द्वारा विवादास्पद विषय पर निर्णय किया जाय।

समिति को उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा यह भी सूचना प्राप्त हुई कि प्रत्येक केन्द्र से कमी व छीज से संबंधित विवरण जो लेखे के दृष्टिकोण से होता है सीधे भारतीय खाद्य निगम के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह भेजा जाता है। इस विवरण की प्रति तक उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के मुख्यालय पर केन्द्रों द्वारा नहीं भेजी जाती है। समिति की राय में ऐसा होना पूर्णतया अनुचित है क्योंकि केन्द्र द्वारा कोई ऐसी सूचना या विवरण ऐसी अन्य संस्थाओं को न भेजा जाना चाहिये जिसकी सूचना मुख्यालय पर न हो।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रत्येक केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पूर्व माह में कमी व छीज से संबंधित सूचना मुख्यालय पर अवश्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये और मुख्यालय द्वारा प्रत्येक केन्द्र की अलग-अलग इस विषय में पत्रा-वलिया बनाकर इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये इकट्ठा करना चाहिये और कमी आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में प्राप्त विवरणों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र का वार्षिक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाना चाहिये।

समिति संस्तुति करती है कि प्रत्येक केन्द्र का वार्षिक तुलनात्मक विवरण का अध्ययन करने के उपरान्त यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किस केन्द्र पर आमद के औसत में कितनी छीज व कमी अधिकतम है। इसके आधार पर भंडार-गृह प्रबन्धकों का स्थानान्तरण किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किये गये तुलनात्मक विवरण के अनुसार संबंधित भंडार गृह प्रबन्धकों की इन्ट्रीप्रिटी लिखित रूप में निश्चित की जानी चाहिये और इसके परिणामों से संबंधित सभी कर्म-चारियों को भी अवगत कराना चाहिये।

समिति की राय में यदि उपरोक्त सुझावों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जायेगा तो अवश्य ही छीज व कमी के दामों में कमी ही नहीं आयेगी अपितु कर्मचारियों की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित हो सकेगी। स्वनिर्मित भंडारण क्षमता के उपयोग के विषय में कुछ सुझाव समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में दिये गये थे। स्वनिर्मित भंडारण क्षमता को शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य भंडारागार निगम को कृषक वर्ग को प्रोत्साहित करना परमावश्यक है।

जैसा कि समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की कुल भंडारण क्षमता का लगभग 75 प्रतिशत भंडारण क्षमता किसी न किसी अवधि के लिये सार्वजनिक जैसे इफको, श्रीराम केमिकल्स, मद्रास फटिलाइजर्स, भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि से अनुबंधित है। पूर्व में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम से जो भंडारण क्षमता प्राप्त की जाती थी वह अनुबंध 5 वर्ष की अवधि के लिये होता था। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्व के अनुरूप 5 वर्ष की अवधि के लिये आरक्षण अनुबंध नहीं किया जाता है। केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप थोड़ी अवधि अर्थात् 3 से 6 माह के लिये आरक्षण अनुबंध किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इस अनुबंध की अवधि आगे बढ़ा दी जाती है।

समिति की राय में पहले 5 वर्षों की अवधि के लिये आरक्षण अनुबंध होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की आरक्षित भंडारण क्षमता का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता था, चाहे आरक्षण क्षमता में माल रहा हो अथवा न रहा हो किन्तु जब प्रक्रिया बदल जाने के फल स्वरूप वास्तविक भण्डारण का ही भण्डारण शुल्क उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के लाभ पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और उसकी काफी भंडारण क्षमता खाली पड़ी रहेगी।

समिति ने स्थल निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि भारतीय खाद्य निगम जैसी संस्था का काफी भंडारण "किराये की भण्डारण क्षमता" ओपेन स्पेस में है। समिति ने किराये की भंडारण क्षमता में रखे हुये भारतीय खाद्य निगम के माल को ही नहीं देखा अपितु रखने के ढंग तथा किराये के भण्डारण के स्थान को अन्य दृष्टिकोणों से भी देखा। किराये की भण्डारण क्षमता में माल को वैज्ञानिक ढंग से नहीं रखा जा सकता है।

समिति संस्तुति करती है कि भारतीय खाद्य निगम को "किराये की भण्डारण क्षमता" या ओपेन स्पेस की अपेक्षा वैज्ञानिक ढंग से बने हुये राज्य भंडारागार निगम की निर्मित भण्डार क्षमता में ही अधिक से अधिक भण्डारण करना चाहिये।

(ख) किराये की भण्डारण क्षमता

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के पास लगभग 130 केन्द्रों पर किराये की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। समिति ने विभिन्न केन्द्रों का निरीक्षण किया और ऐसे केन्द्रों को भी देखा जहाँ किराये की भण्डारण क्षमता उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के पास उपलब्ध थी। सामान्य रूप से समिति ने यह पाया कि किराये की भण्डारण क्षमता की स्थिति बहुत दयनीय व सोचनीय है।

छोटी-छोटी कोठरियों में भंडारण है। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य जमाकर्ताओं से अनुबन्ध पर किराये की क्षमता ले रखी है लेकिन माल न होने के कारण अधिकतर गोदाम खाली पड़े हुए हैं। जहाँ पर किराये की भंडारण क्षमता का किसी संस्था से अनुबन्ध नहीं है वहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम या तो नुकसान में चल रहा है या किराये आदि का खर्चा निकालने के बाव न के बराबर लाभ में चल रहा है।

समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा भण्डारण क्षमता का आरक्षण किराये की क्षमता हेतु प्राप्त किया जाय जहाँ पर ऐसा करना जरूरी न हो वहाँ पर उपलब्ध खाली किराये की क्षमता को तुरन्त छोड़ देना चाहिये ताकि निगम को किसी प्रकार का नुकसान होने की सम्भावना न रहे।

समिति ने विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण के समय जो स्थिति पाई उसका भी इस प्रतिवेदन में उदाहरण स्वरूप उल्लेख करना आवश्यक समझती है जो कि निम्नवत् है:—

अलीगढ़

एल 0आई 0सी 0 यूनिट, अलीगढ़ स्थित भण्डारों-गृहों के निरीक्षण के समय समिति ने यह पाया कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिये नालियाँ ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई हैं। जिसके कारण पानी जमा था तथा सड़कों की बहुत ही खराब हालत थीयहाँ पर समिति की जानकारी में यह बात आई कि निर्माण निगम द्वारा निर्मित भण्डार-गृहोंकी लागत रु 0145 प्रति मैट्रिक टन आ रही है और जो स्वयं निगम द्वारा निर्मित कराये गये गोदाम थे उनकी कीमत 133 रु 0 प्रति मैट्रिक टन थी।

कबी

कबी स्थित निगम की भण्डारण क्षमता किराये की है। यहाँ के गोदामों से लगभग 5555.00 रु 0 प्रतिमाह लाभ होता है जबकि प्रतिमाह खर्चा 7000.00 रु 0 आता है। इस प्रकार के गोदामों से निगम को हानि उठानी पड़ रही है। किराये के गोदाम की पहुँच भी ठीक नहीं थी। समिति ने स्थल निरीक्षण के समय पाया कि गोदाम में कुछ बोरे सरसों बलाई के रखे हैं।

समिति ने मथुरा, हरिद्वार, विकासनगर, मेरठ, गुलावटी, बुलन्दशहर, अतर्रा आदि भण्डार-गृहों का निरीक्षण भी किया और समिति ने यह पाया कि उनमें से कई भण्डार-गृहों का औपचारिक रूप से कब्जा प्राप्त किये वगैर सामान रखा गया। समिति का सुझाव है कि निगम भविष्य में ऐसे काम न करे क्योंकि उसकी जिम्मेदारी निगम पर आती है।

5—हैन्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट

समिति द्वारा हैन्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के विषय में कुछ सुझाव अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये गये थे। समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया था कि हैन्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ शिकायतें भी समिति को प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में समिति उस समय तक जानकारी नहीं कर सकी थी।

समिति ने हैन्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम ने लिखित रूप से जानकारी प्राप्त की। प्राप्त जानकारी पर अपेक्षित स्पष्टीकरण हेतु समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रबन्ध निदेशक को भी साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया। साक्ष्य के समय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के अधिकतर अभिलेख विजीलेंस द्वारा कब्जे में दिनांक 11 अगस्त, 1980 को ले लिये गये हैं और इन अभिलेखों के अभाव में पूर्ण एवं संतोषप्रद जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

समिति यहाँ पर इस बात का पुनः उल्लेख करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा लिखित प्रश्नों के जो भी उत्तर उपलब्ध कराये गये वह समिति द्वारा अपूर्ण, असन्तोषजनक एवं अस्पष्ट पाए गये। समिति द्वारा इस ओर राज्य भण्डारागार निगम का बार-बार ध्यान भी आकर्षित किया गया किन्तु निगम द्वारा समिति को पूर्ण, सन्तोषजनक एवं स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं कराये गये।

समिति इस बात के पीछे छिपी निगम की भावनाओं को समझने में असमर्थ रही है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समिति उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त सूचना के अध्ययन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हैण्डलिंग ट्रांसपोर्ट के विषय में भारी अनियमिततायें बरती गईं। समिति द्वारा जिन केन्द्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की गई अथवा प्राप्त की गई वह सूचना निगम द्वारा अस्पष्ट, असंगत एवं अपूर्ण रूप से उपलब्ध कराई गई थी। समिति इस बात की पुष्टि के लिये निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है:—

1—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के खतौली केन्द्र पर समिति के प्रकाश में यह बात आई कि हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य मेसर्स गोयल ट्रेडिंग कारपोरेशन, हापुड़ द्वारा वर्ष 1976-77 में किया गया था मेसर्स गोयल ट्रेडिंग कारपोरेशन, हापुड़ के हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित भुगतान में से लगभग 12 हजार की कटौती उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा यह कह कर कर ली गयी कि इस फर्म के प्रोपराइटर द्वारा मेरठ केन्द्र पर कार्य किया गया था तो उस समय उसके द्वारा मेरठ केन्द्र पर रु 12 हजार की अनियमितता बरती गई थी।

2—समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कानपुर केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के विषय में शिकायतें पाये जाने का उल्लेख किया था। समिति ने इस विषय में निगम से जानकारी प्राप्त की। वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य हेतु दिनांक 4 सितम्बर, 1978 को निविदायें आमंत्रित की गई थीं जिसमें सबसे कम की निविदा दरें 231 प्रतिशत (एबव दि शेड्यूल रेट) थीं। इस निविदा के साथ अरनेस्ट मनी जमा नहीं की गई थी। समिति को निगम द्वारा यह जानकारी भी उपलब्ध कराई गई कि कानपुर केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट का कार्य जिस ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था उसकी दरें प्राप्त निविदाओं के निम्नस्थ दरों से कम थीं कारणतः उसी ठेकेदार से कार्य कराया जाता रहा।

समिति की राय में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त लिखित सूचना के आधार वर्ष 1978-79 में कानपुर केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट का कार्य दिये जाने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी थी।

3—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा मुरादाबाद केन्द्र पर दिनांक 20 सितम्बर, 1976 से 31 मई, 1978 तक मेसर्स आर०के० ट्रेडिंग द्वारा हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट का कार्य किया गया। इस अवधि में किसी प्रकार की कोई निविदायें उपलब्ध जानकारी के आधार पर निगम द्वारा आमंत्रित नहीं की गईं।

समिति ने उक्त विषय में राज्य भण्डारागार निगम से यह प्रश्न पूछा कि मुरादाबाद केन्द्र पर 3 वर्षों तक एक ही ठेकेदार द्वारा हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट का कार्य किया गया इसके उत्तर में निगम द्वारा “नहीं” शब्द का प्रयोग किया गया जबकि वास्तविक रूप में एक ही ठेकेदार द्वारा 3 पन्नी वर्षों में किसी न किसी अवधि में लगातार कार्य किया।

समिति राज्य भण्डारागार निगम द्वारा इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराये जाने की घोर निन्दा करती है।

मुरादाबाद केन्द्र पर दिनांक 22 फरवरी, 1978 को हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित निविदायें आमंत्रित की गईं। प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण जैसा कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा समिति को उपलब्ध कराया गया परिशिष्ट “छ” पर उपलब्ध है जिससे कि सारी बातें स्पष्ट हैं।

4--समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के आगरा स्थित रामबाग दनोरिया मिल गोशाम तथा नवीन भण्डी केन्द्र का दिनांक 18 नवम्बर, 1980 को स्थल निरीक्षण किया। समिति की जानकारी में स्थल निरीक्षण के समय यह बात आई कि वर्ष 1978 में आगरा में बाढ़ आई थी जिसका पानी सिटी यूनिट और रामबाग यूनिट के भण्डार केन्द्रों पर आ गया था। समिति ने बाढ़ से प्रभावित उर्वरक के हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के विषय में दिनांक 18 नवम्बर, 1980 की बैठक में सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, क्षेत्रीय अधीक्षक, आगरा भण्डारा प्रबंधक रामबाग यूनिट, डिप्टी मैनेजर (निर्माण), विजिलेन्स डेवलपमेन्ट आफिसर, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का साक्ष्य भी लिया।

साक्ष्य के समय समिति की जानकारी में यह बात आई कि आगरा केन्द्र पर बाढ़ के वर्ष श्री चरण सिंह भण्डार प्रबंधक थे। समिति को यह भी सूचना उपलब्ध कराई गई कि आगरा केन्द्र पर आई बाढ़ से संबंधित हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के समस्त अभिलेख दिनांक 11 अगस्त, 1980 को विजिलेन्स द्वारा अपने कब्जे में ले लिये गये कारणतः कुछ बतलाना सम्भव न होगा। समिति ने आगरा केन्द्र के तत्कालीन प्रबंधक (श्री चरण सिंह) का साक्ष्य दिनांक 21 दिसम्बर, 1980 को लखनऊ स्थित बैठक में प्राप्त किया।

समिति को साक्ष्य के मध्य यह विदित हुआ कि आगरा स्थित बाढ़ का प्रभाव दिनांक 8 सितम्बर, 1978 को आरम्भ हुआ था और उसके उपरांत दिनांक 10 सितम्बर, 1978 से बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया था। बाढ़ के समय आगरा स्थित रामबाग यूनिट व सिटी यूनिट से क्रमशः 14138 व 44335 उर्वरक के बोरो का हस्थानान्तरण श्री गोपाल प्रसाद शर्मा ठेकेदार द्वारा किया गया था उल्लेखनीय है कि श्री गोपाल प्रसाद शर्मा ठेकेदार द्वारा बाढ़ से पूर्व नियमित रूप में 51 पैसे प्रति बोरी दर से राज्य भण्डारागार निगम के आगरा स्थित केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जाता था। इसके प्रथम ठेके की नियुक्ति भी राज्य भण्डारागार निगम द्वारा नियमानुसार नहीं की गई थी। जैसे: न तो ठेके से संबंधित निविदायें आमंत्रित की गईं और न इन निविदाओं को खोलते समय भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि को बुलाया गया और न ही मुख्यालय को ठेके की सूचना भेजी गई। मुख्यालय की ओर से भी ठेके की जानकारी आगरा केन्द्र से नहीं मांगी गई। ठेके की सूचना तब दी गई जब तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन अतिरिक्त संग्रह सलाहकार (श्री काशी नाथ) ने ठेकेदार की नियुक्ति कर ली थी।

बाढ़ के समय उर्वरक हस्थानान्तरण कराने हेतु किसी प्रकार की कोई दरें राज्य भण्डारागार निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार से निर्धारित नहीं की गई थी।

साक्ष्य के माध्यम से जो सूचना समिति को प्राप्त हुई उस आधार पर समिति को यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं है कि बाढ़ के समय हस्थान्तरित किये जाने वाले उर्वरक से संबंधित भुगतान अथवा बीजक प्राप्त किये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के तत्कालीन अध्यक्ष की विशेष रुचि नहीं है।

सर्व प्रथम श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, ठेकेदार द्वारा उर्वरक के हस्थान्तरण से संबंधित बीजक 1.00 रु 00 प्रति बोरा की दर से तैयार किया गया। यह बीजक उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के मुख्यालय पर बगैर भंडार-गृह प्रबंधक से हस्ताक्षर हुए पहुंच गया और श्री काशीनाथ अतिरिक्त संग्रह अधिकारी द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के साथ व्यक्तिगत रूप से दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 को आगरा केन्द्र पर लिखित रूप में कुछ आपत्तियों के निवारणार्थ लाया गया। उठाई गई आपत्तियों से संबंधित पत्र व बीजक की फोटो स्टेट प्रति भी साक्षी द्वारा समिति को उपलब्ध कराई गई।

तत्कालीन भण्डार-प्रबंधक (श्री चरण सिंह) द्वारा साक्ष्य के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराई गई कि 604.25 प्रतिबोरी की दर से बीजक तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के मौखिक निदेश पर अतिरिक्त संग्रह अधिकारी (श्री काशीनाथ) के माध्यम से दिनांक 1

दिसंबर, 1978 को पूर्व की तारीख में तैयार कराया गया था। साक्ष्य के समय समिति को यह भी विदित हुआ कि तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम इस विषय में इतने आतुर थे कि वे ठेकेदारों के बिलों के भुगतान हेतु चैकों को लेकर स्वयं आगरा जाते थे।

समिति को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि बाढ़ से संबंधित उर्वरक के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा रु० 50 हजार व रु० 90 हजार के चैकों के माध्यम से हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट का अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया।

समिति ने आगरा बाढ़ के विषय में तत्कालीन अध्यक्ष व तत्कालीन अतिरिक्त संग्रह अधिकारी (श्री काशीनाथ), उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का साक्ष्य दिनांक 9 जनवरी, 1981 को तथा उसी विषय में सतर्कता विभाग के पुलिस अधीक्षक का साक्ष्य दिनांक 24 जनवरी, 1981 को प्राप्त किया।

तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा साक्ष्य के माध्यम से समिति को यह बताया गया कि उनके द्वारा राज्य भण्डारागार निगम को यह निर्देश दिये गये थे कि बाढ़ से संबंधित कार्य का कोई भुगतान ठेकेदार को न किया जाये जबकि समिति ने मूल अभिलेखों में यह पाया कि ठेकेदार को किये गये अग्रिम के भुगतान से संबंधित आदेशों का अनुमोदन लिखित रूप में तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा किया गया था।

तत्कालीन अतिरिक्त संग्रह अधिकारी (श्री काशीनाथ) ने साक्ष्य के माध्यम से समिति को विशेष कर इस बात से संतुष्ट करना चाहा कि ठेकेदार द्वारा रुपये 4.25 की दरों के विषय में काफी पहले लिखकर दे दिया गया था। श्री काशीनाथ द्वारा रु० 1.00 की दर से बनाये गये बीजक को भी प्राप्त होना नहीं बताया गया जब कि समिति को इस बीजक की फोटो स्टेट प्रति प्राप्त हुई। श्री काशीनाथ ने सतर्कता विभाग के पास पत्रावली होने के कारण अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया। समिति ने पत्रावली सतर्कता विभाग से साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त कर देखा तो यह पाया कि श्री काशीनाथ जो कि वर्तमान में संग्रह सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, ने सभी सूचनाएँ गलत व तोड़-मरोड़ कर समिति को उपलब्ध कराई।

समिति वर्ष 1978 की आगरा केन्द्र के विषय में इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि श्री काशीनाथ एक बहुत ही बड़े गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं और आगरा बाढ़ के विषय में उर्वरक के हस्तान्तरण से सम्बन्धित षड़यंत्र में इनका विशेष हाथ रहा है।

वर्ष 1978 की आगरा बाढ़ के सम्पूर्ण प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के अतिरिक्त तत्कालीन अतिरिक्त संग्रह सलाहकार द्वारा व्यवितकृत रूप से रुचि ली गई।

समिति की राय में यदि बाढ़ के बाद उर्वरक के हस्तान्तरण का कार्य कराया भी जाना था तो पहले ही हस्तान्तरण आदि की दरें निश्चित कर लेनी चाहिये थीं यदि ऐसा नहीं भी किया गया था तो मुख्यालय पर प्राप्त बीजक जो कि रु० 1.00 प्रति बोरा की दर से था, बदल कर 4.25 रु० प्रति बोरे की दर से बीजक प्राप्त किये जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त अनुचित था। इस प्रकार के कार्य से राज्य भण्डारागार निगम को आर्थिक हानि हुई है।

समिति संस्तुति करती है कि वर्ष 1978 में आगरा केन्द्र पर आई बाढ़ से सम्बन्धित उर्वरक के हस्तान्तरण के विषय में विस्तार से जांच की जानी चाहिये और दोषी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

6—तकनीकी भंडारण

समिति तकनीकी भण्डारण के विषय में कुछ संस्तुतियाँ अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कर चुकी हैं। समिति द्वारा अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत जो जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य

भण्डारागार निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई उसमें से केवल एक जानकारी का उल्लेख समिति अपने प्रतिवेदन में करना आवश्यक समझती है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा वर्ष 1977-78 में विभिन्न केंद्रों पर चटाइयों की आपूर्ति हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थीं। इस विषय में निगम द्वारा जो निविदाओं से संबंधित तुलनात्मक विवरण प्राप्त हुआ है वह परिशिष्ट "ज" पर उपलब्ध है। जैसा कि परिशिष्ट "ज" पर उपलब्ध विवरण से स्पष्ट है कि चटाइयों की आपूर्ति हेतु 13 फर्माँ द्वारा निविदायें दी गई जिसमें सबसे कम दर की निविदा रु 0 5. 50 प्रति सौ वर्ग फुट की थी। समिति प्राप्त सूचना के आधार पर मात्र यह समझने में असमर्थ रही कि प्राप्त निविदाओं में से किस निविदादाता की दरें निगम द्वारा स्वीकार की गईं।

समिति निगम द्वारा इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराये जाने की पुनः घोर निन्दा करती है।

जैसा कि समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना अस्पष्ट, अपूर्ण, एवं असंगत रही है। समिति द्वारा निगम का ध्यान बार-बार आकृष्ट किये जाने के उपरांत भी पूर्ण, स्पष्ट एवं संगत सूचना समिति को निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

समिति ने चटाइयों की निविदाओं की खरीद के विषय में जानकारी, प्राप्त करने हेतु दिनांक 27 सितम्बर, 1980 को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया। प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 11 अगस्त, 1980 को मुख्यालय स्थिति दोनों कार्यालय व कुछ केंद्रों पर विजीलेस द्वारा छापा मार कर संबंधित रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिये हैं। अतः उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि कुछ समय दे दिया जाये ताकि वह जानकारी प्राप्त कर लें और पूर्ण रूप से तैयार होकर समिति के सामने आ सकें।

समिति संस्तुति करती है कि चटाइयों की खरीद के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा जो निविदायें 24 अगस्त, 1977 को आमंत्रित की गई थीं, के विषय में पूर्ण रूप से छान-बीन किया जाना नितांत आवश्यक है और यदि निविदाओं के स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की अनियमिततायें बरती गई हों तो अनियमिततायें बरते जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को हुई हानि के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि इन्सेक्टीसाइड्स व ड्रेनेज आदि की खरीद को भी विकेंद्रित किया जाना चाहिये और निगम द्वारा ऐसी प्रक्रिया दरों के निर्धारित किये जाने के विषय में अपनाई जानी चाहिये जिससे उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को किसी प्रकार की हानि की सम्भावना न रहे।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के तकनीकी सेल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक केंद्र पर वैधानिक माप-दंडों के अनुरूप ही 'इन्सेक्टीसाइड्स' का उपयोग किया जा रहा है।

समिति को प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा इन्सेक्टीसाइड्स का नियमित प्रयोग भंडार-गृह में रखे माल को दृष्टिगत नहीं रखा जाता है और इस्तेमाल किये जाने वाले इन्सेक्टीसाइड्स को इधर-उधर कर दिया

जाता है । इस विषय में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा सतर्कता बरती जानी चाहिये ऐसा न करने से भंडार-गृहों में रखे माल को नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी ।

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के तकनीकी सेल में निरीक्षण के समय कहीं भी किसी प्रकार की कोताही इन्सेक्टसाइट्स के प्रयोग में पाई जाये तो इस कमी के लिए भंडार-प्रबन्धक/इंचार्ज को सीधे दोषी ठहराया जाना चाहिये ताकि भंडार-गृहों में रखे माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके ।

समिति ऐसा अनुभव करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम एक विकासशील संस्था ही नहीं लाभ की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी है । समिति को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 में उत्तर प्रदेश राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में शुद्ध लाभ अर्जित करने की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा उपरिलिखित वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित लाभ अर्जित किया गया:—

1—वर्ष 1976-77	165.29 लाख
2—वर्ष 1977-78	188.43 लाख
3—वर्ष 1978-79	148.47 लाख

समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम राज्य का एक विकास-शील उपक्रम है अतः इसे प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के संचालन में निम्नलिखित कमियां पाई:—

1—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा किसी भी विषय में दूरदेशी को दृष्टिगत नहीं रखा गया है ।

2—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा पत्रावलियों में ही नहीं इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में भी किसी प्रकार की कोई कार्य-प्रणाली अथवा कार्य-पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है ।

3—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा मात्र निगम के लाभ को ही सर्वोपरि रखा गया है और व्यवहारिकता व नैतिकता के आधार पर किये जाने वाले कार्यों का भी ध्यान नहीं रखा गया है ।

4—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा सामान्यतया विषयों की महत्वता को दृष्टिगत नहीं रखा गया है । समिति को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि भंडार-प्रबन्धकों व क्षेत्रीय अधीक्षकों द्वारा भेजे गये नितान्त आवश्यक विषयों पर बार-बार स्मरण कराया गया किन्तु कोई भी कार्यवाही निगम द्वारा आवश्यक नहीं समझी गई और न ही पत्र का उत्तर दिया जाना आवश्यक समझा गया ।

5—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा जन सामान्य से प्राप्त पत्र गोदाम मालिकों से प्राप्त पत्र, व अन्य स्रोतों से प्राप्त पत्र उत्तर न दिया जाना संभवतः निगम का सिद्धांत रहा है ।

6—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा बहुत से कार्य अधिकतर जल्दबाजी में किये गये प्रतीत होते हैं ।

7—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा लेखे-जोखे से संबंधित सामान्य नियमों को भी ध्यान में नहीं रखा गया । उदाहरण स्वरूप कई-कई यात्रा भत्ता अभिग्रहणों का एकही कर्मचारी को भुगतान किया जाना यात्रा भत्ता अभिग्रहणों का समायोजन न किया जाना, निलम्बन के कार्यकाल में निलम्बन भत्ता बिलम्ब से दिया जाना, कर्मचारियों को जल्द-जल्द स्थानान्तरित किया जाना आदि-आदि ।

8—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियों, प्रोन्नतियों, निलम्बन, स्थाईकरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण आदि में केवल नियमों आदि का ध्यान ही नहीं रखा गया है अपितु प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए समिति निगम से यह अपेक्षा करती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा भविष्य में इन कमियों को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा तो अवश्य ही उसकी छवि निखरेगी ।

समिति द्वारा अपने अन्तरिम व इस द्वितीय अन्तरिम प्रतिवेदन में जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं वह क्रमानुसार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

समिति अभी तक विशेषतया निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार नहीं कर सकी है या किन्हीं निष्कर्षों पर नहीं पहुँच सकी है:—

1—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम व भारतीय खाद्य निगम के मध्य व्यापारिक संबंधों के विषय में,

2—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के लेखों के रख-रखाव में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विषय में,

3—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा विभिन्न भंडार-गृहों का बीमा कराये जाने विषय में,

4—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा विभिन्न केंद्रों पर समतल भूमि से कहीं नीची भूमि की मराई पर आने वाले खर्च के विषय में ,

5—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर निर्मित भंडार-गृहों के निर्माण में किसी निश्चित प्रणाली के न अपनाये जाने तथा मानकों से निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग में लाने के विषय में,

6—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के विभिन्न केंद्रों पर उन्हीं के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये घपले/अनियमितता/गवन के विषय में,

7—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा नियंत्रण एवं प्रशासन तथा भंडारागार निगम के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के विषय में,

उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित भूमि के निष्कर्षों का समावेश अपने अन्तिम प्रतिवेदन में किया जायेगा ।

समिति सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, उप सचिव व अन्य समिति से सम्बन्धित कर्मचारियों की अत्यन्त आभारी है जिन्होंने कठिन परिश्रम कर इस समिति के द्वितीय अन्तरिम प्रतिवेदन को तैयार करने में योगदान दिया ।

समिति सभापति, विधान परिषद् की भी अत्यन्त आभारी है जिन्होंने इस समिति का कार्य-काल इसके महत्व को दृष्टिगत रखते समय-समय पर बढ़ाने की कृपा की ।

दिनांक 11 मार्च 1981

सभापति

परिशिष्ट "क"

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ० प्र०

बी०-४६ मदानगर विस्तार, लखनऊ-६

पत्रांक

प्र० प्र०/मू० प्र०/८०

दिनांक ६ दिसम्बर, १९८०

उप सचिव,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

राज्य भन्डारागार निगम की वर्किंग की जांच समिति की बैठक दिनांक २६-११-८० में प्रदेश के विभिन्न नवीन मण्डों स्थलों में राज्य भन्डारागार निगम को दी गयी भूमि का विवरण प्रेषित करने का निदेश दिया गया था ।

उक्त के संबंध में वांछित सूचना संलग्न है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह० प्रस्पष्ट

सतीश चन्द्र श्रीवास्तवा,

सहायक निदेशक,

कृते मण्डी निदेशक ।

नवीन मंडी स्थल में राज्य भंडारागपुर निगम को दी जाने वाली भूमि एवं
निर्माण

क्र 0 सं 0	मंडी का नाम	जनपद	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवंटित भूमि का मूल्य जो संस्था से मांगा गया है	आवंटित भूमि का कुल मूल्य के समक्ष संस्थ से प्राप्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	हल्द्वानी	नैनीताल	6321.195	114413.35	91000.00
2	सितारगंज	नैनीताल	8093.72	121405.90	109000.00
3	मुरादाबाद	मुरादाबाद	14164.01	254943.36	212000.00
4	बदायूं	बदायूं	12144.00	147513.15	

अनुभाग—3

आवंटित भूमि के समक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि	भूमि की दर प्रति- वर्ग मीटर जो परिषद द्वारा स्वीकृत की गई	भूमि की दर जिस पर मंडी समिति ने भूमि क्रय की (६० वर्गप्रति मीटर)	टिप्पणी
7	8	9	10
23413.35	18.10	1.3	
12405.90	15.00	3.14	
42943.36	18.00	5.00	
147513.15	12.15	3.45	

(६०) हंपवर्द्धन
उप विदेशक (निर्माण) -5

मंडियों में राज्य प्रभारानगर निगम की बी
निर्माण

1	2	3	4	5	6
5	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	8377 (2.07एकड़)	125655.00	125655.00
6	पलियाकला	खीरी	12146.51	206388.67	182000.00
7	तिकोनिया	खीरी	8094	133551.00	121000.00
8	अंगीपुर	॥ गाजीपुर	4048.86	60702.90	60702.90
9	गोंडा	गोंडा	12112.025	210000.00	159075.00
10	[इलाहाबाद	इलाहाबाद	12140.50	339936.24	३.

इ० एस०
सील—असिस्टेंट इंजीनियर,
निर्माण अनुभाग-3
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्,
लखनऊ ।

उ नई भूमि एवं तराई संबंधी सूचना

अनुभाग-3

7	8	9	10
..	15.00	2.26	मंडी समितियों द्वारा जमीन हैन्ड ओवर की जाती है व मूल कागजात जमीन हैन्डलिंग ओवर करने के मंडी समितियों में हो रहते हैं।
24388.67	17.00	2.00	
12551.00	16.80	1.03	
	15.00	4.38	
50925.00	17.50	3.78	
339936.24	28.00	5.88	सलांक नि 0-3(1)/79-6760 दिनांक 28 मार्च, 79 के प्रो-फार्मा बिल द्वारा 12,000 वर्ग मीटर के लिए 2,10,000 रु० राज्य मंडारागार निगम से मांगा गया था। शेष धनराशि मांगी जायेगी।

(ह०) प्रस्पष्ट
जील—असिस्टेंट इंजीनियर

ह० प्रस्पष्ट
उप निदेशक (निर्माण-3)
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्,
सखनऊ।
5-12-80

निर्माण अनुभाग-2 के अन्तर्गत राज्य भंडारागार निम्न

1	2	3	4	5	6
11	मथुरा	मथुरा	11021.00	185703.85	151000.00
12	कोसीकलां	अलीगढ़	16941.53	291373.92	242000.00
13	हाथरस	अलीगढ़	15941.55	200319.92	282000.00
14	खैर	अलीगढ़	15233.76	200319.59	182000.00
15	अतरीली	अलीगढ़	10907.93	151757.25	136000.00
16	आगरा	आगरा	12713.00	436691.55	182000.00
17	मैनपुरी	मैनपुरी	14836.31	163199.41	120000.00
18	अतर्रा	बांदा	19520.08	222172.61	182000.00
	सलितपुर	सलितपुर	12140.58	117156.59	105000.00

वी नई भूमि एवं तरसम्बन्धी सूचनायें

7	8	9	10
34703.85	16.85	2.42	
49373.92	18.00	1.63	वास्तविक माप के आधार पर कोसी- कला में क्षेत्रफल 8191.63 वर्ग मी० तथा कुल मूल्य 185950.00 एवं अवशेष धनराशि 64950.00 मांगा जा रहा है ।
40379.92	18.00	2.33	हाथरस में वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर कुल धनराशि 304947.54 जिसमें अव अवशेष धनराशि रु० 62947.54 मांगा जा रहा है ।
18319.59	16.50	2.33	खैर में वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर कुल मूल्य 251357.04 है अवशेष धनराशि 69357.40 मांगा जा रहा है ।
15757.25	12.50	1.79	अतरौली में वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर कुल मूल्य 136349.10 है अवशेष धनराशि रु० 349.10 मांगा जा रहा है ।
254691.55	34.55	2.60	
43199.41	11.00	1.35	
40172.61	18.30	2.62	वास्तविक माप के आधार पर क्षेत्र- फल 19520.08 वर्ग मी० प्राप्ता है जिसके अनुसार भूमि का कुल मूल्य 357217.46 प्राप्ता इस प्रकार अवशेष धनराशि 175217.46 प्राप्त किया जा रहा है ।
12156.59	9.65	2.40	

1	2	3	4	5	6
19	कामपी	आमोन	13633.64	171995.55	151000.00
20	आमोन	आमोन	12515.50	117358.40	105000.00

नोट:--बंड़ी समितियों द्वारा भूमि हैन्ड ओवर की जाती है व भूमि कागजात हैन्ड ओवर करने के बंड़ी कमितियों में ही रहते हैं ।

7	8	9	10
20995.65	17.00	1.60	वास्तविक क्षेत्रफल 13633.64 वर्ग मी० है । जिसका मूल्य रु० 231771.80 आता है । अवशेष धन रु० 80771.80 मांगा जा रहा है ।
12358.04	14.50	1.03	वास्तविक क्षेत्रफल 12515.5 वर्ग मी० है जिसका मूल्य रु० 181474.75 आता है अवशेष धन रु० 76474.75 मांगा जा रहा है ।

ह० अस्पष्ट उप निदेशक निर्माण
राज्य उत्पादन मंडी परिषद, लखनऊ ।

मंडियों में राज्य भंडारागार निगम की

1	2	3	4	5	6
21	साहिबाबाद	गाजियाबाद	12100	871200	शून्य
22	मेरठ	मेरठ	14325	620272.50	शून्य
23	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	16710.75	284082.75	2,50,000
24	शिकारपुर	बुलन्दशहर	8224.50	205812.52	1,17,000
25	गुलावटी	बुलन्दशहर	16281	423306.80	2,44,000

(ह0) अस्पष्ट
 सहायक अभियंता
 मंडी परिषद् गाजियाबाद
 4-12-80

गई भूमि एवं तत्संबंधी सूचना

7	8	9	10
9,71,200	72	30.51	
6,20,272.50	43.30	23.81	
34,082.75	17.00	5.18	
88,812.52	25.00	5.53	
1,79,306	26.00	5.33	

(ह0) अस्पष्ट,
मंडी परिषद्, बुलन्दशहर,
4-12-80 ।

(ह0) आर0एस0शर्मा,
उप निदेशक (निर्माण-4)
मंडी परिषद्
4-12-80

मंडियों में राज्य भंडारागार
निर्माण

2	3	4	5	6
26 पुखरायां	कानपुर	3792.60	56889.00	56889.00
27 रायबरेली	रायबरेली	8903.09	244835.03	133000.00
28 कोंच	जालौन	9598.50	134379.00	134379.00
29 उरई	जालौन	21140.58	163897.83	163897.83
30 जहानाबाद	फतेहपुर	8093.72	109265.22	98000.00
31 छिबरामऊ	फर्रुखाबाद	9226.84	161469.71	161469.71
32 राठ	हमीरपुर	11857.30	243074.62	177000.00
33 जाफरगंज	सुल्तानपुर	4046.86	87007.49	..
34 सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	6555.91	124562.35	98000.00
35 बरेली	बरेली	12140.58	230671.02	63000.00
36 श्रीरथ्या	इटावा	11493.08	247101.26	145000.00
37 सीतापुर	सीतापुर	4127.80	103194.93	..
38 कानपुर	कानपुर	8903.09	218125.25	133000.00
39 वाराणसी	वाराणसी	16187.44	841846.88	242000.00
40 चितबड़ागांव	बलिया	12140.58	..	..
41 मंगलगंज	खीरी	4046.86	..	..
42 लालपुर	सीतापुर	4046.86	..	..
43 महाराजगंज	रायबरेली	4046.86	..	..

निगम को दी गई सूचना
अनुभाग-1

निर्माण अनुभाग 1

7	8	9	10
..	15 00	1.25	
111835.03	27.50	3.08	
..	14.00	1.70	
..	13.50	1.79	
11265.22	13.50	0.95	
..	17.50	1.27	
66074.62	20.50	1.76	
87007.49	21.50	0.95	
26562.35	19.00	4.46	
167671.02	19 00	2.52	
102100.26	21.50	8.34	
103184.93	25.00	5.90	
85125.75	24.50	3.85	
599746.00	52.00	24.42	
..	..	..	} दर्रे सूचित नहीं की गई है ।
..	..	..	
..	..	..	
..	..	..	

(ह 0) अस्पष्ट ।
डी 0डी 0सी 0-1 4-12-80
(ह 0) अस्पष्ट
4-12-80

परिशिष्ट "ख"

देश में कार्य कर रहे राज्य भंडारागार निगमों द्वारा पिछले पांच वर्षों में निर्मित भंडारण क्षमता का तुलनात्मक विवरण।

(लाख मी० टनों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	31-3-76 तक कुल निर्मित क्षमता	31-3-80 तक कुल निर्मित क्षमता	31-3-76 से 31-3-80 तक निर्मित की गयी क्षमता (कालम 4-3)
1	2	3	4	5
1	उत्तर प्रदेश ..	0.32	7.74	7.42
2	पंजाब ..	1.62	3.36	1.74
3	हरियाणा ..	0.91	1.75	0.84
4	मध्य प्रदेश ..	1.20	1.73	0.53
5	राजस्थान ..	1.11	1.67	0.56
6	तमिलनाडु ..	0.62	1.62	1.00
7	महाराष्ट्र ..	1.08	1.44	0.36
8	आन्ध्र प्रदेश ..	0.56	1.17	0.61
9	कर्नाटक ..	0.71	1.00	0.29
10	आसाम ..	0.30	0.80	0.50
11	गुजरात ..	0.34	0.70	0.36
12	केरल ..	0.30	0.51	0.21
13	बिहार ..	0.03	0.51	0.48
14	वेस्ट बंगाल ..	0.08	0.22	0.14
15	उड़ीसा ..	0.07	0.15	0.08
16	मेघालय ..	0.16	0.02	0.004
	योग ..	9.266	24.39	15.124

परिशिष्ट "ग"

B. P. SIKDER,
JOINT COMMISSIONER (FSD).

No. 15-3/76-FM
Government of India
Ministry of Agriculture and Irrigation,
Department of Agriculture.
New Delhi : Dated 24th/26th June, 1976.

DEAR SHRI BHATNAGAR,

Please refer to our telephonic conversation on 22-6-76, regarding storage of imported non-potassic fertilizer.

2. During the discussion, I mentioned to you the difficulties that have been faced by UPSWC for offering more accommodation to you for storage of fertilizer. In this connection, I am enclosing a copy of D. O. letter No. SWC/7176/BD/Stg. Ch./76-77, dated 18th June, 1976 from Shri Khazan Singh, Managing Director, UPSWC.

3. As regards, the remuneration of UPSWC, we have since revised the rates of UPSWC and brought them at par with that of CWC with retrospective effect. A copy of our sanction letter no. 15-3/76-FM, dated 22nd June, 1976 is enclosed for your ready reference.

4. I suggest that you might discuss the matter with the Managing Director of UPSWC and sort out the problems faced by them. This suggestion is being made in the context that UPSWC in the past offered considerable accommodation to us for storage of fertilizer and they always came to our rescue at times of need. They have also the potential for offering more accommodation for storage of fertilizer.

5. I shall be grateful if you kindly keep me posted about the additional storage space that is likely to be offered by UPSWC in this regard. If the Ministry's intervention is required, we are always willing to use our good offices in this regard.

With kind regard,

Yours sincerely,
B. P. SIKDER.

SHRI V. N. BHATNAGAR,
COMMERCIAL MANAGER,
16-20 BARAKHABA LANE,
NEW DELHI-110001.

COPY to Shri Khazan Singh, Managing Director, U. P. State Warehousing Corporation, Lucknow.

(Sd.) B. P. SIKDAR.

KHAZAN SINGH,
MANAGING DIRECTOR.

U. P. STATE WAREHOUSING CORPORATION,
Post Box No. 196,
LUCKNOW.

D. O. No. SWC/7176/BDFCI/76-77, dated 18th June, 1976.
DEAR SHRI SIKDER,

Kindly refer to your d. o. letter no. 20-12/73, dated 29-5-76, I am grateful to the Government of India for recognising the services of this Corporation and bringing the rate of storage charges at par with the Central Warehousing Corporation with retrospective effect.

I enclose a copy of the letter sent to Sri Chugani for favour of your kind information. This Corporation can arrange additional capacity for fertilisers provided things are made clear and decisions are taken at the Food Corporation's level. The required storage capacity is not readily available, but has to be created for which funds and monetary commitments have to be made before godown owners put up their godowns. This involves time factors also. If things could have been decided by the Food Corporation of India earlier, this Corporation could have entered into agreement with parties to build godowns. You may kindly appreciate that for want of clear instructions from the Head Office of the Food Corporation of India for acceding to our request for bringing the storage charges at par with the Central Warehousing Corporation, though they agreed to it, but formal approval is awaited, it has not been possible to make sufficient storage capacity available to the Food Corporation of India. It is high time if they decide and issue clear instructions about the payment of storage charges regularly and on minimum guarantee, and the rate of storage charges, as referred to above, this Corporation could come to your expectations as before.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd. KHAZAN SINGH.

SHRI B. P. SIKDER,
JOINT COMMISSIONER (MOVEMENT),
DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
GOVERNMENT OF INDIA,
NEW DELHI.

B. P. SIKDER,
JOINT COMMISSIONER (FSD).

No. 15-3/76-FM
Government of India,
Ministry of Agriculture and Irrigation,
Department of Agriculture.

New Delhi : Dated 24th/26th June, 1976.

DEAR SHRI BHATNAGAR,

Please refer to our telephonic conversation on 22nd June, 1976, regarding storage of imported non-potassic fertilizer.

2. During the discussion, I mentioned to you the difficulties that have been faced by UPSWC for offering more accommodation to you for storage of fertilizer. In this connection, I am enclosing a copy of D. O. letter no. SWC/7176/-BD/Stg. Ch./76-77, dated 18th June, 1976 from Shri Khazan Singh, Managing Director, UPSWC.

3. As regards, the remuneration of UPSWC, we have since revised the rates of UPSWC and brought them at par with that of CWC with retrospective effect. A copy of our sanction letter no. 15-3/76-FM, dated 22nd June, 1976 is enclosed for your ready reference.

4. I suggest that you might discuss the matter with the Managing Director of UPSWC and sort out the problems faced by them. This suggestion is being made in the context that UPSWC in the past offered considerable accommodation to us for storage of fertilizer and they always came to our rescue at times of need. They have also the potential for offering more accommodation for storage of fertilizer.

5. I shall be grateful if you kindly keep me posted about the additional storage space that is likely to be offered by UPSWC in this regard. If the Ministry's intervention is required, we are always willing to use our good offices in this regard.

With kind regards,

Yours sincerely,
B. P. SIKDER.

SHRI V. N. BHATNAGAR,
COMMERCIAL MANAGER,
FOOD CORPORATION OF INDIA,
16-20 BARAKHABA LANE,
NEW DELHI-110001.

COPY to Shri Khazan Singh, Managing Director, U. P. State Warehousing Corporation, Lucknow.

B. P. SIKDER.

U. P. STATE WAREHOUSING CORPORATION,
Post Box No. 196

No. SWC/7294/Tech/FCI/76-77, dated 18th June, 1976.

DEAR SHRI CHUGANI,

Sri J. N. Gupta, informed that in order to sort out pending issues and to meet the requirements of storage of fertilizers, the Managing Director of this Corporation should make it convenient to have discussions with the officers of the Food Corporation of India, New Delhi. Accordingly, I took the opportunity to meet you and appraise of our pending matters. Yours attention was drawn to the following issues :

This Corporation has already issued letter to your predecessors, Sri J. S. Arora. No confirmation of the issues discussed earlier could reach us, and, therefore, we have to express our inability to create further capacity. Meanwhile we got a letter from the Joint Commissioner (Movement), Sri B. P. Sikdar (copy enclosed at Annexure I). This Corporation has been trying to extend fullest co-operation to the Government of India in hours of need. Under advice from Mr. Sikdar, we had to arrange for the storage capacity so that 36000 M. T. of Urea lying at Madras Port could be brought to this State for storage. 15000 tonnes additional capacity as per enclosure (Annexure II) handed over to the Food Corporation of India, besides 5.35 lakhs tonnes capacity given to the FCI against the existing reservation as per the enclosure (Annexure III). The additional capacity of 15000 M. T. on reservation basis and utilized by the Food Corporation of India in the month of April-May, 1976 has not yet been confirmed with the result that no bills have been preferred by this Corporation at Regional level. I am not making any comments but only requesting you that as soon as the additional capacity reserved by the Government of India intimation on telephone or telegram was sent the same day or latest by the next working day. This could have avoided complications in future.

2. The Storage Charges were being paid by the Government of India to this Corporation at the rate of Rs.2.60 per M. T. but this corporation after providing them service to their entire satisfaction and making them available huge storage capacity in the hours of need, the Government of India was good enough to bring the storage charges on fertilizers at par with the CWC with retrospective effect. You might have already received instructions from the Government of India that the storage charges in case of the UPSWC have been revised from Rs.2.60 to Rs.2.80 per M. T. as was in the case of the CWC. These would be applicable up to 31st March, 1976, but in case of Government of India it is applicable only up to 29th February, 1976 as the entire stocks after Zero hours on 1st March, 1976 was transferred to the FCI.

The CWC has revised the rate of storage charges from Rs.2.80 to Rs.3.10 and you have accepted it to pay them. We have not yet received formal

communication from you that these revised storage charges will be paid to this Corporation, as already agreed to between the FCI and the SWC. Kindly see Annexure IV.

I am grateful to Sri J. S. Arora who was good enough to hear our problems of payment of storage charges at regional level and immediately he could direct the Regional Office for payment of storage charges in the succeeding month. This arrangement could work only for the month of March and April, 1976. Bills for the month of May have not yet been paid in spite of clear instructions from your head office by the accounts division of the Regional Office. It is an urgent matter which should not have taken such a long time in any clearance of the bills.

It was also brought to your notice that standardisation of bags takes time and under the existing procedure and according to the provisions of ordinance, the quantity and quality have to be mentioned on the bags and, therefore, standardisation is very necessary for which the supply of bags should be effected. Supply of bags has been arranged from your sources but we have not received the required number at all centres. In view of the emergent situation this Corporation has to make purchases of high density polythene bags from the Manufacturers Association. You were good enough to agree to this. On various issues raised by this Corporation you wanted some time to send formal confirmatory letter as you have just taken over and, therefore, you require some time to go through the details. You will also remember that you wanted some capacity to be made available to you so that you can clear up the congestion from the port. The capacity of 5000 M. T. against the existing capacity at various centres was given. You will also remember that you wanted more capacity for storage but you were requested to clear up the various issues raised, including the period of utilization of the existing accommodation at least up to 31st March, 1977 and for any further capacity up to 31st March, 1978.

Yours sincerely,

Sd. KHAZAN SINGH.

SHRI G. K. CHUGANI,
MANAGER (FERT.),
FOOD CORPORATION OF INDIA,
NEW DELHI.
Encl : As above.

Annexure II

Sl. no.	Centre	Capacity in M. T.	Date from which Reservation is effective
1.	Allahabad	4000	20.4.76
2.	Agra	2000	19.5.76
3.	Allahabad	1000	19.5.76
4.	Hathras	4000	19.5.76
5.	Firozabad	2000	19.5.76
6.	Aligarh	1000	28.5.76
7.	Hapur	1000	28.5.76
Total		15,000 M. T.	

Capacity offered in existing reservation to Food Corporation of India.

Annexure III

Sl. no	Centre	Capacity in M. T.	Sl. no	Centre	Capacity in M. T.
1.	Bahjoli	1200	12.	Mainpuri	300
2.	Etmadpur	200	13.	Orai	1000
3.	Farrukhabad	200	14.	Sikandrabad	300
4.	Kuberpur	500	15.	Shikohabad	200
5.	Sitapur	200	16.	Hapur	1000
6.	Barabanki	300	17.	Aligarh	1000
7.	Bangarmau	1000	18.	Meerut	3000
8.	Bharthana	500	19.	Moradabad	8000
9.	Dibiapur	500	20.	Varanasi	7000
10.	Kalpi	100	21.	Allahabad	4000
11.	Lalitpur	300	22.	Agra	2000

परिशिष्ट "घ"

THE FOOD CORPORATION OF INDIA
REGIONAL OFFICE
16-STATION ROAD, LUCKNOW

No. Fert. 1 (1) /76.

Dated 28th December, 1976.

To

THE DISTRICT MANAGER,
FOOD CORPORATION OF INDIA,
(ALL D. Ms.).

SUBJECT—*Payment of storage charges of fertilizers in SWC on Reservation Basis—
Revision of rates effective from 1st April, 1976.*

Sir,

Vide this office letter of even number dated 8th June, 1976, we have communicated the rates of storage charges payable to UPSWC for fertilizers storage on reservation basis, which was Rs.2.80 with effect from 1st March, 1976 on par with the rates CWC. The CWC rates have already been revised to Rs.3.10 per tonne per month with effect from 1st April, 1976.

It has now been decided to revise the rates of storage charges of fertilizers on reservations basis of UPSWC at the rate of Rs.3.10 (Rupees three and paise ten only) per tonne per month with effect from 1st April, 1976 on par with CWC. Same terms and facilities will be offered by CWC, as that are provided by CWC.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Sd.) V. V. S. CHAUHAN,

Senior Assistant Manager (FERT),

For Senior Regional Manager.

C.C.

1. AFA, FCI, R. Office, Lucknow, for necessary action.
2. MD, UP SWC, Lucknow with reference to his letter no 24261, dated 27-12-76.
3. Manager (Stg. & Cont.), FCI, H. Office, New Delhi, in continuation to our telex of even number dated 28-12-76.
4. Shri B. Pj Sikder, Joint Commissioner (FSD), Ministry of Agriculture & Irrigation, Govt. of India, New Delhi for information.
5. Manager (Fertilizer), FCI, H. Office, New Delhi for information.
6. Zonal Manager (N), FCI, New Delhi for information.
7. Regional Director, CWC, New Delhi for information.
8. DM (Stg.), FCI, R. Office, Lucknow for information.

For Senior Regional Manager.

परिशिष्ट "ड"

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

16-20, BARAKHAMBA LANE

HEAD OFFICE : NEW DELHI

No. E-12 (12) /73-Stg. VI

Dated 15th October, 1980.

CIRCULAR

SUBJECT—*Payment of storage transport charges bills CWC/SWC's-reg.*

Sir,

Attention is invited to this office circular no. E-12 (2) /72 Stg. VI, dated 20th July, 1978 wherein *inter alia* decisions taken in the meeting held F.C.I. Head Office, New Delhi, on 4th July 1978, were conveyed.

Cases have been brought to our notice where the Regional Managers are still making recoveries against their (FCI's) pending claim from the bills preferred on FCI, by the Central/State Warehousing Corporations.

In this connection the decision taken in the aforesaid meeting of which Item-I is quite relevant, was to prefer the claims separately rather than to adjust the same from either transport or storage pending bills of the Warehousing Corporations.

In order to sort out this issue once for all, another meeting was held at FCI Head Office, New Delhi, on the 26th August, 1980 wherein it was decided not to either recover/or to adjust any of our pending claims against the SWCs/CWC from their bills on hand and that our claims may invariably be preferred separately as per the aforementioned instructions already in force.

However, in case the SWC/CWC fail to make the payment towards our pending bills within four months of their having been preferred, the matter may be discussed/decided between the representatives of FCI/SWC/CWC at regional level for settlement within a month amicably failing which it may be brought to the notice of the Zonal Manager who could then, if considered necessary, order recoveries from the existing bills of the warehousing Corporations on hand pending final settlement of the dispute either at the level of Zonal Manager or Head Office.

It is requested that the above decision/instructions be circulated to all concerned for their information, guidance and strict compliance in order to avoid any such complaints arising from the CWC/SWCs in future.

Also, the receipt of this circular may please be acknowledged.

(Sd.) J. N. SARID,
Manager (Stg. and Cont.).

Distribution :

1. All SRMs/RMs/JM (PO) /OSD, FCI.
2. All Zonal Managers FCI.

COPY TO :

1. The Managing Director, Central Warehousing Corporation, 4/1 Institutional Area, Siri Fort, Hauz Khaz, New Delhi.
2. The Managing Director, State Warehousing Corporation, Lucknow.
3. B. R. F.
4. A. M. (Board).

FCI H. O., New Delhi.

5. P. S. to M. D./F. A./C. M. (G) /Secretary.
6. M (IA & RV) FCI, H. O., New Delhi.

परिशिष्ट "च"

आज दिनांक 22-9-78 को मेरठ केंद्र के ठेकेदार द्वारा एच 0 एड 0 टी 0 बिलों में अधिक धन चाँज करने के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष ठेकेदारों से विचार-विमर्श हुआ । ठेकेदार की ओर से श्री उत्तम चन्द गोयल अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए तथा उन्होंने मे 0 अग्रवाल ट्रेडर्स की ओर से एक पत्र दिनांक 18-9-78 प्रस्तुत किया जिसमें अग्रवाल ट्रेडर्स ने श्री उत्तमचन्द्र गोयल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है:—

1—श्री एफ 0 ए 0 अम्बासी	संग्रह सलाहकार
2—श्री एस 0 एल 0 मेहरोत्रा	वित्तीय सलाहकार
3—श्री काशीनाथ	अति 0 संग्रह अधिकारी
4—श्री पी 0 एस 0 त्रिपाठी	सहायक लेखा अधिकारी
5—श्री घनश्याम दास	सहायक सम्प्रीक्षण अधिकारी (दोरे पर)

ठेकेदार से पूछे गये प्रश्न तथा प्रश्न का दिया गया उत्तर निम्न प्रकार हैं

प्रश्न—मेरठ केंद्र पर स्टेट वेयरहाउसिंग की जो उर्वरक आयी थी, उसमें से 11,529 बोरे विभिन्न पार्टी को गुडसेट से ही डिलीवरी कर दिया था जबकि बिल में उपरोक्त बोरो को पहले गुडसेट से प्राप्त करके गोदाम में प्राप्त करना दिखाया गया है तथा इसके बाद पार्टी को डिलीवर किया गया दिखाया गया है । उक्त मात्रा में फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का 6219 बोरा तथा इफको का 5,310 बोरे था ?

उत्तर—फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के 6,219 बोरे के संबंध में फर्टिलाइजर कारपोरेशन की जो खाद है उसको गोदाम तक लाना, गोदाम में उतार कर स्टैंक व गोदाम से लोडिंग दिखाया गया है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि नवम्बर, 1975 में हैन्डलिंग ट्रांसपोर्ट के बिलों में इस तरीके का का कोई आइटम क्लेम नहीं की गयी है । जैसा कि मेरे पास बिल की आफिस कापी देखने से प्रतीत होता है तथा जो भुगतान मुझे मिला है उसमें इस कार्य का धन सम्मिलित नहीं है । जो भुगतान मुझे मिला है वह रु 0 1,875.71 पैसे का प्राप्त हुआ है जिसका कि बिल मैंने रु 0 1,913.71 पैसे का प्रस्तुत किया था जो कि दिनांक 11-7-76 को वेयरहाउस मेरठ पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था । मुझे यह नहीं मालूम कि यह आपत्ति मेरे विरुद्ध किस तरीके से लगायी गयी है ।

दूसरी आपत्ति जो है वह इफको के बिल में 5,310 बोरे के संबंध में उसके उत्तर में भी मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह बोरे बिल में क्लेम ही नहीं किये तो अधिक भुगतान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह नवम्बर, 1975 का इफको का बिल मैंने दिनांक 11-7-76 को भुगतान हेतु मेरठ वेयरहाउस पर प्रस्तुत किया था जोकि रु 0 1,869.44 का था जिसका भुगतान मुझे रु 0 1,832.44 दिनांक 23-7-76 के चेक द्वारा प्राप्त हो गया था ।

प्रश्न:—दिसम्बर 1975 में भारत सरकार के 1,840 बोरे तथा उर्वरक निगम के 4,137 बोरे को गोदाम में प्राप्त करने के बाद डिलीवर करना दिखाया गया है जबकि यह माल गुडसेट से ही पार्टी को डिलीवर कर दिया गया ?

उत्तर—फर्टिलाइजर कारपोरेशन के 4,137 बोरो के संबंध में मेरा निवेदन है कि दिनांक 1-12-75 को 2,063 बोरे रेल हैड से गोदाम तक आये जबकि उस तारीख को कोई डिलीवरी ही नहीं हुई । दिनांक 2-12-75 को 1,033 बोरे गोदाम तक आये जबकि गोदाम से 1,566 बोरो की डिलीवरी हुई । दिनांक 3-12-75 को 1,041 बोरे गुडसेट से (माल

गोदाम से) गोदाम तक आये जबकि 1,531 बोरो की डिलीवरी हुई। दिनांक 4-12-75 को कोई बोरा रेल हेड से गोदाम तक नहीं आया। केवल 1,041 बोरो का गोदाम से डिस्पैच हुआ है जैसा कि मेरे पास बिल की व वर्कस्लिप की प्रतिलिपि भंडार प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर की हुई प्रमाणित मौजूद है।

दिसम्बर 1975 में 1,840 बोरे गोदाम तक लाकर गोदाम में उतार कर लोडिंग करके अधिक भुगतान लेने के संबंध में है। दिसम्बर माह में 85,154 बोरे गुडसैट से गोदाम तक आये हैं और 45,900 बोरे गोदाम से डिस्पैच दिखाये गये हैं जिसमें से 4,480 बोरे रेल द्वारा भेजे गये हैं। इस माह में 1,840 बोरे किसी दिन भी गोदाम से डिस्पैच नहीं हुए हैं जैसा कि मुझे अपने बिल व समरी देखने से ज्ञात हुआ है तथा जो भी भुगतान मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है वह भंडार प्रबन्धक द्वारा जारी की गयी वर्क स्लिप के आधार पर प्राप्त किया गया है। जैसा कि टेंडर को पेज नं० 16 व ब्लोज नं० 16 में लिखा हुआ है। इस सन्दर्भ में आगे मेरा निवेदन है कि दिसम्बर माह का बिल मैंने दिनांक 23-2-76 को भुगतान हेतु बेयरहाउस मेरठ पर प्रस्तुत किया था जिसका कि भुगतान मुझको बाद में ही प्राप्त हुआ है।

प्रश्न—इफको का जनवरी माह में 5,996 बोरा तथा भारत सरकार का 87,081 बोरा उर्वरक गोदाम में रेल हेड से प्राप्त करना दिखाया गया है जबकि यह माल रेल हेड से ही विभिन्न पार्टों को डिलीवर किया गया था ?

उत्तर—माह जनवरी 1976 में 5,996 बोरे प्राप्त हुए हैं व 5,996 बोरे ही डिस्पैच हुए हैं इसमें मेरा निवेदन है कि इफको फर्टिलाइजर के अधिकारी भी बेयरहाउस पर समय-समय पर उर्वरक की प्राप्ति व डिलीवरी के समय उपस्थित रहते रहे हैं तथा जो भी कार्य कराया जाता था वह कार्य उनको प्रतिदिन बता दिया जाता था यह वह खुद आकर और देखकर मालूम कर लेते थे कि आज हमारे कितने बोरो की प्राप्ति हुई है और गोदाम में कितने बोरो की डिस्पैच हुई है।

जनवरी, 1976 के जो 87081 बोरो के संबंध में उत्तर में मेरा यह कहना है कि जो वर्कस्लिप बेयरहाउस मैनेजर द्वारा प्रतिदिन मुझे काटकर दी जाती रही है वह सही है। साथ ही यह निवेदन करना है कि जनवरी, 76 में जो कार्य मैंने किया है उसका बिल मैंने दिनांक 11-4-76 को मेरठ बेयरहाउस पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया है जो कि मुझको दिनांक 20-4-76 को प्राप्त हुआ, इस बीच में मुझे रु० 60,000 दिसम्बर, 1975 व जनवरी, 1976 के बिल पर दिनांक 21-1-76 को मेरठ भण्डार गृह से एडवान्स के रूप में प्राप्त हुये तथा रु० 30,000 जनवरी माह के बिल के विरुद्ध पत्रसंख्या 23849 दिनांक 5/6-3-76 के द्वारा प्राप्त हुये जिसकी कि सिफारिश भण्डार प्रबन्धक द्वारा कार्य को अधिकता को ध्यान में रखते हुये समय के अभाव में बिल न बना सकने की वजह से की थी। साथ ही मेरा निवेदन है कि मुझको तारीख वाइज बताया जाय कि इस तारीख को इतने बोरो रेल हेड से डिस्पैच किये गये हैं ताकि मैं इसका सही उत्तर दे पाऊं। क्योंकि मेरे पास जो वर्कस्लिप है वह प्रतिदिन कार्य के हिसाब से है जिसमें कि प्रत्येक वर्कस्लिप में यह दर्शाया गया है कि कितना माल किस गोदाम में आया है तथा कितना माल किस गोदाम से डिस्पैच किया गया है। अगर यह बताना उचित समझे तो मैं इसका जबाब देने के लिये तैयार हूँ।

प्रश्न—भण्डार प्रबन्धक द्वारा जो भी वर्क स्लिप दी जाती थी उसको आप किस रिकार्ड से या किस प्रकार सत्यापित किया करते थे कि उसमें जो भी दर्शाया गया है वह सही है तथा उसमें दिखाया गया काय क्या आपने किया था ?

उत्तर—इस प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि जो भी कार्य की वर्कस्लिप मुझको दी जाती थी वह पहले वर्किंग रजिस्टर में कार्य चढ़ाने के बाद ही दी जाती थी उसको मैं अपने लेबर श्री इशाक मुहम्मद को बुलाकर तथा साथ में बैठकर उन्हीं के सामने यह बताकर कि इस तारीख में इतना काम हुआ है जब वह कहता था कि जो वर्कस्लिप दी जा रही है वह आफिस के रिकार्ड के अनुसार ही बतायी गयी है तो कम या ज्यादा होने का प्रश्न ही नहीं होता।

इसी के आधार पर वह मेरे साथ आफिस में बैठकर जितना काम वर्क इन रजिस्टर में दर्शाया जाता था उसको नोट करके जब भी हिसाब होता था तो वही वर्कस्लिप का आधार रहता था इसमें बाद में मेरे लेबर मेट द्वारा श्री इशाक मुहम्मद द्वारा यह बताया गया कि हमको कम बोरे ठण्डे डाईजेशन के कुछ महिनो में कम दिये गये है जबकि मैंने उसका भुगतान वर्क स्लिप के आधार पर ही किया था इसके लिये उसमें यह पता नहीं चल पाया कि बोरे कम क्लेम किये गये हैं साथ में मेरा निवेदन है कि रेलवे पर जो माल अनलोड होता है वह पहले रेलवे अनलोड रजिस्टर में चढ़ता था और उसके बावजूद भी माह अक्टूबर, 76 में 4,010 बोरे की मुझको वर्कस्लिप इशू नहीं की गयी। यह जो वर्क स्लिप मेरे द्वारा कम प्राप्त कर ली गई थी उसका मुख्य कारण था कार्य की अधिकता व हिसाब को दिवार लिखकर टोटल महीने में कितना कार्य हुआ आफिस के द्वारा ही मालूम किया जाता रहा था।

प्रश्न—नवम्बर, 1975 से जनवरी, 1976 तक आपने एच0एण्ड टी0 का जो भी कार्य किया है उसके सम्बन्ध में प्रतिदिन किस-किस लेबर को कितना कितना भुगतान आपने किया है क्या इसका रिकार्ड आपके पास है यदि हां तो प्रस्तुत करें।

उत्तर—इस संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे द्वारा भुगतान लेबर मेट को किया जाता रहा है और वह अपनी लेबर को भुगतान करता था।

प्रश्न—लेबर मेट को आपने प्रतिदिन कितना-कितना भुगतान किया है तथा लेबर मेट का नाम व पता क्या था, सूचित करें ?

उत्तर—मेरे द्वारा लेबर मेट को जब भी मेरे पास पैसा होता था उसी अवस्था में भुगतान कर पाना सम्भव था। इसलिये प्रतिदिन भुगतान का तो प्रश्न ही नहीं है। जब भी लेबर मेट को जरूरत होती थी अपने लेबर को पैसा देने की तो वह मुझसे एडवान्स के रूप में पैसा ले लेता था बाद में जब हिसाब होता था तो वह एडवान्स का पैसा काटकर बकाया पैसा ले लेता था।

प्रश्न—नवम्बर, 1975 से जनवरी 1976 तक आपने लेबर मेट को एच0 एण्ड टी0 कार्य के सम्बन्ध में जो भी अग्रिम किया हो तथा उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार किया गया उसका एकाउन्ट प्रस्तुत करें।

उत्तर—मेरा निवेदन है कि मुझको प्रधान कार्यालय पर पत्र द्वारा यह लिखकर बुलाया गया था कि भुगतान के सम्बन्ध में कुछ अपना पक्ष प्रस्तुत करें जबकि मुझको यही मालूम नहीं था कि क्या मेरे भुगतान में कोई आपत्ति है। इसलिये मुझको न तो पत्र से ही ज्ञात हुआ और न ही मुझे पहले कभी बताया गया। यह करीब 2 साल 8 महीने पहले की बात जो आपने मुझसे मालूम की है वह इस वक्त बताना मेरे लिये संभव नहीं है तथा पूछा जाना भी उचित सा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मैं अपने साथ केवल बिल ही दिखाने के लिये लाया था, जैसा कि पत्र देखने से ज्ञात होता था कि बिलों के संबंध में ही कुछ प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न—उक्त अवस्था में लेबर मेट को आप द्वारा किया गया भुगतान तथा उसका समायोजन का एकाउन्ट आप कब तक प्रस्तुत कर सकते हैं ?

उत्तर—इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भुगतान करने के बाद जो भी लाभ या हानि होती थी वह मुझको ही वहन करनी होती थी। इसी आधार पर मैंने जो भी रिकार्ड अपने यहां बनाया था वह 2 साल 8 महीने व्यतीत होने के बाद मैं यह पक्का नहीं कह सकता कि वह रिकार्ड उपलब्ध करके आपको दिखा पाऊंगा या नहीं।

वास्ते अग्रवाल ट्रेडर्स]

(ह0)

उत्तम चन्द गोयल
प्रतिनिधि।

परिशिष्ट 'छ'

मुरादाबाद केंद्र पर पिछले तीन वर्षों में हैंडलिंग कार्य के संबंध में

इस केन्द्र पर पिछले तीन सालों में निम्नलिखित पार्टीज ने काम किया :

1976-77—1-4-76 से 19-9-76 तक—मैसर्स रस्तोगी ब्रदर्स ।

20-9-76 से 31-3-77 तक—मैसर्स आर० के० ट्रेडर्स ।

1977-78—1-4-77 से 11-3-78 तक—मैसर्स आर० के० ट्रेडर्स ।

1978-79—1-4-78 से 31-5-78 तक—मैसर्स आर० के० ट्रेडर्स ।

1-6-78 से अब तक—मैसर्स मुरादाबाद हैंडलिंग एजेन्सी (एडहाक) उपरोक्त की नियुक्ति टेन्डर अथवा कोटेशन में न्यूनतम प्राप्त दर पर निगम द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई ।

मुरादाबाद केंद्र के संबंध में दिनांक 22-2-79 को खोले गये टेंडरों का तुलनात्मक विवरण

(1) श्री शादी लाल	..	247 प्रतिशत	एबब दी शेड्यूल रेट ।
(2) मै० गंगू ट्रेडिंग कारपोरेशन	..	239 प्रतिशत	तदेव
(3) मै० जैन ब्रदर्स	..	254 प्रतिशत	तदेव
(4) मै० मुरादाबाद हैंडलिंग एजेन्सी ।	..	241 प्रतिशत	तदेव
(5) मै० शर्मा एण्ड कम्पनी	..	245 प्रतिशत	तदेव

परिशिष्ट 'क'

PARTICULARS OF TENDER OF PATERA MATS OPENED ON AUGUST 24, 1977 AT U. P., S. W. C.
HEAD OFFICE, LUCKNOW

Serial no.	Name and address of the Party	Earnest money	Rate per 100 sq. ft. area free on Road up-to destination Warehouse godowns	Sales Tax	Samples	Other conditions of the supplies	Signature of Tenders Representative
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Bijnor Supply Agencies, Bijnor.	Rs. 1,500 <i>vide</i> C.R. no. 20354, dated August 24, 1977	Rs. 8.90 Ps. (Rupees eight and Paise ninety) per 100 sq. ft.	Sales Tax extra.	Sample received	..	(Sd.) Illegible.
2	M/s Northern Trading Co., Iftekharabad, Kanpur.	Received Cash Rs. 500 and Rs. 1,000 <i>vide</i> D.D. no. 025369, dated August 20, 1977.	Rs. 9 (Rupees Nine) per 100 sq. ft.	Sales Tax extra against form 3-D	Ditto	..	(Sd.) Illegible.
3	M/s Kumar & Bros., Chowk Amroha, Moradabad.	Rs. 1,500 <i>vide</i> D.D. no. 10/349 662115, dated August 24, 1977.	Rs. 7.50 Ps. per 100 sq. Ft. (Rupees Seven Paise fifty) only.	..	Ditto	..	No representative was present.
4	M/s Mats Supply Corporation, 225 Mirpur Cantt. Kanpur.	Rs. 1,500 cash <i>vide</i> C.R. No. 20358, dated August 24, 1977	Rs. 5.50 Ps. per 100 Sq. ft. (Rupees five Paise fifty) only.	Sales Tax extra	No. Sample	Supply period given one hundred forty five days after the receipt of the order.	Ditto.
5	M/s Kapil, Bros., Khapra Mohal, Kanpur.	Requested for adjustment.	No rates quoted	..	Ditto	..	(Sd.) Illegible.

6	M/s Manoj Kumar and Co., Garh Road, Hapur.	No earnest money draft no. as quoted not enclosed.	Rs. 9.75 Ps. per 100 Sq. ft. (Rupees Nine Paise Seventy five) only.	Sales Tax extra	Ditto	None present.	
7	M/s Bharti Supplier and Contractors, Lucknow.	Rs. 1 500 Cash Receipt No. 20361, dated August 24, 1977.	Rs. 8.12 Ps (Rupees eight Paise Twelve) per 100 sq. ft.	Inclusive No Taxes	No sample	Offer valid upto one month. Supply schedule 50,000 Mats per month 1 per cent discount allowed if payment is done with 10 days from the date of presentation of bills.	(Sd.) Illegible,
8	M/s Sanjay Kumar Ram Prakash Chowk, Badaun.	Rs. 1,500 vide C.R. No. 20359, dated August 24, 1977.	Rs. 6.50 per 100 sq. ft. free on Road upto Warehouse godown.	Sales Tax extra	Nil	Rates quoted are applicable for Agra and Bareilly Regions, measurements of Mats payment to be done at Badaun.	
9	M/s Sukha Singh Ram Prakash, Garhmukteshwar, Meerut.	Rs. 1,500 vide D.D. No. 061175, dated August 23, 1977.	Rs. 7.98 per 100 sq. ft. free on Road upto Warehouse godown— 1. Bareilly Region Rs. 7 per 100 sq. ft. 2. Meerut Region Rs. 6.25 per 100 sq. ft. 3. Agra Region Rs. 6.50 per 100 sq. ft.	Ditto	Sample received	Party stated in a separate letter that rates quoted by them are by Train and not by Road.	(Sd.) Illegible.

Serial no.	Name and address of the Party	Earnest money	Rate per 100 sq. ft. area free on Road up to destination. Warehouse godowns	Sales Tax	Samples	Other conditions of the supplies	Signature of Tenderers Representative
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Kanpur Region Rs. 8.00 per 100 sq. ft.	Ditto			
			5. Varanasi Region Rs. 9.25 per 100 sq. ft.				
10	M/s Bhagat Ram Kakkar Puranpur, Pilibhit.	Received vide C. R. 20357, dated August 24, 1977 in Cash Rs. 1,500.	Rs. 22.99 Ps. per 100 sq. ft. (Rupees twenty-two Paise ninety nine) only.	Sales Tax extra	Sample received		
11	M/s Sealand India Traders, Hapur, (Meerut).	Rs. 15.00 vide D.D. No. 001186, dated August 20, 1977.	Rs. 9 (Rupees Nine) per 100 sq. ft.	Ditto	Ditto		(Sd.) Illegible.
12	M/s Ramesh Chandra Saraf, Katara Bazar, Soron, Etah.	Rs. 1,500 D.D. No. 520087, dated August 23, 1977.	Rs. 6.40 (Rupees Six paise forty) per sq. ft. rate quoted Bareilly and Agra Region only.	Not mentioned	No. samples	Rates quoted for Bareilly and Agra Region.	(Sd.) Illegible.
13	M/s Kumar and Co., Bulandshahr.	Rs. 1,500 in Cash 20360, dated August 24, 1977.	Rs. 7.70 Paise (Rupees Seven paise Seventy) only per 100 sq. ft	Sales Tax not mentinoed	Sample received	Security not deposited nor sent any reply. E.M forfeited.	(Sd.) Illegible.

Signature of Manager.
Signature of Committee Members.

परिशिष्ट "अ"

अन्तरिम प्रतिवेदन में अस्तुत सुझाव

1—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा कृषक वर्ग को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये कि वह अपनी उपज का भण्डारण भण्डार-गृहों में करें और आवश्यकता पड़ने पर बैंक से कर्ज की सुविधा प्राप्त करें और बाजार में यथा समय अपना उत्पादन बेच कर अधिक लाभ अर्जित करें।

2—समिति अनुबंधित क्षमता के रिक्त होने तथा निगम की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सबल संस्तुति करती है कि कृषक वर्ग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किये जाने के लिये उन्हें भण्डारण शुल्क में अधिक से अधिक छूट प्रदान की जानी चाहिये।

3—समिति संस्तुति करती है कि शासन द्वारा देश के अन्य राज्य भण्डारागार निगमों के प्रशासकीय विभागों की बात को दृष्टिगत रखते हुए इस बात पर विचार करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का संबंध शासन स्तर पर किस विभाग से रखा जाना उपयोगी होगा।

4—समिति संस्तुति करती है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विकेन्द्रीकरण किया जाये। विकेन्द्रीकरण से नियंत्रण प्रभावशाली होगा और कर्मचारी वर्ग को भी संतुष्टि प्राप्त होगी। समिति यह भी संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम को इस प्रकार सम्भागों में बांटा जाये कि एक सम्भागीय अधीक्षक के अधीन कम से कम पांच व अधिक से अधिक सात जनपद हों। प्रत्येक सम्भाग का सम्भागीय अधीक्षक निगम के प्रबंध निदेशक के प्रति उत्तरदायी हो और प्रत्येक सम्भाग का कर्मचारी सम्भागीय अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी हो।

5—समिति संस्तुति करती है कि नियुक्तियों, प्रोन्नतियों, निलम्बन, स्थानान्तरण व स्थाई करण में नियमानुसार ठोस व सामान्य प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए, अपनाई जानी चाहिये। समिति यह भी संस्तुति करती है कि निगम के स्टाफ रेगुलेशन को भी व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिये।

6—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की कार्य महत्ता व जिम्मेदारी को देखते हुए कम से कम स्टाफ दैनिक वेतन भोगी होना चाहिये, दैनिक वेतनभोगी स्टाफ को नियमों के अनुसार शीघ्र से शीघ्र नियमित होना चाहिये और नियमित स्टाफ को सामान्य नियमों के अनुसार शीघ्र से शीघ्र स्थाई होना चाहिये। ऐसा करने से वे अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगे। समिति यह भी संस्तुति करती है कि प्रत्येक भण्डार-गृहों पर भण्डारण क्षमता को मानते हुए अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिये।

7—समिति दूर-दृष्टिता को दृष्टिगत रखते हुए यह संस्तुति करती है कि भूमि प्राप्त करने की वैधानिक विषमता, भूमि की कीमत, पट्टे की अवधि, भूमि का निबन्धन तथा पट्टे के नवीनीकरण आदि के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न न हो।

8—समिति संस्तुति करती है कि निजी संक्रमण द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि को क्रय करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भूमि को भराई आदि पर कितना व्यय अनुमानित होगा और इस व्यय के उपरांत भूमि की कीमत समस्त भूमि से अधिक तो न होगी।

9—निजी संक्रमण द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि के विषय में समिति संस्तुति करती है कि भूमि की कीमत की पुष्टि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से प्राप्त की जानी चाहिये। समिति यह भी संस्तुति करती है कि प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के प्रस्ताव की जांच, बोर्ड आफ डायरेक्टरों के अनुमोदन से पूर्व कम से कम दो समितियों के माध्यम से होनी चाहिये, प्रथम बोर्ड आफ डायरेक्टरों द्वारा गठित भूमि क्रय समिति व दूसरी राज्य सरकार द्वारा गठित क्रय समिति, जिसमें कृषि, न्याय, राजस्व, सहकारिता एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी हों। समिति यह भी संस्तुति करती है कि निजी संक्रमण द्वारा भूमि केवल उन्हीं परिस्थितियों में क्रय किये जाने का प्रस्ताव होना चाहिये जब कि प्रस्तावित स्थान पर भूमि प्राप्त करने का कोई अन्य स्रोत न हो।

10—समिति संस्तुति करती है कि कर्मचारी को ऐसी दशा में निलम्बन करना चाहिये जब कि प्राग्दर्शन में उसके विरुद्ध गम्भीर प्रकार के आरोप सिद्ध होने की सम्भावना हो और निलम्बन संबंधी कार्य करते समय नियमों का पूर्णरूप से पालन किया जाना चाहिये। नियमानुसार निलम्बन की अवधि कम से कम रखी जानी चाहिये।

11—समिति संस्तुति करती है कि जहां तक सम्भव हो राज्य भण्डारागार निगम द्वारा अपनी इंजीनियरिंग सेल के स्वीकृत पदों के औचित्य को सिद्ध करते हुए स्वयं की देख-रेख में निर्माण कार्य कराये जायें।

राज्य भण्डारागार निगम द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण से मितव्ययिता और मानकों के अनुसार कार्य को सुनिश्चित करने हेतु निविदाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना चाहिये।

निर्माण के आरम्भ से अन्त तक इंजीनियरिंग सेल द्वारा कार्य के मानकों की समुचित देख-भाल की जानी चाहिये।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर निर्मित भण्डार-गृहों को अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् राज्य भण्डारागार निगम द्वारा टेक ओवर करना चाहिये।

विभिन्न केन्द्रों पर निर्मित भण्डार-गृहों के प्लेट फार्म तथा सड़कें आदि जो क्षति-ग्रस्त हो गई हैं, को ठीक कराने के विषय में समय बद्ध कार्यक्रम चलाकर पूर्ण कराने हेतु राज्य भण्डारागार निगम को राजकीय निर्माण निगम से समन्वय करना चाहिये।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर निर्मित भण्डार-गृहों के लेखे-जोखे का शीघ्र प्रति-शीघ्र अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु राज्य भण्डारागार निगम को चेष्टा करनी चाहिये। राज्य भण्डारागार निगम द्वारा किसी केन्द्र पर प्रस्तावित भण्डार-गृहों के निर्माण हेतु अवधि सुनिश्चित की जानी चाहिये।

राज्य भण्डारागार निगम द्वारा निर्माण से संबंधित कार्य का निरीक्षण कम से कम तीन माह में एक बार इंजीनियरिंग सेल के अधिकारियों द्वारा कराते रहना चाहिये और यदि निरीक्षण के समय किसी कार्य को कराया जाना अपेक्षित हो तो उस कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराया जाना चाहिये ।

12—समिति यह भी संस्तुति करती है कि भण्डारागार निगम द्वारा राज्य भण्डार-गृहों के निर्माण की योजना में चौकीदार के अतिरिक्त कम से कम प्रबंधक व एक लिपिक हेतु प्रावासीय व्यवस्था का प्राविधान किया जाना चाहिये । ऐसा करना कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा ।

13—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रसार तथा विख्यापन आदि के माध्यम से व्यापारी वर्ग एवं कृषकों आदि को भण्डारण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये और शासन द्वारा भी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से गल्ला खरीद कर भण्डारण करने हेतु भण्डारागार निगम को प्रोत्साहित करना चाहिये ।

14—समिति संस्तुति करती है कि कानपुर स्थित श्री राम रतन मुस्त बाले किराये के गोदाम के विषय में पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिये ।

15—समिति संस्तुति करती है कि हापुड़ (कैली) स्थित किराये के गोदाम संख्या 208 के विषय में पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिये और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये और तदनुसार सम्बन्धित गोदाम का किराया भी बढ़ाया जाना चाहिये ।

16—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा प्राप्त पत्रों के उत्तर यथा-समय अत्रावधिक कृत कार्यवाही के साथ अवश्य ही प्रेषक को प्रेषित करना चाहिये ।

17—समिति किराये पर उपलब्ध खाली भण्डारण क्षमता के विषय में यह संस्तुति करती है कि वाणिज्य दृष्टिकोण अपनाने के पश्चात् यथाशीघ्र छोड़ दिया करें ऐसा करने से केवल किराये की ही बचत न होगी अपितु स्टाफ पर होने वाला व्यय भी बचेगा और यह सम्पूर्ण रूप से निगम के हित में होगा ।

18—समिति किराये के गोदामों को प्राप्त किये जाने के विषय में यह भी संस्तुति करती है कि वास्तविक क्षमता को किराये पर लेने से पूर्व उसका अनुमोदन निगम द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाना चाहिये ।

19—समिति संस्तुति करती है कि सुपरविजन चार्ज की दरों को ठोस आधार पर निगम द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये जो कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिये सामान्य रूप से लागू हो । समिति यह भी संस्तुति करती है कि निगम की हेन्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट सुपरविजन चार्ज के विषय में विशेषकर इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिये कि वह कहीं सुपरविजन चार्ज की मद में हानि तो नहीं उठा रही है ।

20—समिति संस्तुति करती है कि विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के हेन्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के सुपरविजन चार्ज को दृष्टिगत रखते हुए असमानवोच्य दूरे किये जाने के विषय में ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

21—समिति संस्तुति करती है कि हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित निदिष्ट दरों को ०। से कम 3 वर्ष में एक बार अवश्य ही पुनः निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि निदिष्ट दरों के अनु- रूप ही निविदायें प्राप्त हो सकें और अकारण उत्पन्न होने वाला भ्रम भी दूर हो सके।

22—समिति तदर्थ रूप से नियुक्त ठेकेदारों के विषय में यह संस्तुति करती है कि उनकी अवधि कम से कम रखने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा ठेकेदारों से समुचित मात्रा में जमानत की धनराशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की जानी चाहिये ताकि निगम को किसी प्रकार की हानि की आशंका न रहे।

23—समिति संस्तुति करती है कि भण्डारण एवं उठान के समय पूरे माल की तौलाई हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये।

24—समिति संस्तुति करती है कि हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के भुगतान के विषय में भुगतान हेतु अग्रिम प्राप्त किये जाने के विषय में समुचित प्रयत्न किये जाने चाहिये। समिति ठेकेदारों के भुगतान के विषय में यह संस्तुति करती है कि व्यावहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय स्तर के आधार पर रनिंग पेमेन्ट की व्यवस्था की जानी चाहिये।

25—समिति संस्तुति करती है कि तकनीकी भण्डारण से संबंधित जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं अनुभवी अधिकारी हों। समिति यह भी संस्तुति करती है कि प्रत्येक पन्नी वर्ष में कम से कम दो बार तकनीकी सेल द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी गोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाना चाहिये।

26—समिति इन्सेक्टीसाइड्स, ड्रिनेज से संबंधित खरीद के विषय में संस्तुति करती है कि सेन्ट्रल परचेज कमेटी के अतिरिक्त अन्य राजकीय रेट कन्ट्रैक्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये और यदि संभव हो तो निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के आधार पर उक्त सामग्रों की आपूर्ति हेतु प्रयास करना चाहिये।

27—समिति संस्तुति करती है कि प्रत्येक भण्डारागृह पर पूर्ण रूप से टेक्निकल इक्विप-मेंट्स उपलब्ध कराये जाने चाहिये ताकि तकनीकी भण्डारण में अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके।

28—समिति संस्तुति करती है कि गुड व राब से संबंधित मुख्य मंडियों के केन्द्रों पर तकनीकी भण्डारण की सुविधा प्रदान किये जाने के विषय में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये।

द्वितीय अंतरिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत सुझाव—

29—समिति सबल संस्तुति करती है कि निगम की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषक वर्ग को अपनी उपज के भण्डारण को प्रोत्साहित करने के लिये तमाम दृष्टिकोणों से भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

30—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम हेतु एक सेवा ट्रब्यूनल बनाया जाये जो कि निगम में हुई समस्त प्रोन्नतियों आदि के विषय में विस्तृत जांच करे और तदनुसार प्रोन्नतियों आदि में बरती गई अनियमितताओं को दूर किया जाये।

31—समिति संस्तुति करती है कि नियुक्तियों, प्रोन्नतियों आदि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का समुचित आरक्षण किया जाये ।

32—समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का शासन स्तर पर सम्बन्ध कृषि विभाग से होना चाहिये । यदि शासन स्तर पर विभाग बदलने में किसी प्रकार के नियम बाधक हो तो समिति संस्तुति करती है कि इन नियमों को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिये ।

33—समिति संस्तुति करती है कि विकेन्द्रीयकरण के उपरांत क्षेत्रीय अधीक्षकों के कार्यालयों में दूरभाष की सुविधा तथा प्रत्येक क्षेत्रीय अधीक्षक का एक जीप की सुविधा प्रदत्त की जानी चाहिये ताकि वह अपने क्षेत्र में किसी भी केन्द्र पर अधिक से अधिक तीन घंटे में व्यक्तिगत रूप से पहुँच सके । ऐसा करना निगम के ही हित में नहीं अपितु जनहित में होगा ।

34—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम में उत्तर प्रदेश शासन स्तर के समान तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिये ।

35—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को विवाह एवं पर्व पर यथा सम्भव अग्रिम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये ।

36—समिति संस्तुति करती है कि प्रत्येक भण्डार-गृह पर भण्डारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा मानक निर्धारित किये जाने चाहिये और उसके अनुरूप कर्मचारियों की संख्या निर्धारित होनी चाहिये ।

37—समिति नियुक्तियों के विषय में संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को सर्व प्रथम उत्तर प्रदेश सरकार के छटनी शुदा कर्मचारियों को वरीयता देनी चाहिये । नियुक्तियों में अनुचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो रिक्त पदों का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना चाहिये ।

38—समिति संस्तुति करती है कि यात्रा भत्ता अग्रिम के विषय में विस्तृत जांच करायी जाये और निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त होने वाले यात्रा भत्ता बिल का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य ही हो जाये । समिति यह भी संस्तुति करती है कि एक कर्मचारी को एक से अधिक अग्रिम नियमानुसार नहीं दिया जाना चाहिये ।

39—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश शासन की भांति पत्रावलियों के रख-रखाव एवं कार्य से सम्बन्धित प्रणाली को राज्य भण्डारागार निगम द्वारा तुरन्त अपनाया जाना चाहिये ।

40—समिति संस्तुति करती है कि स्टाफ रेगुलेशन्स बहुत ही विस्तार में होने चाहिये और व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकतानुसार इन्हें समय-समय पर संशोधित होना चाहिये ।

41—समिति संस्तुति करती है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान निगम के सेवा नियम होने चाहिये ।

42—समिति संस्तुति करती है कि निगम में कार्यरत प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को निगम द्वारा नियमित किया जाना चाहिये जिनकी सेवावधि तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक हो गयी हो ।

43—समिति संस्तुति करती है कि भण्डार-गृहों पर जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके लिये आवास की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिये जैसे तमिलनाडु राज्य में की गयी है ।

44—समिति कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं निलम्बन जो मन माने ढंग से होते हैं और जिनका निस्तारण समय के अन्दर नहीं होता है के विषय में संस्तुति करती है कि इस बात में कुछ नामन होने चाहिये ।

45—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष अथवा निदेशक द्वारा जो नाम निदेशित किये जाते हैं उनकी स्वीकृत केन्द्रीय भण्डारागार निगम न लिये जाने का प्राविधान होना चाहिये ।

46—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम के निदेशक मण्डल को अपने से कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये ।

47—समिति कुडेश्वरी भूमि के प्रकरण पर संस्तुति करती है कि तत्कालीन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम श्री गुरुदत्त सोलंकी ने निगम के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के नियत से निगम के धन का जानबूझकर दुरुपयोग किया है ।

48—समिति कुडेश्वरी भूमि के प्रकरण पर संस्तुति करती है कि निगम की इस क्षति को देखते हुये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ।

49—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा अध्यापित भूमि की दरों व राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण में कोई स्पष्ट प्रक्रिया अथवा ठोस आधार पर अपनाया जाना चाहिये ।

50—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि के विषय में प्रत्येक केंद्र हेतु लिखित रूप से अलग-अलग अनुबंध होना चाहिये ।

51—उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को उपलब्ध करायी गयी भूमि के पट्टे का नवीनीकरण हेतु अथवा सामान्य नियमों के अनुसार 99 वर्ष के लिये पट्टे के आधार पर भूमि प्राप्त करने हेतु शासन को व्यवस्था करना चाहिये ।

52—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से जो भूमि की कीमत प्राप्त होती है उस पर पूर्ण रूप से विचार कर प्रयास किया जाना चाहिये कि दरें उचित व कम से कम हों व यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जिस आधार पर दरें निर्धारित की गयी हैं वह उचित हैं ।

53—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि का भुगतान जल्द से जल्द कर देना चाहिये ऐसा करने में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् को भी समन्वय व सहयोग करना चाहिये ।

54—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से प्राप्त भूमि के सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तार से विचार करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न न होने पाये ।

55—समिति संस्तुति करती है कि भूमि अध्याप्ति करने में यदि जिलाधिकारी असमर्थ होता है और निजी संक्रमण से कोई भूमि क्रय करना है तो उप भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी से अवश्य कराया जाये तभी वह भूमि क्रय की जाये ।

56—समिति को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि राज्य भण्डारागार निगम के लिये जो जमीन खरीदी गयी उसमें तहसीलदार ने मनमाना मूल्यांकन किया जैसा कि टाण्डा में एक एकड़ भूमि का मूल्यांकन वहाँ के तहसीलदार ने 2 लाख 10 हजार रुपये प्रति एकड़ किया है जबकि वही भूमि 40 हजार रुपये प्रति एकड़ राज्य भण्डारागार निगम ने खरीदी है । समिति यह संस्तुति करती है तहसीलदार द्वारा प्रमाणित दरों की जांच की जाये और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये ।

57—समिति संस्तुति करती है कि अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में भी भण्डार-गृह अथवा शीतगृह या अन्य किसी प्रकार की भण्डारण क्षमता का निर्माण राज्य भण्डारागार निगम के हित में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से अथवा अन्य किसी संस्था से कराया जाना हो तो भी कम से कम ले आउट प्लान इस्टीमेट व डिजाइन आदि अवश्य ही राज्य भण्डारागार निगम के इंजीनियरिंग सेल द्वारा तैयार किये जाने चाहिये ।

58—समिति यह भी संस्तुति करती है कि किसी दूसरी संस्था से कार्य कराये जाने की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के इंजीनियरिंग सेल द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण तथा कार्य के मानकों के विषय में पूर्ण जांच पड़ताल की जानी चाहिये जिससे होने वाले कार्य के मानक सुनिश्चित हो सकें ।

59—समिति संस्तुति करती है कि स्वतन्त्र फीडर से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परि० द्वारा शीघ्र से शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति करना चाहिये ।

60—समिति यह भी संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का चूँकि यह प्रथम प्रयास है अतः शीतगृह के उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित विभागों जैसे कोआपरेटिव, पी०सी०एफ०, कोआपरेटिव सोसाइटीज, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम, हार्टीकल्चर कारपोरेशन आदि को समन्वय एवं सहयोग करने हेतु भरसक प्रयास करने चाहिये ।

61—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा अपने इंजीनियरिंग सेल के माध्यम से भण्डार-गृहों का अनुरक्षण व छोटी-मोटी टूट-फूट व सड़कों आदि की मरम्मत आदि का विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिये ।

62—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके इन्जीनियरिंग सेल के सहायक अभियन्ता के स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण तीन माह में एक बार अवश्य कर लिया जाये।

63—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के इन्जीनियरिंग सेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सहायक अभियन्ता के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई कमियों का निराकरण व्यवहारिक रूप में अधिक से अधिक 6 माह के अन्दर हो जाये।

64—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नामन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिये उन मानकों के अनुरूप इन्जीनियरिंग से लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिये।

65—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता का 90 प्रतिशत उपयोगिता हेतु सरकार द्वारा गारन्टी दी जानी चाहिये अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा गारन्टी दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

66—समिति संस्तुति करती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता की 90 प्रतिशत भण्डारण की गारन्टी दिया जाना सरकार द्वारा सम्भव न हो तो कम से कम वास्तविक रूप में स्वनिर्मित खाली भण्डारण क्षमता का 50 प्रतिशत सन्सिडी स्वीकार की जानी चाहिये ताकि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को किन्हीं परिस्थितियों में एकाएक नुकसान न हो सके।

67—समिति संस्तुति करती है कि तामिलनाडू राज्य के समान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को "स्टोरेज एजेन्सी" घोषित किया जाना चाहिये। ताकि भण्डारण का कार्य प्रदेश राज्य में केवल एक ही संस्था द्वारा किया जा सके।

68—समिति यह भी संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य किसी संस्था से भण्डारण क्षमता के लिये लिखित अनुबंध किया जाना चाहिये ताकि भण्डारण के विषय में कोई वाद-विवाद न हो।

69—समिति संस्तुति करती है कि भारतीय खाद्य निगम को मुख्यालय के आदेशों के परिपालन के विषय में सुनिश्चित करना चाहिये कहीं निगम की मंगा के विरुद्ध दावों की कटीती भुगतान किये जाने वाले बीजकों से तो नहीं की जा रही है।

70—समिति यह भी संस्तुति करती है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमी व छीज से सम्बन्धित जो कटीतियां उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के बीजकों से कर ली गई हैं, की धनराशि की वसूली तुरन्त करनी चाहिये ताकि भारतीय खाद्य निगम की स्वयं की मंगा को पूर्ति हो सके।

71—समिति संस्तुति करती है कि नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को भारतीय खाद्य निगम से मधुर सम्बन्ध स्थापित रखना चाहिये और इस विषय में भारतीय खाद्य निगम को भी सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये ।

72—समिति संस्तुति करती है कि यदि भारतीय खाद्य निगम व राज्य भण्डारागार निगम के बीच में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद हो तो उसके निस्तारण के लिये दोनों संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक जांच समिति होनी चाहिये जिसके द्वारा विवादास्पद विषय पर निर्णय किया जा सके ।

73—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रत्येक केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पूर्ण पूर्व माह में कमी व छीज से संबंधित सूचना मुख्यालय पर अवश्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये और मुख्यालय द्वारा प्रत्येक केन्द्र को अलग-अलग इस विषय में पत्रावलियाँ बनाकर इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये इकट्ठा करना चाहिये और कमी आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में प्राप्त विवरणों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र व वार्षिक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाना चाहिये ।

74—समिति संस्तुति करती है कि प्रत्येक केन्द्र का वार्षिक तुलनात्मक विवरण का अध्ययन करने के उपरांत यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किस केन्द्र पर आमद के औसत में कितनी छीज व कम अधिकतम है । इसके आधार पर भण्डार-गृह प्रबन्धकों का स्थानान्तरण किया जाना चाहिये । वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किये गये तुलनात्मक विवरण के अनुसार सम्बन्धित भण्डार-गृह प्रबन्धकों की इन्ट्रीप्रिटी लिखित रूप में निश्चित की जानी चाहिये और इसके परिणामों से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को भी अवगत कराना चाहिये ।

75—समिति संस्तुति करती है कि भारतीय खाद्य निगम को "किराये की भण्डारण क्षमता या ओपेन स्पेस की अपेक्षा वैज्ञानिक ढंग से बने हुए राज्य भण्डारागार निगम की निर्मित क्षमता में ही अधिक से अधिक भण्डारण करना चाहिये ।

76—समिति संस्तुति करती है कि राज्य भण्डारागार निगम द्वारा भण्डारण क्षमता का आरक्षण किराये की क्षमता हेतु प्राप्त किया जाना जहाँ पर ऐसा करना जरूरी न हो वहाँ पर उपलब्ध खाली किराये की क्षमता को तुरन्त छोड़ देना चाहिये ताकि निगम को किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना न रहे ।

77—समिति संस्तुति करती है कि पनकी (कानपुर) स्थित किराये के गोदाम के संबंध में विस्तार से जांच कराई जाये और जो व्यक्ति इस गोदाम को किराये पर लिये जाने में दोषी पाये जायें उनसे निगम को हुई क्षति की पूर्ति कराई जाये ।

78—समिति वर्ष 1976 की आगरा केन्द्र के विषय में इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि श्री काशीनाथ एक बहुत ही बड़े गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं और आगरा बाढ़ के विषय में उर्वरक के हस्तान्तरण से संबंधित षड़यन्त्र में इनका विशेष हाथ रहा है ।

79—वर्ष 1978 की आगरा बाढ़ के सम्पूर्ण प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के अतिरिक्त तत्कालीन अतिरिक्त संग्रह सलाहकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि ली गई ।

80—समिति संस्तुति करती है कि वर्ष 1978 में आगरा केन्द्र पर आई बाढ़ से सम्बन्धित उर्वरक के हस्तान्तरण के विषय में विस्तार से जांच की जानी चाहिये और दोषी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

81—समिति संस्तुति करती है कि चटाईयों की खरीद के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा जो निविदाये 24 अगस्त, 1977 को आमंत्रित की गई थी, के विषयमें पूर्ण रूप से छ न-बीन किया जाना नितान्त आवश्यक है और यदि निविदाओं के स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई हो तो अनियमितता बरते जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को हुई हानि के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये ।

82—समिति यह भी संस्तुति करती है कि इन्सेण्टसाइट्स व ड्रेनेज आदि की खरीद को भी विकेंद्रित किया जाना चाहिये और निगम द्वारा ऐसी प्रक्रिया दूरों निर्धारित किये जाने के विषय में अपनाई जानी चाहिये जिससे उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को किसी प्रकार की हानि की सम्भावना न रहे ।

83—समिति यह भी संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम तकनीकी सेल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न केन्द्रों का निरीक्षण करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक केन्द्र पर वैधानिक माप-द डों के अनुरूप ही इन्सेण्टसाइट्स का उपयोग किया जा रहा है ।

84—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के तकनीकी सेल में निरीक्षण के समय कहीं भी किसी प्रकार की कोताही इन्सेण्टसाइट्स के प्रयोग में पाई जाये तो इस कमी के लिये भण्डार-प्रबंधक/इंचार्ज को सीधे दोषी ठहराया जाना चाहिये ताकि भण्डार-गृहों में रखे माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके ।

85—समिति संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम राज्य का एक विकासशील उपक्रम है अतः इसे प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।